खण्ड–12, अंक–3
बुधवार, पौष 22, शक संवत् 1926
(12 जनवरी, 2005 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2005)

(खण्ड 12 में 7 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2004

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रैली में पुलिस द्वारा की गई लाठी चार्ज एवं कार्यकर्ताओं पर पानी छोड़ने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा कराने की मांग ...	1–2
प्रश्नोत्तर	2–44
राज्य मंत्री पदनाम के उपयोग पर काजी निजामुद्दीन द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	44–46
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य स्व0 श्री शिवानन्द नौटियाल एवं स्व0 श्री रामचन्द्र उनियाल के निधन पर शोकोद्गार ...	46–50
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	50
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत हेलंग उर्गम मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50–51
पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा गंगा वैली में उच्च क्षमता की विद्युत लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
गंगा स्नान करने आये श्री मिश्रीलाल को भिखारी समझकर बैगर हाउस में बंद करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	51
जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र को परगना बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
नैनीताल–पंगूट–देचौरी–कोटाबाग मोटर मार्ग को पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना से पेयजल उपलब्ध न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	52–53
उत्तरांचल के विद्युत बेरोजगार अप्रेन्टिसों द्वारा एक सूत्रीय मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर दे रहे धरना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	53
नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2002–2003 का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	53
वर्ष 2003–2004 (उत्तरांचल सरकार) के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे ...	54
उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन, 2003 ...	54
उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2002–2003 एवं वर्ष 2003–2004 की वार्षिक रिपोर्ट	54

विषय	पृष्ठ संख्या
केन्द्रीय विद्युत अधिनियम की धारा 182 के अन्तर्गत विनियम/ अधिसूचनाएं	54
उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2004	55
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (प्रथम संशोधन), 2004	55
उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 (अधिनियम होने की घोषणा) ...	55
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004 (अधिनियमित होने की घोषणा)	55
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 (अधिनियमित होने की घोषणा)	55–56
उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 (अधिनियमित होने की घोषणा)	56
उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 (अधिनियम होने की घोषणा)	56
जनपद उत्तरकाशी के जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक आने–जाने हेतु रज्जू मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका ...	56
जनपद उत्तरकाशी के मौध में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका	56
जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत टिपरी (बिष्ट) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका	57
जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के गोडर–खाटल क्षेत्र के ओडगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका	57
जनपद उत्तरकाशी के ग्राम धरासू को पर्यटन ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका	57
जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत नालूपानी–पटारा–डांग (जसपुर) स्यालना मोटर मार्ग के सम्बन्ध में याचिका ...	57

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाव के ग्राम बनास (गीठ) को पर्यटन ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका ...	57
जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत आदर्श कन्या जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका ...	58
जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बघाणगांव में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका	58
जनपद अल्मोड़ा के थला-म्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका	58
जनपद उत्तरकाशी के सांकरी मोरी में ऊन की मण्डी हिमाचल पैटर्न पर विकसित करने के सम्बन्ध में याचिका	58
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में गुप्तड़ी-तामानौली निर्माणाधीन मोटर मार्ग का विस्तार आवलाघाट तक किये जाने के सम्बन्ध में याचिका	58-59
जनपद अल्मोड़ा की 11 ग्राम सभाओं पट्टी पल्ला नया विकास खण्ड सल्ट को भौगोलिक विषमता के आधार पर विकास खण्ड भिकियासैण में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका ...	59
जनपद हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में (नगर) स्थापित रोडवेज बस अड्डे को अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका ...	59
जनपद अल्मोड़ा के केदारतलाई, स्याल्दे-सिपानगर, उल्मरा मोटर मार्ग के सम्बन्ध में याचिका	59
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण के ग्राम भट्यूड़ा, थरकोट, मासो, बालाकोट, पुरान, जाख, लौधियागैर एवं बुंगा ग्राम समूह पेयजल योजना के सम्बन्ध में याचिका	59
जनपद चम्पावत के विकास खण्ड लोहाघाट में डिग्री कॉलेज से खतेड़ा तक पूर्व स्वीकृत 18 किमी० मोटर मार्ग को पूर्ण विकसित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका	60
जनपद अल्मोड़ा के भैसियाछाना में स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में याचिका	60
जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौलादेवी के ग्राम पंचायतों की गम्भीर पेय जल समस्या को देखते हुए सरयू नदी से (सरयू लिफ्ट योजना) बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका	60

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 (पुरःस्थापित)	60–61
उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) ...	61
उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित)	61
बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन विधेयक, 2005) (पुरःस्थापित)	61–62
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित)	62
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित)	62–63
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित)	63
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित)	63
उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित)	64
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	64–70
दर्शक दीर्घा में नारे व पर्चे फेंकने की घटना	70
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमशः)	70–78
भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्बन्ध में नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित सूचना	78–84
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	84–110
दर्शक दीर्घा में घटित घटना पर मार्शल विधान सभा की रिपोर्ट ...	110–114
दर्शक दीर्घा में पर्चे फेंकने की घटना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	114–115
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	115–116
नत्थियां	117–119

"क"

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्री अरविन्द पाण्डे
5—श्रीमती आशा देवी
6—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7—श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8—श्री काशी सिंह ऐरी
9—श्री कैलाश शर्मा
10—श्री कौल दास
11—श्री गगन सिंह रजवार
12—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
13—श्री गोपाल सिंह राणा
14—श्री गोविन्द लाल
15—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
16—श्री चन्द्रशेखर
17—श्री जोत सिंह गुनसोला
18—श्री तसलीम अहमद
19—श्री तिलक राज बेहड़
20—श्री तेजपाल सिंह रावत
21—श्री दिनेश अग्रवाल
22—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
23—श्री नव प्रभात
24—श्री नारायण दत्त तिवारी
25—श्री नारायण पाल
26—श्री नारायण राम आर्य
27—श्री नारायण सिंह जंतवाल
28—काजी निजामुद्दीन
29—श्री प्रकाश पंत
30—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31—डा0 प्रताप बिष्ट
32—श्री प्रदीप टम्टा
33—श्री प्रीतम सिंह
34—श्री प्रीतम सिंह पंवार
35—श्री प्रेमानन्द महाजन
36—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
37—श्री फूल सिंह बिष्ट
38—श्री बलवीर सिंह नेगी
39—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
40—श्री बिशन सिंह चुफाल
41—श्री भगत सिंह कोश्यारी
42—श्री मदन कौशिक
43—श्री महेन्द्र भट्ट
44—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
45—श्री मातबर सिंह
46—श्री माल चन्द्र
47—चौ0 यशवीर सिंह
48—श्री रणजीत सिंह
49—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
50—श्री राम प्रसाद टम्टा
51—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
52—श्री शूरवीर सिंह
53—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
54—श्री सहजाद
55—श्री साधू राम
56—श्री सुबोध उनियाल
57—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
58—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
59—श्री सुरेश चन्द
60—श्री हरबंस कपूर
61—श्री हरभजन सिंह चीमा
62—श्री हरीदास
63—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64—श्री हीरा सिंह बिष्ट
65—श्री हेमेश खर्कवाल
66—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 12 जनवरी, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रैली में पुलिस द्वारा की गई लाठी चार्ज एवं कार्यकर्ताओं पर पानी छोड़ने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा कराने की मांग

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात जोर-जोर से कहने लगे।)

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, कल जिस तरह से वहां पर बेरिकेट लगाये गये थे वह हम लोगों को पूरी तरह मारने का इन्तजाम किया गया। मान्यवर, इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी बात कहने का हमको अधिकार है, इसलिए मेरा निवेदन है कि हमने नियम 311 में जो सूचना लगायी है उसको सदन की पूरी कार्यवाही को रोककर सुना जाय इस पर चर्चा होना आवश्यक है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

हम कल सुन लेंगे।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष श्री कण्डारी जी को चोटें आयी हैं। वह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम 56 में सुन लूँगा।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, कल सदन नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)-

मान्यवर, मेरा कहना है कि यह मामला तात्कालिक और लोक महत्व का प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे आज नियम 56 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। सुन लेंगे। मेरा निवेदन है कि इसे परम्परा नहीं बनायी जाये।

(व्यवधान के मध्य)

श्री हरीदास–

मान्यवर, हमारी नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना है उसे भी नियम 56 में आज सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

हम कल सुन लेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कल हाउस नहीं है, सोमवार को सुन लीजिए।

श्री हरीदास–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसे आज सुन लिया जाय।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हमारी जो सूचना लगी है उसे आज सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

राज्य के मान्यता प्राप्त जू0हा0 को दिये जाने वाला त्रिभाषा अनुदान

*1–कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य के गठनोपरान्त मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों को दिया जाने वाला त्रिभाषा अनुदान बन्द कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या जनहित में सरकार त्रिभाषा अनुदान को पुनः प्रारम्भ करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि हमारे उत्तरांचल में किसी भी विद्यालय में अभी त्रिभाषा अनुदान नहीं दिया जा रहा है। मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि त्रिभाषा अनुदान की परिभाषा को परिभाषित कर दिया जाय।

मान्यवर, त्रिभाषा में अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा चाहे संस्कृत या उर्दू या कोई अन्य प्रान्तीय भाषा विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था थी, लेकिन उत्तरांचल बनने के बाद यह व्यवस्था यहां समाप्त कर दी गयी है। लोकहित में इसे पुनर्जीवित किया जाये। मान्यवर, माननीय मंत्री जी किसी एक स्कूल का नाम बता दें जहां त्रिभाषा फार्मूला लागू हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अशासकीय असहायक मान्यताप्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को त्रिभाषा अनुदान के रूप में भुगतान किया जाता रहा है। अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों को मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 217/15–6–92–18 एस (7)/89, दिनांक 11–5–92 द्वारा विद्यालयों को मान्यता प्रमाण–पत्र में प्रधानाध्यापक का एक, सहायक अध्यापक के चार जिनमें एक अध्यापक विज्ञान तथा एक अध्यापक भाषा सहित, लिपिक एवं परिचारक के एक–एक पद भी सृजित किये जाने का प्राविधान है। उक्त तिथि दिनांक 11–5–1992 के पश्चात् त्रिभाषा सूत्र के रूप में अतिरिक्त पद सृजित किये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यालय या जनपद की मांग पर त्रिभाषा अनुदान वर्ष, 1998–99 तक स्वीकृत किया जाता रहा है। उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात् किसी भी विद्यालय या जनपद द्वारा त्रिभाषा अनुदान की मांग नहीं की गयी है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि मंगलौर में माता शाकुम्बरी देवी स्कूल में इसकी मांग की गयी थी, लेकिन उसे त्रिभाषा अनुदान नहीं दिया गया। मैंने नियम 300 में भी यह मामला उठाया था। माता शाकुम्बरी देवी स्कूल द्वारा त्रिभाषा अनुदान की मांग की गयी है क्या यह जानकारी माननीय मंत्री जी को है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि 4 पद सृजित किये जाते हैं। इन्हीं में से भाषा का पद भी सृजित किया जाता है। वही अध्यापक तीसरी भाषा को भी पढ़ायेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि त्रिभाषा के अन्तर्गत उन्होंने एप्लीकेशन दी है तो इसमें हम देखेंगे कि वहाँ भाषा का अध्यापक कौन है और क्या वह तीनों विषय पढ़ाने में सक्षम है ?

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, उनका तो प्रार्थना–पत्र लेने से ही मना कर दिया गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। यदि विधिवत् आवेदन करेंगे तो हम देखेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 4 पद होते थे और अब एक पद को खत्म कर दिया गया। माननीय मंत्री जी की बातों से तो यही लग रहा है जैसे कि एक पद समाप्त कर दिया गया हो। मान्यवर, क्या आपके कहने का अर्थ यही है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, वर्तमान में लोगों ने त्रिभाषा के अन्तर्गत संस्कृत पढ़ाने की मांग की तो हमने देखा कि हिन्दी वाला शिक्षक संस्कृत भी पढ़ा सकता है और जहां तक उर्दू की बात है तो इसका आशय ऐसा था कि हिन्दी और उर्दू दोनों एक ही अध्यापक पढ़ाये।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह अधिकतर संभव नहीं है कि हिन्दी वाला अध्यापक उर्दू पढ़ा सके।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, त्रिभाषा में हिन्दी, उर्दू और संस्कृत ही है या हमारे प्रदेश में कोई बांग्ला सीखे, तमिल सीखना चाहे या कन्नड़ तो क्या ऐसी भी व्यवस्था है कि त्रिभाषा में इन्हें चूज कर सके।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अनुच्छेद 344 में जो हमारी भाषायें हैं, उनकी संख्या 18 है, जोकि अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं, इनमें हैं– असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अगर असमिया सीखना चाहें तो हम कोशिश करेंगे कि मान्यवर, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि कोई आवेदन अगर आये कि हमें द्विभाषा में यह विषय चाहिए तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। अभी तक त्रिभाषा अनुदान की ही मांग नहीं आई है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मेरी स्पष्ट जानकारी में है और मैंने अभी उस विद्यालय का नाम भी बताया था। लेकिन विभाग ने उसे मना कर दिया।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यदि मांग करेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि त्रिभाषा का फार्मूला हमारे यहां पर है और उसमें तीसरी भाषा के लिए, हिन्दी और संस्कृत तो एक आदमी

पढ़ा सकता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हिन्दी वाला उर्दू भी पढ़ा सके। जो भी तीसरा विषय पढ़ना चाहे उसके लिए क्या व्यवस्था की जायेगी, स्पष्ट आश्वासन आप दे दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी–

मान्यवर, इसकी व्यवस्था के लिए प्रावधान है और मानक भी हैं। एक अकेले के लिए तो एक अध्यापक कैसे रख सकते हैं। इसके प्रावधानों में है कि विद्यालय मान्यता प्राप्त हो, प्रबन्ध तंत्र विवादित न हो। विद्यालय द्वारा विभागीय नियमों को भलीभांति पालन किया जा रहा हो। मानक के अनुसार संख्या 40 की हो। अध्यापकों की नियुक्ति विभाग के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत की गई हो।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, एक क्लास में 40 बच्चे हों तभी पढ़ाया जायेगा, ऐसा प्रावधान तो ठीक नहीं है।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, कहीं पर 25 बच्चे भी तो हो सकते हैं, क्या उन्हें नहीं पढ़ाया जायेगा ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, एक कक्षा में 20 हो सकते हैं, दूसरी में 20 और तीसरी में 20, इस तरह से 60 बच्चे हो गये, अब तो व्यवस्था की जा सकती है।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी–

मान्यवर, छात्र संख्या 40 पर एक अध्यापक का मानक है, यदि 40 छात्र होंगे तो हम पढ़ायेंगे।

श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि संगत भाषा के संगत विषय को एक ही अध्यापक पढ़ा सकता है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी द्वारा शिक्षा विभाग में संस्कृत और हिन्दी को संगत विषय माना गया है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एल0टी0 (हिन्दी) में नियुक्ति के लिए हिन्दी में एम0ए0 के लिए आवेदकों को क्वालिटी प्वाइंट दिए गए हैं लेकिन संस्कृत में एम0ए0 के लिए क्वालिटी प्वाइंट क्यों नहीं दिए गए हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी–

मान्यवर, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हिन्दी का अध्यापक संस्कृत पढ़ा सकता है लेकिन संस्कृत वाला अध्यापक हिन्दी नहीं पढ़ा सकता है।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, जब हिन्दी और संस्कृत को संगत विषय माना गया है तो ऐसा क्यों है ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, यह एलीजिबिलिटी के अनुसार है। ग्रेजुएशन में हिन्दी और संस्कृत दोनों होनी चाहिए।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, जब एम०ए० हिन्दी वाले को क्वालिटी प्वाइंट मिलते हैं तो एम०ए० संस्कृत वाले को भी क्वालिटी प्वाइंट मिलने चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यदि हिन्दी के अध्यापक की आवश्यकता है तो संस्कृत वाले को क्वालिटी प्वाइंट किस प्रकार दिए जा सकते हैं ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, क्वालिटी प्वाइंट संस्कृत वाले को क्यों नहीं दे सकते, जब दोनों विषय संगत हैं तो दोनों के लिए क्वालिटी प्वाइंट मिलने चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा गया है, उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होने पर क्वालिटी प्वाइंट दिए जाते हैं।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, साइंस सब्जेक्ट वाले को फिजिक्स, कैमिस्ट्री या मैथ किसी में भी पोस्ट ग्रेजुएट होने पर क्वालिटी प्वाइंट मिल जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैथ को तो अलग सब्जेक्ट माना ही नहीं गया है। (व्यवधान) मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश के सामने कोई बात जाएगी। इस पर स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि माननीय मंत्री जी उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं। प्रदेश की जनता के सामने नीति निर्धारण की बात आ रही है। इसमें स्पष्टीकरण आना ही चाहिए। मेरा अनुरोध है कि तब तक के लिए इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मूल प्रश्न त्रिभाषा से सम्बन्धित है। आप पूछ रहे हैं कि नियुक्ति में यह हो रहा है या नहीं ? यह एक अलग प्रश्न है। इस विषय पर आप अलग से प्रश्न लगाइए।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और अब कह रहे हैं कि इसके लिए अलग से प्रश्न लगाइए। इस पर अब अलग से प्रश्न लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसमें आश्वासन आ जाए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान्यवर, इससे अलग एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दें, उसमें सारी बातें आ जाएंगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो विद्यालय त्रिभाषा अनुदान की मांग करेंगे उनको भविष्य में सरकार अनुदान देगी तथा उत्तरांचल की जटिल भौगोलिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, जो 40 की संख्या का मानक का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है उसके मानकों में थोड़ा शिथिलिकरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मानक के अनुसार यदि आवेदन प्राप्त होंगे तो पूर्ति की जायेगी।

प्रदेश को पूर्ण साक्षर बनाने की कार्ययोजना

*2–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है ?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है तथा प्रदेश में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

उत्तरांचल की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर के सापेक्ष निम्नवत् है–

	कुल	पुरुष	महिला
राष्ट्रीय	64.38	75.85	54.16
उत्तरांचल	72.28	84.01	60.26

यद्यपि राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है तथापि पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में लगभग 24 प्रतिशत का अन्तर है। इस अन्तर तथा वर्ष 2007 तक राज्य में 75 प्रतिशत साक्षरता दर का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिपेक्ष्य में राज्य में दो मुख्य कार्यक्रम समयबद्ध रूप से चलाये जा रहे हैं :–

1. 6–14 वय–वर्ग में शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान 01 जनवरी, 2002 से 31 मार्च, 2010 तक। इस अभियान के निम्नांकित समयबद्ध लक्ष्य हैं:–
   (क) सभी बच्चों को वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा तथा बैक–टू–स्कूल केन्द्रों में प्रवेश दिलाना।
   (ख) सभी बच्चे वर्ष 2007 तक 05 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
   (ग) सभी बच्चे वर्ष 2010 तक 08 स्कूलों में अनिवार्य रूप से बनाये रखना।
   (घ) सभी बच्चों को सन्तोष जनक, गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करते हुए सामाजिक भेदभाव दूर करना।
2. 15–35 वय–वर्ग में निरक्षरता उन्मूलन एवं कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने हेतु सतत् शिक्षा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम सम्प्रति जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में प्रारम्भ हो गया है। जनपद टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी की कार्य योजनाएं भारत सरकार को भेजी जा चुकी हैं तथा शेष जनपदों की कार्ययोजनाएं भारत सरकार को प्रेषित की जा रही है।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय साक्षरता के मानक की बात कही है उसके अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता के मानक क्या हैं क्या उन्हीं मानकों को हमने उत्तरांचल प्रदेश में भी निर्धारित किया है। दूसरा प्रश्न यह है कि 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिपेक्ष्य में दो समयबद्ध कार्यक्रम शुद्ध रूप से चलाये जा रहे हैं इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी धनराशि अभी तक खर्च की गई हैं जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उसमें कितनी भौतिक प्रगति हुई है। आपने स्वयं यह बात स्वीकार की है कि महिलाओं तथा पुरुषों की साक्षरता दर में 24 प्रतिशत का अन्तर है। क्या महिलाओं की साक्षरता दर को तेजी से बढ़ाने के लिए सरकार कोई विशेष कार्यक्रम तैयार कर रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, उत्तरांचल में पुरुषों की साक्षरता दर 84.01 तथा महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 60.26 है। इस अन्तर को कम करने के लिए तथा महिलाओं को पुरुषों के बराबर साक्षर बनाने के लिए सरकार 4 जनपदों क्रमशः उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल एवं बागेश्वर में एन0पी0ई0जी0एल0 योजना के अन्तर्गत 38 विकास खण्डों में बालिका शिक्षा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिसमें विभिन्न योजनायें हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत फ्री यूनिफार्म, एजूकेशन, लाइब्रेरी तथा किताबों की व्यवस्था एवं स्कूल बैग की व्यवस्था की जा रही है उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मान्यवर, इसके अलावा "कस्तूरबा" गांधी बालिका शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 12 जनपदों में 13 विद्यालय स्वीकृत हुए हैं। इसके तहत जहां भी हमें 50 छात्राएं मिल जायेंगी वहां मे आवासीय विद्यालय हम स्थापित करेंगे। यह सब योजनाएं शिक्षा का जनरेशन गैप समाप्त करने के लिए चलायी जा रही हैं। मान्यवर, इस योजना के तहत हमें भारत सरकार से 03 करोड़ रुपये सृजित हो गये हैं।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि 1986 की जो राष्ट्रीय साक्षरता नीति के तहत जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, इस कार्यक्रमों के तहत आज तक कितनी धनराशि खर्च हुई है तथा खर्च की गयी धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति क्या है ? इसका सही जवाब नहीं आया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इस नीति के तहत सतत् शिक्षा कार्यक्रम जनपद अल्मोड़ा तथा बागेश्वर जनपद में चलाया जा रहा है। जनपद अल्मोड़ा में इसकी स्वीकृति की तिथि 22–08–2001 थी तथा इसका शुभारम्भ 26–01–2002 को हुआ। मान्यवर, इस योजना के तहत हमारी स्वीकृत धनराशि 27 करोड़ 25 लाख 8 हजार थी। मान्यवर, अभी तक 26 करोड़ 73 लाख 752 हजार की धनराशि अवमुक्त हो गयी है। मान्यवर, इसी तरह जनपद बागेश्वर में 41 करोड़ 39 हजार 750 रु0 की धनराशि स्वीकृत थी, इस तरह से यह पूरा कार्यक्रम सतत् शिक्षा कार्यक्रम के तहत चलाया गया।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, इसकी भौतिक प्रगति क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, 24 प्रतिशत का जो जनरेशन गैप है, इसको समाप्त करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिपेक्ष्य में दो मुख्य कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके तहत 06–14 तक की आयु के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 01 जनवरी, 2002 से प्रारम्भ किया गया और इसकी समाप्ति की तिथि 2010 है। मान्यवर, अर्थात् इसकी समाप्ति की अवधि तक बच्चा कक्षा 8 में रहेगा।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, जो उत्तर है, उसके मुताबिक सभी बच्चों को वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा तथा बैक–टु–स्कूल केन्द्रों में प्रवेश दिलाना तथा दूसरी जो गुणात्मक शिक्षा की बात कही गयी है, इसको बरकरार रखने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ताकि साक्षरता बरकरार रहे।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैंने जितने कार्यक्रम अभी बताये हैं, ये सभी इसी के तहत हैं। इनसे साक्षरता बनी रहेगी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, वर्ष 2003 बीत चुका है, क्या ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, इसका उत्तर आना चाहिए।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि जो माननीय मंत्री जी ने 2003 का लक्ष्य रखा है वह पूरा हुआ कि नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, सभी बच्चों को वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा तथा बैक–टु–स्कूल केन्द्रों में प्रवेश दिलाने का लक्ष्य रखा था वह पूरा हो गया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2003 तक प्रवेश दिलाने का काम हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर के दूसरे खण्ड पर दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि 15–35 वय–वर्ग में निरक्षरता उन्मूलन एवं कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने हेतु सतत् शिक्षा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम तीन जनपदों में होने की जानकारी दी और यह भी कहा कि इतना–इतना रुपया अवमुक्त हो गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम कब संचालित हुआ, इसका स्वरूप क्या है और इसका लक्ष्य क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह कार्यक्रम जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में प्रारम्भ हो गया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसका स्वरूप क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसमें शिक्षा गारण्टी केन्द्र होते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम होता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं स्पैसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने केन्द्र हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पिथौरागढ़ में दो सौ केन्द्र चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

गढ़वाल में भी कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पहले इसे कर लें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी की मेहनत पर कोई संदेह नहीं है। मैं केवल

एक वाक्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि खण्ड 1 के उपखण्ड–ग में "सभी बच्चे वर्ष 2010 तक 08 स्कूलों में अनिवार्य रूप से बनाये रखना।" तो हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है ?

मान्यवर, आप शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। मैं चाहता हूँ कि कृपया इसका आशय स्पष्ट कर दें। मान्यवर, नीतिगत प्रश्न यह है कि जो भी योजनायें साक्षरता बढ़ाने की हैं वह चाहे भारत सरकार की हों या वह विश्व बैंक के सहयोग से चलायी जा रही हों एक बात बहुत जरूरी है कि इससे शिक्षा मंत्री जी भी अवगत होंगे कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में जो अध्यापक नियुक्त हैं उनको जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनमें तो लगाया ही जाता है और स्कूलों में खाना पकाने का काम भी उनसे लिया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में एक शिक्षक है वह भी पहले खाना पकाता है फिर बच्चों को खाना खिलाता है उसके बाद छुट्टी हो जाती है, पढ़ाई तो होती नहीं है। जो परियोजनायें चलायी जाती हैं उनमें भी इनको लगाया जाता है, मेरा निवेदन है कि ऐसे कार्यक्रमों में इन्हें न लगाया जाय। इस काम को औरों से कराया जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह सही है कि उप खण्ड (ग) में जो उत्तर दिया गया है कि "सभी बच्चे वर्ष 2010 तक 08 स्कूलों में अनिवार्य रूप से बनाये रखना।" यह त्रुटि वश छप गया है इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। दूसरा प्रश्न ऐरी जी का है कि सभी कार्यों में अध्यापकों को लगाया जाता है इसका विरोध मैंने भी किया है, इसको मंत्रिपरिषद में भी उठाया था कि शिक्षकों को अन्य विभागों के कार्यक्रमों में नहीं लगाया जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विरोध किससे प्रकट किया।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमने शासन से कहा कि अन्य विभागों को ऐसे कार्यों में लगाया जाय। केवल राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ही अध्यापकों की भूमिका आवश्यक है इसलिए इसमें लगाया जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, उनको वही काम दिया जाय जो शिक्षक बैठकर काम करता है जैसे आर्थिक सर्वेक्षण वगैरा।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हम कह रहे हैं

(व्यवधान)

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, हम मांग कर रहे हैं कि यह कब तक हो जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय मंत्री जी आप सरकार हैं सरकार निर्णय लेती है। यह तो बड़ी विचित्र स्थिति है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हम प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक इस कार्य से मुक्त हो जायें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, सदन में एक महत्वपूर्ण बिन्दु सामने आया है कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने मांग रखी है।

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सर्व शिक्षा के कार्यक्रम वास्तव में धरातल पर चलाये जा रहे हैं। तीसरे प्रश्न में पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री होने के नाते आपने सर्व शिक्षा के अन्तर्गत और प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत कितने केन्द्रों का निरीक्षण किया है ? क्या ये केन्द्र अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सरकार को निर्देश दें क्योंकि यह योजनाएं केवल कागजों पर चल रही हैं, धरातल पर नहीं। जिसके कारण माननीय मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। सर्व शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा अभियान को धरातल में परिणित करने के लिए क्या योजना बनायी गयी है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह साक्षरता से सम्बन्धित प्रश्न है। हमारे माननीय सदस्य इससे घूम गये हैं। मूल प्रश्न से हट गये हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने किसी केन्द्र का स्वयं निरीक्षण किया है या आपके अधिकारियों ने कितने सर्व शिक्षा अभियान केन्द्रों का निरीक्षण किया है। क्या वास्तव में ये केन्द्र सही ढंग से चल रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जो निरीक्षण की पद्धति है, वह चलती रहती है। जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उप जिला शिक्षा अधिकारी हैं और समय–समय पर अन्य अधिकारी भी निरीक्षण करते रहते हैं। ये केन्द्र सुचारु रूप से काम कर रहे हैं इसी वजह से हम साक्षरता दर में आगे जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि साक्षरता कार्यक्रम फलीभूत होगा। हमारी साक्षरता दर बढ़ रही है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो आंकड़े दिये गये हैं कि उत्तरांचल में 72.28 साक्षरता की दर है, यह किस सन् का है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने मंत्रिपरिषद में यह बात रखी कि प्राथमिक शिक्षकों को जहां अनिवार्य आवश्यकता हो वहीं उनकी ड्यूटी लगायी जाय, उन्होंने यह बात मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखी तो क्या यह माना जाये कि माननीय मंत्री

जी की बात उत्तरांचल सरकार ने नहीं मानी या यह माना जाये कि उनकी स्थिति विपक्ष के विधायक जैसे हो गयी है ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, 72.28 की हमारी साक्षरता दर है और यह सन् 2001 की है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न रह गया है। क्या सरकार माननीय मंत्री जी की बात नहीं मान रही है ?

प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 के पदों की संख्या जनपदवार निर्धारित करने का मानक

*3–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 के पदों की संख्या जनपदवार निर्धारित करने के क्या मानक है ?

क्या मानकों के आधार पर संख्या निर्धारित की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

वर्ष 2001 में उत्तरांचल में स्थित बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सहायक अध्यापकों के उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से जनपदवार इन पदों को भरे जाने की व्यवस्था की गई।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि प्रदेश में बेसिक में सहायक अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं और दूसरा प्रश्न यह है कि विशिष्ट बी0टी0सी0 में पहले जो सूची निर्गत की गई थी उसमें 2000 पद थे उसके बाद जो दूसरी सूची आई, उसमें 700 पद थे तो इन पदों के सापेक्ष जनपदवार नियुक्ति हुई। क्या इन्हें जनपदवार आवंटित किया गया था ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पहले 2000 पद आवंटित किये गये थे। इसके बाद यह मांग आई कि शिक्षा मित्रों की संख्या 5 हजार कर दी जाय। उसके बाद विशिष्ट बी0टी0सी0 में पदों की संख्या को निर्धारित किया गया फिर यह हुआ कि पद और बढ़ाये जाय, हमने पूर्व

में 2600 पदों की व्यवस्था की थी फिर हमने 2600 पद और बढ़ाये ताकि कोई विसंगति न हो। इसे जनपदवार दिया गया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि प्रदेश में जनपदवार कुल कितने पद रिक्त हैं? इसका उत्तर नहीं आया।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, शिक्षा में दो तरह के रिक्त पद होते हैं। विभाग की नीति है कि जहां पर एक ही अध्यापक होगा वहां पर एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी। इसे मानक के अनुसार किया जा रहा है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री हैं, सदन आपसे यह जानना चाहता है कि यह बात अलग है कि आप शिक्षा मित्र रखें या शिक्षक बंधु रखें या विशिष्ट बी0टी0सी0 वाले रखें, हम यह जानना चाहते हैं कि प्रदेश में कुल कितने पद रिक्त हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, वर्तमान में रिक्तियों की एक्चुअल स्थिति क्या है यह उत्तर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि जो हमारे सर्व शिक्षा में विद्यालय हैं, उनकी संख्या घटती–बढ़ती रहती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, प्रश्न है कि आज की स्थिति क्या है ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि शिक्षा विभाग से जिन्दगी भर जिनका नाता रहा हो, जो भलीभांति इस विभाग से परिचित है, हमारी संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर हैं, वह ही बता दें रिक्तियों की संख्या कोई चन्द्रमा तो है नहीं जो घटती–बढ़ती रहे कि आज एकादशी का चन्द्रमा है और आज पूर्णिमा का है। मान्यवर, अगर सदन में सही जानकारी ही नहीं मिल पाये तो हम यहां पर क्यों बैठे हैं ? आप हमें इतना बता दें कि कितने पद बेसिक में, कितने जूनियर हाईस्कूल में, कितने इण्टर में और कितने डिग्री में खाली हैं ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, अद्यतन जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष–

जनपदवार जानकारी दे दें कि कुल कितने पद रिक्त हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, कुल पद जो स्वीकृत हैं वे 300 हैं, जनपद अल्मोड़ा में जनरल के 12 पद, 24 पद एस०सी० के, एस०टी० के 12 तथा ओ०बी०सी० के 24 पद रिक्त हैं, इस प्रकार कुल 72 पद रिक्त हैं और बागेश्वर में .....।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आप प्राथमिक के बता रहे हैं, या एल०टी० के ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, बेसिक में कितने पद खाली हैं, यह मेरा प्रश्न था।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं विशिष्ट बी०टी०सी० के बारे में बता रहा हूं। जो आंकड़े मैंने दिए हैं, वे पद विशिष्ट बी०टी०सी० में आवंटित किए गए हैं। मान्यवर, बागेश्वर में 87 तथा नैनीताल में 34 पद रिक्त हैं। इस प्रकार आवंटन के बाद भी कुल 575 पद रिक्त हैं। जहां तक घटने बढ़ने की बात है, जितने भी विद्यालय सर्व शिक्षा के अन्तर्गत खुलते हैं, यह अधिकार जिला पंचायतों को दिए गए हैं कि वे कितने विद्यालय खोलते हैं और कितने नहीं। इसलिए यह संख्या घट बढ़ सकती है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पहले जो 2000 पद विशिष्ट बी०टी०सी० के आवंटित किए गये थे, वे जनपदवार आवंटित किए गए थे, बाद में जो 600 पद और आवंटित किए गए, क्या वे भी जनपदवार आवंटित किए गए हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जो 2600 पद आवंटित किए गए थे, उनकी सूचना मैं दे रहा हूं। पौड़ी में 300, चमोली में 250, रुद्रप्रयाग में 125, उत्तरकाशी में 100, टिहरी में 200, देहरादून में 150, हरिद्वार में 150, नैनीताल में 150, ऊधमसिंह नगर में 300, अल्मोड़ा में 300, बागेश्वर में 250, पिथौरागढ़ में 200 तथा चम्पावत में 125 पद आवंटित किए गए हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपने जो आंकड़े बताए हैं, यह तो 2700 हो रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैंने अभी जो आंकड़े बताए हैं, यह 2600 पदों के हैं। अब 2700 के बारे में बता देता हूं। पिथौरागढ़ और चम्पावत में बाद में 50–50 पद और बढ़ाए गए हैं। वहां की मांग के अनुसार ऐसा किया गया है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देहरादून जनपद में कितने पद रिक्त हैं और कितने अतिरिक्त अध्यापक दूसरे जनपदों से स्थानान्तरित किए गए हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इनकी संख्या घटती–बढ़ती रहती है इसलिए एग्जेक्ट संख्या नहीं बतायी जा सकती।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु पदों की आवंटन नीति

*4–श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु कितने–कितने पदों का आवंटन किया गया है ?

क्या आवंटन हेतु कोई नीति अपनाई गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु जनपदवार निम्न पद आवंटित किये गये :–

जनपद	आवंटित संख्या
1–पौड़ी	300
2–चमोली	250
3–रुद्रप्रयाग	125
4–उत्तरकाशी	100
5–टिहरी	200
6–देहरादून	150
7–हरिद्वार	150
8–नैनीताल	150
9–उ0सि0 नगर	300
10–अल्मोड़ा	300
11–बागेश्वर	250
12–पिथौरागढ़	250
13–चम्पावत	175
योग	2700

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस प्रश्न का विशिष्ट बी0डी0सी0 वाला भाग तो पहले प्रश्न में आ चुका है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े अभी बताए, ये 2700 पद जो जनपदवार दिए गए, इसका जो शासनादेश पहले जारी हुआ था, तब यह संख्या कितनी थी ? क्या इसके बाद दोबारा कोई शासनादेश आया या शासनादेश आने से पहले ही नीति में परिवर्तन कर दिया गया ? किस आधार पर संख्या घटाई और बढ़ाई गयी है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पहले तो यह रिक्तियों के आधार पर निर्धारित की गयी थी। पहले 5000 पद शिक्षा मित्रों से भरने की बात थी। किन्तु 2600 पद बी0टी0सी0 से भर दिए गए तो 2400 पद ही शिक्षा मित्रों के लिए रह गए। इसलिए यह संख्या घट–बढ़ गयी।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी एक बार नीति तय हो गई और शासनादेश जारी हो गया और उस शासनादेश के अनुसार संख्या आवंटित हो गई किन्तु उसके बाद पहले वाले शासनादेश को निरस्त कर नया शासनादेश जारी कर दिया। जो पहले शासनादेश जारी हुआ था उसका क्या हुआ ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पहले हमने यह कहा था कि 5000 शिक्षा मित्र लगेगें यदि हम पांच हजार शिक्षा मित्र लगाते तो विशिष्ट बी0टी0सी0 घट जाते। इसलिए हमने 2400 शिक्षा मित्र लगाये तथा 2600 विशिष्ट बी0टी0सी0 के पद भरे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रत्येक जनपद में कितने पद रिक्त हैं इसको ध्यान में रखकर ही नीति बनाई गई होगी और तभी शासनादेश निर्गत किया गया होगा। मान्यवर, पहले हरिद्वार में 300 पदों की बात कही थी किन्तु बाद में यह संख्या 150 रह गई। यह किस नीति के अन्तर्गत हो गया। क्या वहां पर टीचर इधर–उधर हो गये ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, शिक्षा मित्रों की जो व्यवस्था होती है वह एकल अध्यापक के अगेन्स्ट होती है। एकल अध्यापक जहां अधिक होंगे वहां हमने शिक्षा मित्रों की तैनाती की। हमने शिक्षा मित्रों की संख्या घटा दी और रिक्तियों के अनुसार विशिष्ट बी0टी0सी0 के पद भरे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हरिद्वार में इसे लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मेरी माननीय मंत्री जी से फोन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां से बात हुई। तो उस वक्त माननीय मंत्री जी ने कहा कि पूर्व की सरकार ने जो आवंटन किया था उसी के अनुसार हमने भी किया

है। 300 की संख्या को घटाकर 150 कर दिया ? मान्यवर, शिक्षा मित्र और शिक्षा बंधु की बात कहां से आई। मान्यवर, जनपद हरिद्वार में संख्या कम दी गई किसी जनपद में बढ़ा भी दी गई होगी ऐसा क्यों किया गया? जो नीति तथा जो शासनादेश पहले जारी हुआ था उसके अनुसार ही कार्य होना चाहिए था। मान्यवर, बहुत गम्भीर प्रश्न है, हरिद्वार जनपद में इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है तथा वहां की जनता ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। किन्तु माननीय मंत्री जी इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं टाल-मटोल वाली बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी 300 की संख्या 150 कर दी। विशिष्ट बी0टी0सी0 की संख्या क्यों कम की है।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, यह एक बहुत संवेदनशील मामला है। चूंकि हम भी जानते हैं और माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, तथा देहरादून जनपदों के लिए बहुत सिफारिशें आती हैं। मैं मानता हूं इसमें हमारी ओर से भी आपके पास सिफारिशें आयी होंगी। मान्यवर, हरिद्वार में बाहर से आदमी भरे जा रहे हैं, जिसके कारण वहां सीटें कम हुई हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 300 सीटें करने का आश्वासन यदि माननीय मंत्री जी दे देते हैं तो यह बहुत अच्छा रहेगा, इससे माननीय सदस्य भी संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

मान्यवर, 300 सीटों का आवंटन नहीं हुआ है। (घोर व्यवधान)

मान्यवर, 300 सीटों का आवंटन तब हुआ था, जब 500 शिक्षा मित्रों की बात थी।

(घोर व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर-

मान्यवर, देहरादून और हरिद्वार में विशेष रूप से सीटों की संख्या कम की जा रही है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

मान्यवर, रिक्तता के अनुसार सीटों का आवंटन किया जाता है।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सीटें कम होने के सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां से फोन पर वार्ता की थी। मान्यवर, तब माननीय मंत्री जी ने कहा कि सीटें बढ़ेंगी। मान्यवर, आज वहां पर लोग धरने पर विगत दो माह से बैठे हुए हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। मान्यवर, 290 सीटों के सापेक्ष 150 सीटें करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हरिद्वार में नये विद्यालयों की संख्या अधिक है, उनमें शिक्षा मित्रों की व्यवस्था है। (घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, यहां पर शिक्षा मित्रों की व्यवस्था भी करनी थी इसलिए यहां पर विशिष्ट बी0टी0सी0 के पद कम हो गये। मान्यवर, जो 2600 सीटों का आवंटन हुआ है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या आंदोलन करने से नियुक्तियां हो रही हैं ?

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, पहले 288 पद थे और बाद में 150 कर दिया।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, तकनीकी दृष्टिकोण से जो निवेदन किया है वह सही है। हरिद्वार जिला तीर्थ स्थल होने के नाते एक विशेष महत्व रखता है और वहां के लोगों का हमें अधिक विश्वास अर्जित करना है, उस दृष्टिकोण से अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी विचार करके बढ़ा सकते हैं तो देख लें।

(मेजों की थपथपाहट)

(घोर व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यही स्थिति देहरादून की भी है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में समानता की स्थिति होनी चाहिए। यह सरकार पहाड़ विरोधी है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह पद बढ़ाने की बात कह रहे हैं अगर अध्यापकों की भर्ती की बात कहते तो अच्छा होता। मान्यवर, 2600 और 5200 विशिष्ट बी0टी0सी0 के पद प्रशिक्षण के बाद आ जायेंगे और 2400 शिक्षा मित्र की नियुक्ति का निर्णय लिया है, उसके बाद

सारे विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती हो जायेगी और अगले वर्ष विशिष्ट बी0टी0सी0 समाप्त करने के बजाय रेग्यूलर बी0टी0सी0 का दायित्व शुरू करेंगे।

मान्यवर, जो रिक्तियां हैं और जो पद खाली हैं उनको भर दिया जायेगा। मान्यवर, विशिष्ट बी0टी0सी0 और 2400 शिक्षा मित्र के सभी पद भरे जायेंगे। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम कोई अतिरिक्त मांग नहीं कह रहे हैं जो शासनादेश में किया है वही कह रहे हैं चूंकि विशिष्ट बी0टी0सी0 रोजगार से जुड़ा है।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री मदन कौशिक, श्री सुरेश चन्द जैन, श्री हरबंस कपूर, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्रीमती आशा देवी और बसपा के तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे। (घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के श्री मदन कौशिक, श्री सुरेश चन्द्र जैन, श्रीमती आशा देवी, श्री हरबंस कपूर और उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा बहुजन समाज पार्टी के काजी निजामुद्दीन श्री हरिदास आदि वेल में आकर अपनी–अपनी बातें जोर–जोर से उठाने लगे कि आज पूरा पहाड़ अध्यापक विहीन हो गया है आदि)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम सदन का वॉकआउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सुरेन्द्र चन्द्र जैन, श्रीमती आशा देवी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री हरबंस कपूर, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री महेन्द्र भट्ट और बहुजन समाज पार्टी के काजी निजामुद्दीन, तसलीम अहमद आदि सदन का बहिर्गमन कर सदन से बाहर आ गये)

*5–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

वर्ष 2004 में जनपद उत्तरकाशी को "इण्डिया मिक्स फूड" की आपूर्ति एवं उसका वितरण

*6–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तरकाशी को डेनमार्क सरकार द्वारा उपहार इण्डिया मिक्स फूड वर्ष 2004 में कब प्राप्त हुआ था ?

क्या यह सत्य है कि रख–रखाव व वितरण अभाव में उक्त आहार तीन माह से अधिक अवधि तक कमरों में बन्द रखा गया ?

क्या सरकार आहार के समय से वितरण न कराये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद उत्तरकाशी को इण्डिया मिक्स फूड के 1389 बैग 18 मई, 2004 को, 3407 बैग 22 जुलाई, 2004 को तथा 4840 बैग 23 नवम्बर, 2004 को प्राप्त हुए।

जी नहीं।

जी नहीं। आहार वितरण में विलम्ब नहीं हुआ अतः जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद के प्रमुख विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को बंटने वाला उपहार इण्डिया मिक्स फूड के वितरण में अनियमितता प्रकाश में आयी है। माननीय मंत्री जी के उत्तर में लिखा है कि "जनपद उत्तरकाशी को इण्डिया मिक्स फूड के 1389 बैग 18 मई, 2004 को, 3407 बैग 22 जुलाई, 2004 को तथा 4840 बैग 23 नवम्बर, 2004 का प्राप्त हुई।" मान्यवर, समय से वितरण न होने के कारण जो उपहार इण्डिया मिक्स फूड था जब इसकी शिकायत की गई तो उत्तरकाशी में यह बंटना बंद हुआ और पूरे जिले में जो इसके ढुलान के लिए धनराशि स्वीकृत थी उस धनराशि में भी गड़बड़ी हुई है। यह अध्यापकों के माध्यम से उच्च अधिकारियों द्वारा बंटवाया गया था। इसमें गड़बड़ी हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि नम्बर 1, यह जो अनियमितता हुई है क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? नम्बर 2, क्या वितरित किये जाने वाले फूड में दुर्गन्ध आने के कारण इसे वितरित नहीं किया गया ? नम्बर 3, क्या फूड को सैम्पिल के लिए भेजा गया। इसका उत्तर चाहता हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पहली खेप जो इसकी आयी थी 1389 बैग 18 मई, 2004 को आये थे जो कि 26 मई, 2004 तक विकास खण्डों में पहुँचा दिये गये थे। 28–5–2004 से ग्रीष्म कालीन अवकाश हो गया था। आपने कहा है कि 3 महीने तक यह सड़ता रहा। मान्यवर, 2 महीने में ही यह आवंटित हो गया था।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जो पहली खेप गयी वह पीछे दब गयी।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जो इसके वितरण की समीक्षा करती है। उन्होंने भण्डारण के लिए गोदामों की व्यवस्था की है। सीलिंग आदि से बचाने के लिए तख्त लगाये गये हैं और तिरपाल की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर,

यह बिल्कुल सही हालत में बांटा गया है। जहां तक इसमें धनराशि की गड़बड़ी की बात है यह कुल धनराशि 4 लाख 45 हजार 280 प्राप्त हुई थी और यह ढुलान के लिए थी।

मिक्स फूड को लाने के लिए जनपद उत्तरकाशी को 6 हजार रुपया दिया गया तथा भाड़ा आदि के लिए भुगतान 81 हजार 53 रुपया किया गया और शेष धनराशि का भुगतान बिलों के अनुसार ही किया जा रहा है। इसमें कोई गबन वाली बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश में वर्ष, 2003–04 के लिए कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को क्रय करने हेतु प्रकाशकों की संस्तुति का मानक

*7–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री मिज्ञ हैं कि शिक्षा विभाग के एस०सी०ई०आर०टी० नरेन्द्रनगर के अपर निदेशक के पत्रांक 1763–79/पु०स०/2003–04, दिनांक 16 जून, 2003 द्वारा सत्र 2003–04 हेतु कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें क्रय करने हेतु उत्तरांचल के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया था ?

यदि हॉं, तो किन–किन प्रकाशकों की पुस्तकें क्रय करने हेतु संस्तुति की गई थी तथा संस्तुति हेतु मानक क्या था ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

एस०सी०ई०आर०टी० नरेन्द्रनगर के अपर निदेशक के पत्रांक 1763–79/पु०स०/2003–04, दिनांक 16 जून, 2003 द्वारा कतिपय पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग में लाने हेतु विचार करने के लिए समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया था।

मास्टर माइन्ड पब्लिकेशन मेरठ, साहित्य भवन प्रकाशन आगरा, भारत प्रकाशन मन्दिर मेरठ, राजीव प्रकाशन इलाहाबाद, चित्रा प्रकाशन मेरठ, भारत प्रकाशन लखनऊ, प्रकाश पब्लिकेशन लखनऊ, प्रकाशन केन्द्र लखनऊ, हिन्दी प्रचारक पब्लिकेशन वाराणसी, केदारनाथ रामनाथ, मेरठ, नवीन प्रकाशन मेरठ, राज हंस प्रकाशन मेरठ एवं नवीन प्रकाशन प्रकाश पब्लिकेशन तथा उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित पुस्तकों को लगाये जाने हेतु विचार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

एस०सी०ई०आर०टी० उत्तरांचल द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में 46 विषय विशेषज्ञों द्वारा इन प्रकाशकों की प्रकाशित पुस्तकों को समीक्षा में अधिक उपयोगी पाया गया।

बेसिक पाठशालाओं में संचालित मध्याह्न भोजन व्यवस्था का निरीक्षण

*8–श्रीमती आशा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की बेसिक पाठशालाओं में संचालित मध्याह्न भोजन मैदानी क्षेत्र की पाठशालाओं की भांति पर्वतीय क्षेत्र की पाठशालाओं

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 06 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

में भी सुचारु रूप से संचालित किये जाने की दृष्टि से समय–समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है ?

यदि हाँ, तो इस हेतु क्या व्यवस्था की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

योजना के सफल संचालन एवं अनुश्रवण हेतु विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के सी0टी0 संवर्ग के शिक्षकों को पंचम वेतनमान स्वीकृत करने पर विचार

*9–श्री प्रकाश पंत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के सी0टी0 संवर्ग के शिक्षकों को केन्द्रीय पंचम पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

परीक्षणोपरान्त यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

गंगोलीहाट (पिथौरागढ) में कालेजवार प्रवक्ताओं/अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची एवं उन्हें भरने के उपाय

1–श्री नारायणराम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पिथौरागढ के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगोलीहाट में कालेजवार रा0इ0 कालेजों में कितने प्रवक्ताओं तथा रा0उ0मा0वि0 में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ?

इन रिक्त पदों को भरने की क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जिला पिथौरागढ के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगोलीहाट में रा0इ0 कालेजों/ रा0उ0मा0वि0 में क्रमशः प्रवक्ता के 93 तथा सहायक अध्यापक के 71 पद रिक्त हैं। कालेजवार विवरण संलग्न है। (नत्थी 'क')

(विवरण देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 117 पर)

प्रवक्ताओं के 1218 रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा सम्पादित की जा चुकी है और सहायक अध्यापकों के 900 पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

नैनीताल स्थित दुर्गामल शाह पुस्तकालय की वित्तीय स्थिति

2—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल की नगर पालिका परिषद् नैनीताल द्वारा संचालित दुर्गामल शाह पुस्तकालय की आर्थिक स्थिति अत्यन्त जर्जर है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुस्तकालय को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पुस्तकालय नगर पालिका परिषद् द्वारा संचालित है।

खानपुर (हरिद्वार) के प्राथमिक विद्यालय डुमनपुरी एवं गोवर्धनपुर से कतिपय सहायक अध्यापकों का स्थानान्तरण

3—श्री कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के खादर क्षेत्र स्थित विकास खण्ड खानपुर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, डुमनपुरी (खानपुर), प्रा0वि0 रुहाल्की तथा प्रा0वि0 गोवर्धनपुर (खानपुर) से कतिपय सहायक अध्यापकों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

क्या यह सत्य है कि ब्लॉक खानपुर, जो कि अति पिछड़े क्षेत्र हैं, के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी है ?

यदि हाँ, तो स्थानान्तरण किए जाने का क्या कारण है ?

क्या सरकार जनहित एवं छात्रहित में इन विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जनपद हरिद्वार के खादर क्षेत्र स्थित विकास खण्ड खानपुर के अन्तर्गत प्राथमिक

विद्यालय डुमनपुरी (खानपुर), प्रा0वि0 रुहाल्की तथा प्रा0वि0 गोवर्धनपुर (खानपुर) से सहायक अध्यापकों को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय को सम्मिलित करने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार

4–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विषय के पठन–पाठन के कार्य हेतु अतिरिक्त शिक्षकों को नियुक्त किये जाने पर विचार कर रही है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं। कार्यरत शिक्षकों को ही प्रशिक्षण देकर पठन–पाठन हेतु तैयार किया जा रहा है।

टिहरी विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में भवन, क्रीड़ास्थल एवं अन्य सुविधाओं पर विचार

5–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितने माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय भवनहीन, जीर्ण–क्षीर्ण, शौचालय विहीन तथा क्रीड़ांगन विहीन हैं ?

क्या सरकार छात्रहित में उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

टिहरी विधान सभा क्षेत्र में भवनहीन, जीर्ण–क्षीर्ण, शौचालय विहीन तथा क्रीड़ांगन विहीन विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है:–

भवनहीन

रा0 माध्यमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय
00	00	00

जीर्ण–शीर्ण

रा0 माध्यमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय
03	05	58

शौचालय विहीन

रा0 माध्यमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय
00	59	213

क्रीडांगन विहीन

रा0 माध्यमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय
25	59	213

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत चरणबद्ध रूप से।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी में नौगांव के प्राथमिक विद्यालय बडोगी से चयनित शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण

6–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बडोगी में दि0 05–12–2003 को चयनित शिक्षा मित्र अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु कब तक भेज दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बडोगी में दिनांक 05–12–2003 को ग्राम प्रधान द्वारा जिस शिक्षा मित्र का चयन किया गया था, वह चयन विधिवत नहीं था।

उत्तरांचल में संस्कृत विद्यालयों की संख्या

7—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितने संस्कृत विद्यालय हैं तथा वर्तमान में कितने बन्द पड़े हैं ?

क्या संस्कृत अकादमी की स्थापना हो जाने पर सरकार इन सभी बन्द पड़े संस्कृत विद्यालयों को अनुदान की श्रेणी में रखकर पुनः प्रारम्भ करवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

उत्तरांचल में 88 संस्कृत विद्यालय हैं और कोई संस्कृत विद्यालय बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड द्वारीखाल, यमकेश्वर व दुगड्डा के प्राथमिक विद्यालयों में मानकानुसार अध्यापकों की नियुक्ति

8—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के वि0खं0 द्वारीखाल, यमकेश्वर तथा दुगड्डा के प्रा0 विद्यालयों में मानकानुसार अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है ?

क्या यह सत्य है कि अभी तक दुर्गम स्थानों के सभी विद्यालयों में एक ही अध्यापक नियुक्त हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन विद्यालयों में अन्य अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

जी नहीं। दुर्गम स्थानों के कतिपय विद्यालयों में दो—दो अध्यापक भी नियुक्त हैं।

दुर्गम क्षेत्र के एकल विद्यालयों में विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में अउत्तरांचलवासियों को विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण देने पर रोक

9–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में पीताम्बर पुत्र नत्थू सिंह, विजय शर्मा पत्नी संजय कुमार, मुरारी लाल पुत्र महेश्वर प्रसाद तथा सरिता पत्नी जगमोहन सिंह बाहरी राज्य के जनपदों के मूल निवासी हैं ?

क्या यह सत्य है कि उक्त व्यक्ति स्थायी निवास प्रमाण–पत्र बनाकर विशिष्ट बी0टी0सी0 में चयनित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी तथा उपरोक्त चारों अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण पर तत्काल रोक लगायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

पीताम्बर पुत्र नत्थू सिंह को जनपद उत्तरकाशी का स्थाई निवास प्रमाण–पत्र उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी द्वारा निर्गत किया गया है। विजय शर्मा पत्नी संजय कुमार का स्थाई निवास प्रमाण–पत्र उप जिलाधिकारी, बड़कोट द्वारा निर्गत किया गया है। मुरारीलाल पुत्र महेश्वर प्रसाद को स्थाई निवास प्रमाण–पत्र उप जिलाधिकारी, पुरोला द्वारा निर्गत किया गया है और इसी प्रकार सरिता पत्नी जगमोहन सिंह को मूल निवास प्रमाण–पत्र उप जिलाधिकारी, डुण्डा द्वारा निर्गत किया गया है।

जी हाँ।

उपरोक्त व्यक्तियों को सक्षम अधिकारी के द्वारा स्थाई निवास प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में प्रवेश दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा आचार्यों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा

10–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा आचार्यों के मानदेय को एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये किये जाने की घोषणा दिनांक 15–01–2004 को की गई थी ?

यदि हाँ, तो शिक्षा आचार्यों का मानदेय बढ़ाया जा चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के प्रा0वि0 नारखोली के जीर्ण–शीर्ण भवन का पुनर्निर्माण

11–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रा0वि0 नारखोली के भवन की दीवार तथा छत में दरारें पड़ने से वर्षा का पानी कमरे के अन्दर आ रहा है, जिस कारण भवन कभी भी गिर सकता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नये भवन बनाये जाने हेतु विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्ष 2005–06

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी को मई, 2004 में इण्डिया मिक्स फूड हेतु प्राप्त धनराशि एवं उसका व्यय

12–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा विभाग उत्तरकाशी को माह मई, 2004 में डेनमार्क सरकार से उपहार इण्डिया मिक्स फूड के अन्तर्गत वितरण हेतु कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा प्राप्त धनराशि का व्यय किन–किन मदों पर किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद उत्तरकाशी में इण्डिया मिक्स फूड के अन्तर्गत कुल धनराशि रु0 9,45,280/– प्राप्त हुई, जिसमें से व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(1) निविदा विज्ञप्ति का भुगतान रु0 1265/–

(2) मिक्स फूड सामग्री रख–रखाव का किराया जनपद उत्तरकाशी का भुगतान रु0 6000/–

(3) मिक्स फूड ढुलान का भाड़ा रु0 81053/–

(4) अवशेष राशि से लम्बित बिलों का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में रा0इ0का0 में रिक्त पदों पर प्रवक्ताओं व अध्यापकों की नियुक्ति

13–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ताओं तथा अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार द्वारा रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती करने की कोई योजना विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद ऊधमसिंह नगर के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता के 15 तथा सहायक अध्यापक के 03 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

सीधी भर्ती के 1219 प्रवक्ता के रिक्त पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और प्रोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भी भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है।

सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की मानक से अधिक तैनाती का आधार

14–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे जनपद उत्तरकाशी के किन–किन प्राथमिक विद्यालयों में मानकों से अधिक अध्यापकों की तैनाती की गयी तथा विद्यालयवार छात्र संख्या क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त तैनाती किस आधार पर की गयी है तथा इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

क्या सरकार दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद उत्तरकाशी के 30 प्राथमिक विद्यालयों में 31 अध्यापक मानक से अधिक कार्यरत हैं। ऐसे विद्यालयों की सूची एवं छात्र संख्या का विवरण संलग्न है।

विद्यालयों में मानक से अधिक अध्यापकों के नियुक्त होने का कारण अध्यापकों द्वारा नियुक्ति/पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करना और विद्यालय की छात्र संख्या में कमी होना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(विवरण देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 118 पर)

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की ग्राम सभा तालीकनसारी के कनसारी गांव में प्राथमिक विद्यालय को स्वीकृति

15–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की ग्राम सभा तालीकनसारी के कनसारी गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति कब प्रदान की गयी थी ?

क्या उक्त विद्यालय वर्तमान में संचालित हो रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के ग्राम सभा तालीकनसारी के कनसारी गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति वर्ष 1997–98 में प्रदान की गयी थी।

जी नहीं।

विद्यालय भवन निर्माणाधीन है।

16–श्री हरभजन सिंह चीमा–

प्रथम गुरुवार के अता0 37 में स्था0।

विकास खण्ड नौगांव उत्तरकाशी के प्राथमिक विद्यालय मोलागांव की क्षतिग्रस्त छत का पुनर्निर्माण

17–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मोलगांव की छत दो वर्ष पूर्व आंधी व तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं के हितों को मध्य नजर रखते हुए उक्त विद्यालय का पुनर्निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के मैषागाड़ (ज्ञानसू) नगर क्षेत्र में नवसृजित कन्या उच्च प्राथमिक ग्राम मोताड़ को स्थानान्तरित करने के कारण

18–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के मैषागाड़ (ज्ञानसू) नगर क्षेत्र में नवसृजित कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम मोताड़ विकास खण्ड मोरी नाम स्वीकृत विद्यालय को ज्ञानसू नगर क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के ग्राम मोताड़ में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के ग्राम मोताड़ में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति ही नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी के नौगांव के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मताड़ी व नकोड़ा में अध्यापकों की तैनाती

19–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मताड़ी व प्राथमिक विद्यालय नकोड़ा में अध्यापकों की तैनाती न किये जाने के कारण विद्यालय में ताले लटके हुये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त विद्यालयों में शीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति करेगी तथा इसके लिए सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के प्राथमिक विद्यालय मताड़ी एवं नकोड़ा में वर्तमान में विद्यालय खुले हैं और शिक्षण कार्य संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता। मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भाँति ग्रेच्युटी

20–श्री हरबंस कपूर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु की सेवा पर ग्रेच्युटी सुविधा राज्य कर्मचारियों की भांति प्रदान की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

बोर्ड परीक्षा में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कक्ष निरीक्षक की भांति पालीवार पारिश्रमिक सुविधा

21–श्री हरबंस कपूर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कक्ष निरीक्षक की भांति पालीवार पारिश्रमिक सुविधा प्रदान करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

बोर्ड परीक्षाओं में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पालीवार पारिश्रमिक की सुविधा पूर्व से प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बोर्ड परीक्षाओं में पालीवार पारिश्रमिक की सुविधा पूर्व से अनुमन्य है।

प्रदेश के सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पंचम वेतनमान लागू होने से उत्पन्न विसंगतियाँ

22—श्री हरबंस कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पंचम वेतनमान लागू होने के पश्चात् उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने हेतु कोई शासनादेश निर्गत किया गया है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन है।

जनपद अल्मोड़ा में रा0इ0 कॉलेज हवालबाग के ध्वस्त भवन का जीर्णोद्धार

23—श्री कैलाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में रा0 इण्टर कॉलेज हवालबाग के पूर्ण ध्वस्त भवन के जीर्णोद्धार हेतु सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2004—05 में उच्चीकृत हाईस्कूल व इण्टर कॉलेजों में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया

24—श्री कैलाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2004—05 में उच्चीकृत हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेजों में स्वीकृत पदों पर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के बालिका हाईस्कूल नारायण तेवाड़ी देवाल के भवन विहीन विद्यालय का भवन निर्माण

25–श्री कैलाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बालिका हाईस्कूल नारायण तेवाड़ी देवाल का विद्यालय भवन न होने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय हेतु भवन निर्माण करवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

वर्तमान में किराये के भवन में विद्यालय संचालित है।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन है।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

रा0 इ0 कॉलेज, कनखुल चमोली में प्रधानाचार्य व अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

26–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के रा0 इ0 कॉलेज, कनखुल में वर्तमान में प्रधानाचार्य सहित कुल कितने अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं ?

क्या सरकार इन पदों पर तैनाती किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

रा0 इ0 कॉलेज, कनखुल, चमोली में प्रधानाचार्य सहित अध्यापकों के कुल 08 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

नियुक्ति/पदोन्नति से यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्वशिक्षा के अन्तर्गत जनपदवार प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों का निर्माण एवं इनकी चयन प्रक्रिया

27—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सर्वशिक्षा के अन्तर्गत जनपदवार कुल कितने प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों का निर्माण किया गया ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन विद्यालयों की चयन प्रक्रिया में मा0 विधायकों एवं सांसदों को भी जोड़ा गया था ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 544 प्राथमिक एवं 549 जूनियर हाई स्कूलों का निर्माण जनपदवार निम्नानुसार किया जा रहा है :—

जनपद	प्रा0वि0	जू0हा0 स्कूल
अल्मोड़ा	113	48
बागेश्वर	0	30
चम्पावत	0	40
पिथौरागढ़	0	44
नैनीताल	36	20
ऊधमसिंह नगर	75	30
चमोली	90	78
रुद्रप्रयाग	53	35
पौड़ी	88	26
देहरादून	89	68
उत्तरकाशी	0	35
टिहरी	0	63
हरिद्वार	0	32

नवीन प्राथमिक एवं नवीन जूनियर हाई स्कूलों के चयन में बेसिक शिक्षा समिति में मा0 सांसद एवं मा0 विधायक या उनके प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। परियोजना के अन्तर्गत जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित की गयी है, जिसमें मा0 सांसदों एवं मा0 विधायकों की संस्तुतियाँ एवं प्रस्तावों को वरीयता के आधार पर लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा के रा0 कन्या हाई स्कूल, बाड़ेछीना तथा जलना के उच्चीकरण की मांग

28—श्री कैलाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रा0 कन्या हाईस्कूल, बाड़ेछीना तथा रा0 कन्या हाईस्कूल, जलना को उच्चीकृत किये जाने की मांग क्षेत्र की जनता लम्बे समय से करती आ रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत तथा मानकानुसार यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड भैसियाछाना अल्मोड़ा के जूनियर हाई स्कूल, पेटशाल व वि0 खण्ड हवालबाग के जू0 हा0 स्कूल, बल्टा का उच्चीकरण

29—श्री कैलाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा वि0ख0 भैसियाछाना के जू0 हाई स्कूल पेटशाल तथा वि0ख0 हवालबाग के जू0 हाई स्कूल, बल्टा का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण हेतु जनता लम्बे अर्से से मांग करती आ रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत तथा मानकानुसार यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 तक नवीन स्कूलों की स्वीकृति व ध्वस्त भवनों के पुनर्निर्माण का मानक

30—श्री कैलाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में सर्वशिक्षा अभियान

के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 तक सभी विकास खण्डों में समानता के आधार पर कुल कितने जू0 हाई स्कूलों की स्वीकृति तथा कितने पूर्ण ध्वस्त जू0 हाई स्कूलों के नये भवन बनाये गये हैं ?

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि नये विद्यालयों की स्थापना तथा पूर्ण ध्वस्त भवनों के स्थान पर नये भवनों के निर्माण के लिए क्या मानक तय किये गये हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद अलमोड़ा के सभी विकास खण्डों में वर्ष 2004–05 तक 32 नवीन जूनियर हाई स्कूल एवं 16 पूर्ण ध्वस्त जूनियर हाई स्कूल पुनर्निर्माण स्वीकृत हुए थे जिनका निर्माण किया जा रहा है।

नये विद्यालय की स्थापना हेतु निर्धारित मानक सेवित क्षेत्र की जनसंख्या एवं निकटतम विद्यालयों की दूरी (प्राथमिक विद्यालयों हेतु जनसंख्या 300 एवं निकटतम दूरी 1.0 किमी0 तथा जूनियर हाई स्कूल के लिए जनसंख्या 500 तथा निकटतम दूरी 3.0 किमी0) निर्धारित हैं। ध्वस्त भवनों के पुनर्निर्माण हेतु विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति, प्राकृतिक प्रकोप से क्षतिग्रस्त भवनों तथा पुराने भवन की स्थिति एवं क्रमोत्तर विद्यालय जिनके पास भवन नहीं है, को प्राथमिकता दी जाती है।

लमगड़ा वि0खं0 अल्मोड़ा के जू0हा0 स्कूल सत्यों में ध्वस्त भवनों के पुनर्निर्माण में हुई अनियमितताओं की जाँच

31–श्री कैलाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा वि0खं0 में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जू0 हाई स्कूल सत्यों के पूर्ण ध्वस्त भवन के स्थान पर नये भवन के निर्माण में व्याप्त अनियमितताओं की जांच सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा की जा चुकी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलमोड़ा में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2004–05 में स्वीकृत नये हाई स्कूल एवं ध्वस्त भवनों के निर्माण का मानक

32–श्री कैलाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 हेतु स्वीकृत नये जू0 हाई स्कूल एवं पूर्ण ध्वस्त भवन किन मानकों के आधार पर तय किये गये ?

क्या उपरोक्त प्रक्रिया में विधायकों के प्रस्तावों को भी सम्मिलित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में 10 नवीन जूनियर हाई स्कूल खोले गये तथा कोई पूर्ण ध्वस्त स्वीकृत नहीं है। नवीन जूनियर हाई स्कूल खोलने के लिए सेवित क्षेत्र की जनसंख्या 800 तथा निकटतम विद्यालय की दूरी 03 किमी0 विभागीय मानक निर्धारित है। ऐसे भवन जो ध्वस्त हों और तकनीकी विभाग प्रमाणित कर दे, पूर्ण ध्वस्त घोषित किये जाते हैं।

नवीन जू0 हाई स्कूल स्वीकृति में मा0 विधायकों के प्रस्ताव भी सम्मिलित किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का विवरण

33–श्री अनिल नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में कुल कितने अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हुए तथा उनका विवरण क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

वर्ष 2003–04 में प्राथमिक शिक्षा में कुल 287 तथा माध्यमिक शिक्षा में कुल 293 अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हुए। इनका विवरण निम्नवत् है :–

प्राथमिक शिक्षा:–

1.	निदेशालय स्तर से	48
2.	गढ़वाल मण्डल स्तर से	121
3.	कुमायूँ मण्डल	118
	कुल	287

माध्यमिक शिक्षा:–

1.	निदेशालय स्तर से	09
2.	गढ़वाल मण्डल स्तर से	172
3.	कुमायूँ मण्डल	112
	कुल	293

जनपद अल्मोड़ा के वि0खं0 भैसियाछाना, हवालबाग व लमगड़ा में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति का मानक

34–श्री कैलाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड भैसियाछाना, हवालबाग तथा लमगड़ा के कितने प्राथमिक विद्यालयों में एक ही अध्यापक नियुक्त है तथा कितने प्राथमिक विद्यालयों में मानक से अधिक अध्यापक नियुक्त हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड भैसियाछाना के 25, विकास खण्ड हवालबाग के 21 तथा विकास खण्ड लमगड़ा के 47 प्राथमिक विद्यालयों में एक ही अध्यापक नियुक्त है। इन विकास खण्डों के 51 प्राथमिक विद्यालयों में 58 अध्यापक मानक से अधिक कार्यरत हैं।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2004 को मुनी–की–रेती में स्कूलों के अतिरिक्त कक्षों हेतु की गई घोषणा का क्रियान्वयन

35–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2004 को हर्बल पार्क मुनी–की–रेती के उद्‌घाटन अवसर पर मुनी–की–रेती में रा0 इ0 का0, रौणद, गारूडधार, रजाखेत, ओखलाखाल, लम्बगांव जनपद टिहरी गढ़वाल में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु 5–5 लाख रु0 दिये जाने की घोषणा की गई थी ?

यदि हाँ, तो उक्त विद्यालयों को कब तक घोषित धनराशि उपलब्ध करा दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में जलागम विभाग की इकाई खोले जाने का प्रस्ताव

36–श्रीमती आशा देवी–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि में जलागम विभाग की कोई इकाई खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जी हाँ।

जलागम प्रबन्धन विभाग द्वारा अगस्त्यमुनि विकास खण्ड के चिन्का, पौग्टागाड़, सुरगाड, बन्यारीगाड़ एवं क्यून्जागाड, सूक्ष्म जलागमों के 50 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) का वित्तीय वर्ष 2005–06 से क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के जू0हा0 स्तर पर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को राजकीय मुद्रणालय रुड़की द्वारा पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की योजना

37–श्री प्रकाश पंत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के जूनियर हाई स्कूल स्तर तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों को राजकीय मुद्रणालय रुड़की द्वारा पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्या सभी विद्यालयों में 31 अक्टूबर, 2004 तक सभी पुस्तकें उपलब्ध करा दी गयी थी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्ष 2004 हेतु मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा पुस्तकों की मांग नहीं की गयी थी।

उत्तरांचल में जीव विज्ञान एल0टी0 वेतनक्रम तथा प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति

38–श्री बलबीर सिंह नेगी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल एवं श्री हेमेश खर्कवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में सरकारी विद्यालयों में एल0टी0 वेतनक्रम तथा प्रवक्ता के पदों पर जीव विज्ञान विषय में कुल कितने सहायक अध्यापक तथा प्रवक्ता सेवारत हैं कितने पद रिक्त हैं ?

सरकार जीव विज्ञान विषय में सहायक अध्यापकों तथा प्रवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकारी विद्यालयों में कब तक पूरी करेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल के राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता जीव विज्ञान में 476 तथा सहायक अध्यापक जीव विज्ञान में 1941 शिक्षक कार्यरत हैं।

प्रवक्ता जीव विज्ञान के 252 तथा सहायक अध्यापक जीव विज्ञान के 220 पद रिक्त हैं।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

39–श्री फूल सिंह बिष्ट–

प्रथम सो0 के अता0 182 में स्था0।

वि0खं0 कनालीछीना पिथौरागढ़ में वर्ष 2000 से प्रारम्भ प्राइमरी पाठशाला चौपाता का भवन निर्माण

40–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के प्राइमरी पाठशाला चौपाता, जो कि वर्ष 2000 से प्रारम्भ हो चुका है का पठन–पाठन का कार्य खुले में ही किया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि विद्यालय भवन को अभी तक हस्तान्तरित नहीं किया है ?

क्या सरकार उक्त भवन को इसी शैक्षिक सत्र में विद्यालय को हस्तान्तरित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जी हाँ।

भवन का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में भवन को हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2004 को मुनी–की–रेती में हाई स्कूल, कण्डियालगांव के उच्चीकरण की घोषणा का क्रियान्वयन

41–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा 26 फरवरी, 2004 को मुनी–की–रेती में हर्बल पार्क के उद्घाटन के अवसर पर जनपद टिहरी गढ़वाल में हाई स्कूल, कण्डियालगांव को इण्टर कालेज स्तर तक उच्चीकरण किये जाने की घोषणा की गई थी ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त विद्यालय उच्चीकृत कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत मानकानुसार यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2004 की मुनी–की–रेती में हाई स्कूल, थापला ओंण के उच्चीकरण की घोषणा का क्रियान्वयन

42–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा 26 फरवरी, 2004 को मुनी–की–रेती में हर्बल पार्क के उद्घाटन के अवसर पर हाई स्कूल, थापला ओंण जनपद टिहरी गढ़वाल का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण की घोषणा की गई थी ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त हाई स्कूल को उच्चीकृत कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत तथा मानकानुसार यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य निर्माण से अब तक प्रदेश में हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट विद्यालयों का जनपदवार उच्चीकरण का ब्यौरा

43–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य निर्माण से अब तक बड़ी संख्या में हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के रूप में प्रदेश में अनेक विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है ?

यदि हाँ, तो जनपदवार इनकी संख्या को अंकित करते हुये आख्या को सदन के पटल पर रखेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जनपदवार उच्चीकृत विद्यालयों की संख्या संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(संख्या देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 119 पर)

चमोली के वि0खं0 कर्णप्रयाग के प्रा0वि0 कालूरौंण के क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण

44—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के प्रा0वि0 कालूरौंण का भवन पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उक्त विद्यालय भवन निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

प्राथमिक विद्यालय कालूरौंण के क्षतिग्रस्त भवन का पुनर्निर्माण सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस वर्ष 2004—05 में करवाया जा रहा है। इस हेतु धनराशि विद्यालय के संयुक्त खाते में हस्तान्तरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2004 को मुनि—की—रेती में जूनियर हाई स्कूल, मंदार के उच्चीकरण की घोषणा का क्रियान्वयन

45—श्री फूल सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2004 को मुनी—की—रेती में हर्बल पार्क के उद्घाटन के अवसर पर जूनियर हाई स्कूल, मंदार—जनपद टिहरी गढ़वाल का हाई स्कूल तक उच्चीकरण कराये जाने की घोषणा की गई थी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत तथा मानकानुसार यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य मंत्री पदनाम के उपयोग पर काजी निजामुद्दीन द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

*काजी निजामुद्दीन—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, इसे प्रश्न काल में ही सम्बन्धित माना जा सकता है, लेकिन परम्परा है कि प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है इसलिए इसे अब उठा रहा हूँ।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यदि हम संविधान के अनुच्छेद 164 को देखें तो उसमें लिखा है कि "मंत्रिपरिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।" तथा कार्य संचालन नियमावली को देखें तो इसमें भी उल्लेख है कि "मंत्री" का तात्पर्य "मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य से है, इसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करें।"

मान्यवर, आज पहले ही प्रश्न को हमारे माननीय सदस्य श्री प्रणव सिंह चैम्पियन जी ने पूछा था जो कि अपने आप को राज्य मंत्री लिखते हैं, अगर वे राज्य मंत्री हैं तो प्रश्न कैसे कर सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं तो राज्य मंत्री कैसे हैं ? मान्यवर, आज दर्जनों की संख्या में लाल बत्ती है, सौभाग्य से आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में हैं। मान्यवर, कई लोग कहीं पर काम हुआ तो शिलापट में लिखा जाता है राज्य मंत्री आदि राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री लिखते हैं, इनके पैड को देखा जा सकता है। तो मान्यवर, अगर यह राज्य मंत्री हैं तो प्रश्न कर सकते हैं और यदि प्रश्न कर सकते हैं तो राज्य मंत्री कैसे हैं ? इस पर मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहिए।

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, अगर सरकार की तरफ से निर्देश आये कि इसे सुरक्षित रख दें, यह तो ठीक नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, नेता बसपा ने जो प्रश्न किया है, वह टेक्निकली महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राज्य में जो जनसेवक हैं जो चुनकर विधान सभा में आते हैं, उनको उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर राज्य मंत्रियों का दर्जा दिया जाता है, इसमें यह नहीं है कि वे कैबिनेट के सदस्य हो गये। अभी–अभी उत्तर प्रदेश में देखा जाय तो वहां पर राज्य मंत्रियों की संख्या 40 से 45 के बीच की है, उन्हें भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उत्तर प्रदेश की बात मैंने इसलिए की कि वह हमारा पड़ोसी और सबसे नजदीकी राज्य है। अन्य प्रदेशों में भी यह व्यवस्था है। माननीय सदस्य लकसर यदि राज्य मंत्री लिख रहे हैं तो यह माना जायेगा कि उन्हें राज्य मंत्री का स्तर प्राप्त है। मेरा इस विधान सभा के माननीय सदस्यों से अनुरोध है जो कि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं वे स्तर स्पष्ट करें।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, जो पूर्व में हैं वे क्या लिखेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वे लिखेंगे कि पूर्व राज्य मंत्री स्तर या दर्जा प्राप्त।

श्री अध्यक्ष–

संविधान के अन्तर्गत देखें तो जिन्होंने शपथ ली है ....।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, उसमें भी तो संशोधन होना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, पत्थर तो अपने गीत स्वयं गाते हैं।

(हँसी)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य स्व0 श्री शिवानन्द नौटियाल एवं स्व0 श्री रामचन्द्र उनियाल के निधन पर शोकोद्गार

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ कि डा0 शिवानन्द नौटियाल जी बहु आयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जीवन पर्यन्त उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तरांचल भी एक अंग के रूप में समाहित था, की सेवा की। उनका व्यक्तित्व असाधारण था और वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने प्रशासनिक सेवा भी की। अरुणांचल प्रदेश (नेफा) में शोध अधिकारी, भारत सरकार तथा दिल्ली प्रशासन शिक्षा विभाग में प्रवक्ता भी आप रहे। आपने हिन्दी एवं समाजशास्त्र में एम0ए0 तथा हिन्दी में पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त की। आप वर्ष 1967 से 1974 तक शैलोदय नामक साहित्यिक पत्रिका के सम्पादक रहे। अभी उनकी एक पुस्तिका का विमोचन उनकी मृत्यु के पश्चात् करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आपकी 12 से अधिक गढ़वाली, कुमाऊनी विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। दोनों बोलियों में आपका समान अधिकार था। आपके विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, धर्मयुग, नवनीत आदि में 300 से भी अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं। अभी हम योजना बना रहे हैं उनकी जो अप्रकाशित पुस्तकें हैं, उनके प्रकाशन के लिए हमारी तरफ से सहायता दी जाएगी। आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी सदस्य तथा सदस्य, ए0आई0सी0सी0 भी रहे। आपने 1969 से 1991 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में पौड़ी व कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उनकी एक विशेषता यह थी कि देहली से लखनऊ तक जितने भी उत्तरांचल वासी थे, उनकी कन्वेसिंग के लिए उनके विधान सभा क्षेत्र में गए। आप 1977 से 1980 तक उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान एवं वर्ष 1996 से 1999 तक उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष रहे। आपको अनेकों पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए। जुलाई 2000 में नागरिक परिषद् देहरादून द्वारा आपको "उत्तरांचल रत्न" की उपाधि प्रदान की गयी। हमें उम्मीद थी कि वह अपनी लेखनी से हमें तथा पूरे देश को साहित्य के नये–नये ग्रन्थ उपलब्ध कराएं लेकिन दुर्भाग्य वश अचानक 2 अप्रैल, 2004 को लखनऊ में डा0 नौटियाल का निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी बागेश्वरी नौटियाल, तीन पुत्र तथा दो पुत्रियाँ हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुँचा दें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। स्वर्गीय डा0 शिवानन्द नौटियाल जी को मैं व्यक्तिगत रूप से

जानता था। मैं उनके साथ कई बार रहा। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री बना था तो मैंने आपसे ही मार्ग–दर्शन लिया था। आप बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। आपने कई किताबें लिखीं। आपने हिन्दी एवं समाजशास्त्र में एम0ए0 तथा हिन्दी में पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त की। डा0 नौटियाल लगनशील समाज सेवक एवं साहित्यकार थे। आज हमें उनका अभाव खल रहा है क्योंकि 2 अप्रैल, 2004 को डा0 नौटियाल का देहावसान हो गया।

मान्यवर, उनका लखनऊ में देहावसान हो गया। मैं इस अवसर पर यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि जब श्री नौटियाल जी शिक्षा मंत्री और पर्वतीय विकास मंत्री थे तो उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किये जिनका वर्णन इस वक्त नहीं किया जा सकता। मैं तो श्री नौटियाल जी को विकास पुत्र की संज्ञा दूँगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे दल की ओर से तथा मेरी ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को श्रद्धांजलि भेजने का कष्ट करें।

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय भण्डारी जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए तथा बहुजन समाज पार्टी की ओर से श्री नौटियाल को शोक संवेदना अर्पित करता हूँ। मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से शोक संवेदना के यह भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी स्वर्गीय श्री नौटियाल आज हमारे बीच में नहीं हैं उनका निधन 2 अप्रैल, 2004 को लखनऊ में हो गया। मान्यवर, मैं नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय श्री नौटियाल अपने आप में एक शख्सियत थीं। न केवल उन्होंने एक लम्बा राजनीतिक जीवन जिया बल्कि राजनीति के इतर उन्होंने साहित्य में भी गहरी रुचि दिखाई और साहित्य के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। साहित्य में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता उसी योगदान के कारण वह लम्बे समय तक हमारे बीच में मौजूद रहेंगे, जीवित रहेंगे। उत्तराखण्ड के इतिहास में भी उनकी विशेष रुचि थी और यहाँ का विशद ज्ञान भी था हमने उत्तराखण्ड के इतिहास की कई पुस्तकें उनकी पढ़ी हैं। मेरा उनके साथ कोई बहुत अधिक साथ तो नहीं था किन्तु जब भी मैं उनसे मिला मैंने उनमें एक विलक्षण प्रतिभा देखी। वे एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बात चाहे कोई बहुत छोटी हो या बड़ी वे हर चीज में गहरी रुचि रखते थे तथा प्रत्येक बात पर काफी चिंतन मनन भी करते थे। उनकी मृत्यु से पूर्व जब उनको देहरादून में सम्मान दिया गया था तो वह मेरी उनसे अंतिम भेंट थी। मान्यवर, हमने एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया जो न केवल राजनीतिज्ञ बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की तरफ ध्यान देने वाला, उनके उत्थान के लिए कटिबद्ध तथा विद्वान् एवं साहित्यकार था। उनके मन में समाज के कमजोर एवं गरीबों के प्रति विशेष

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दर्द था। हमें उनकी भावनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि हमारी ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे दलीय नेताओं ने दिवंगत श्री नौटियाल जी के निधन पर जो शोक संवेदना व्यक्त की और उनके लम्बे राजनीतिक जीवन तथा साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा दिये गये योगदान की विस्तार से सदन में जानकारी दी है। मैं अपने को इन सभी भावनाओं से सम्बद्ध करता हूँ।

जैसा कि आप सभी जानते हैं डा0 नौटियाल जी एक महान शिक्षाविद्, साहित्यकार तथा समाजसेवी थे। स्व0 नौटियाल ने उत्तर प्रदेश विधान सभा में पौढ़ी और कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने पर्वतीय विकास मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन बड़ी ईमानदारी के साथ किया और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। इन्होंने 54 पुस्तकें लिखी तथा 300 से अधिक लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, यह उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का द्योतक है। जो उनके अंदर क्षमता थी, उसको भी उन्होंने अपनी लेखनी से विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से उबारा। मैं ऐसे साहित्यकार, विद्वान्, शिक्षाविद् और समाजसेवी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपकी भावना उनके परिवार तक पहुँचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं अत्यन्त वेदना के साथ अपने स्वतंत्रता संग्राम के सहयोगी स्व0 रामचन्द्र उनियाल की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए खड़े होने की अनुज्ञा आप से चाहता हूँ। मान्यवर, स्व0 उनियाल जी विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गये थे। वर्ष 1942 में पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन में पकड़े गये और फिर 1943 में भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबंद रखे गये। मान्यवर, स्व0 उनियाल टिहरी रियासत में विधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे। आपने वर्ष 1958 से 1962 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में उत्तरकाशी विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आप 1959 से 1960 तक जनजाति क्षेत्रों हेतु कोल्टा कमेटी के सदस्य रहे। वर्ष 1974 से 1975 तक टिहरी–उत्तरकाशी वन समस्या अध्ययन समिति के अध्यक्ष रहे। स्व0 उनियाल वर्ष 1968 से 1976 तक बद्रीनाथ मंदिर समिति के सदस्य रहे तथा छः वर्ष तक यातायात पर्यटन समिति के अध्यक्ष रहे। आप टिहरी एवं उत्तरकाशी जिला कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे। स्व0 उनियाल जी का देहान्त 21 मई, 2004 को हो गया। मेरे इनके साथ आत्मीयता के सम्बन्ध रहे। मैं ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अपने सहयोगी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हुए प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाय।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय श्री रामचन्द्र उनियाल जी के

निधन पर शोक संवेदना प्रस्ताव सदन में रखा, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, स्वर्गीय श्री रामचन्द्र उनियाल जी का जन्म जनपद टिहरी गढ़वाल के संकलाना में 7 अक्टूबर, 1920 में हुआ। वे छात्र जीवन से संघर्षशील और राजनीति में सक्रिय रहे। वे लगनशील, समाजसेवक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपने वर्ष 1958 से 62 तक विधान सभा में उत्तरकाशी विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और अपने क्षेत्र का चहुँमुखी विकास किया। आज स्वर्गीय उनियाल जी हमारे बीच में नहीं रहे, किन्तु उनके किये हुये कार्यकलाप हमारे लिए मार्ग दर्शक के रूप में साबित होंगे और साथ ही जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में काम किया और समाज की सेवा के लिए जो कठिन परिश्रम किया वह हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे दल की ओर मेरी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता सदन और माननीय कण्डारी जी से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, स्वर्गीय श्री रामचन्द्र उनियाल जी का निधन 21 मई, 2004 को हो गया है, मैं उनके परिवार को अपने दल और अपनी ओर से उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री रामचन्द्र उनियाल जी हमारे बीच में नहीं रहे। लगभग 84–85 वर्ष की दीर्घ आयु जीने के बाद और समाज को एक बहुत बड़ा योगदान देने के बाद उनका निधन 21 मई, 2004 को हो गया। मान्यवर, स्वर्गीय उनियाल जी से हमारा सीधा सम्बन्ध और सम्पर्क नहीं रहा किन्तु उनके बारे में बहुत सारे साथियों से सुना है कि वे विलक्षण प्रतिभा के थे और एक जुझारू व्यक्ति भी थे और वे उस पीढ़ी के नेता रहे हैं जिस पीढ़ी के हमारे माननीय नेता सदन हैं और जिस पीढ़ी के नेताओं ने अंग्रेजों से हम सब को आजादी दिलाई। श्री उनियाल जी टिहरी रियासत के नागरिक थे और अंग्रेजों ने टिहरी रियासत में जुल्म ढाये थे। आप भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में पकड़े भी गये। आज स्वर्गीय श्री रामचन्द्र उनियाल जी हमारे बीच से चले गये हैं।

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैं अपनी भावनाओं को माननीय नेता सदन नेता प्रतिपक्ष नेता बसपा से सम्बद्ध करता हूँ। हमारी भावनाओं को संवेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचा दें।

*श्री विजयपाल सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि उत्तरकाशी महाविद्यालय का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० रामचन्द्र उनियाल के नाम से रखा जाये, मैं नेता सदन से यह अनुरोध करता हूँ।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

माननीय सदस्य द्वारा जो यह प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं पूरी तरह समादर करता हूँ। मैं पत्रावली में आवश्यक निर्देश दे दूँगा। इस सम्बन्ध में मेरा आग्रह यह है कि हम ऐसी पद्धति बनायें कि ऐसे प्रकरणों पर सदन के बाहर आपस में बातचीत कर लें। इसमें एक सप्ताह के अन्दर निर्णय हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा के पूर्व सदस्य और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 रामचन्द्र उनियाल जी के जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, माननीय नेता बसपा ने अपनी भावनायें व्यक्त की और जो शोक संवेदना व्यक्त की है मैं भी अपने आप को उससे सम्बद्ध करता हूँ। उनके जीवन के बारे में जो यहां पर जानकारियां दी हैं, वह आज हमारे बीच में नहीं हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान रहा है जो उनकी भूमिका रही है हम और आने वाली पीढ़ी हमेशा उनके इस योगदान को स्मरण करेगी। उन्होंने समाज को एक दिशा दी और वह जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु कोल्हा कमेटी के सदस्य रहे। 1958 से 1962 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में उत्तरकाशी विधान सभा क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वे बद्रीनाथ मंदिर समिति के सदस्य भी रहे तथा छः वर्ष तक यातायात पर्यटन समिति के अध्यक्ष रहे। आप टिहरी एवं उत्तरकाशी जिला कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे। मैं आप सब लोगों की भावनाओं को जो आपने शोक संवेदना उनके परिवार के प्रति व्यक्त की है, मैं आपकी भावनाओं को उनके परिवार तक पहुँचाऊँगा। हम सब उनकी आत्मा की शान्ति हेतु दो मिनट का मौन रखते हैं।

(दो मिनट का मौन रखा गया)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैं इसमें से डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री मदन कौशिक, श्री नारायण पाल, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल एवं श्री प्रीतम सिंह पंवार जी की सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत हेलंग उर्गम मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, जनपद चमोली कि विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत लिंक रोड के रूप में 20 वर्ष पूर्व हेलंग उर्गम मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका कि

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ष 2001–02 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चयन हुआ तथा मोटर मार्ग निर्माण कार्य मेगा टेक कम्पनी को दिया गया किन्तु कम्पनी द्वारा मात्र दो तीन स्थान पर दैवी आपदा से मलवा आने के कारण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य छोड़ दिया गया है जिससे कि उर्गम क्षेत्र के 12 ग्राम सभाओं की जनता यातायात से वंचित हो गयी है। इस मोटर मार्ग के निर्माण कार्य बन्द होने से स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है तथा आक्रोशित जनता धरना, प्रदर्शन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किये जाने के लिए बाध्य हो रही है। यह एक अत्यन्त लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि हेलंग उर्गम मोटर मार्ग का निर्माण करवाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा गंगा वैली में उच्च क्षमता की विद्युत लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा गंगा वैली पारेषण परियोजना के अन्तर्गत उच्च क्षमता विद्युत लाइन बिछाई जा रही है। ग्राम पंचायत अगर तहसील नरेन्द्र नगर, टिहरी के ऊपर भी ये लाइनें बिछाई जा रही हैं। इसके कारण इसके प्रभाव क्षेत्र में कई परिवारों के मकान आ रहे हैं। ग्रामवासियों की मांग है कि इन लाइनों के नीचे उनका रह पाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें या तो अन्यत्र बसाया जाय या उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाय। ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन को भी अपनी मांगों से अवगत कराने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पावर कारपोरेशन के लोग ग्रामीणों को धमका कर अपना कार्य जारी रखे हैं। उक्त स्थिति को लेकर ग्रामीणों व सम्बन्धित क्षेत्र में व्यापक क्षोभ एवं आक्रोष व्याप्त है। अतः अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।

गंगा स्नान करने आये श्री मिश्रीलाल को भिखारी समझकर बैंगर हाउस में बंद करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार में विगत् तीन माह पूर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला अन्तर्गत गोला गोकर्ण नाथ क्षेत्र का रहने वाला मिश्रीलाल, जो चौकीदार का कार्य करता था, गंगा स्नान हेतु आया था। लेकिन हरिद्वार पुलिस ने उसे भिखारी समझकर बैंगर हाउस में बंद कर दिया। घर न लौटने और इंतजार के बाद उसकी पत्नी आरती एवं दो छोटे मासूम बच्चे व बेटी ज्योति बेटा सोनू को साथ लेकर हरिद्वार आकर अपने पति को छुड़ाने के लिए आजकल कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक उसके पति को नहीं छोड़ा गया है। उधर बैंगर हाउस में मिश्री लाल ने अन्न त्याग दिया है। जिससे उनकी हालत खराब हो रही है। इस अविलम्बनीय, लोकमहत्व और तात्कालिक विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र को परगना बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियम 301 के अन्तर्गत करीब एक साल पहले जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र को सरकार ने परगना बनाने की घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया सूचना को पढ़ दें। लिखित सूचना को पढ़ दें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज क्षेत्र को परगना बनाने की अपेक्षा की गयी थी। यह घोषणा सरकार ने सम्वत् 2003 में की थी लेकिन अभी तक इसको कार्यरूप नहीं दिया गया है। ना ही परगना बनाकर पी0सी0एस0 स्तर की नियुक्ति कर परगनाधिकारी बनाया गया है। मैं इस विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

नैनीताल–पंगूट–देचौरी–कोटाबाग मोटर मार्ग को पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूँ। पंगूट, पाली पिनौनिया बग्गड़, मेहरोड़ा सहित एक दर्जन गांव (जनपद नैनीताल) के काश्तकार सब्जी, दूध का कार्य प्रमुख रूप से करते हैं परन्तु कुछ कि0मी0 की दूरी पर स्थित कोटाबाग के साथ उपरोक्त गांव आज भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ पाये हैं। जबकि दोनों ओर से मोटर मार्ग बन चुका है। लगभग 7–8 कि0मी0 सड़क बन जाने से यह मार्ग जुड़ जायेगा। इस सड़क के निर्माण न होने से काश्तकारों में निराशा व आक्रोश भी है। इस सड़क के निर्माण से जहां लोगों को सुविधा होगी साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा। कृषक शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो सके तथा स्वरोजगार के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें इसके लिए उपरोक्त सड़क का पूरा होना जरूरी है। अतः मैं शासन से मांग करता हूँ कि इस समस्या के समाधान हेतु प्रभावशाली कार्यवाही सुनिश्चित कर दें।

परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना से पेयजल उपलब्ध न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौढ़ी गढ़वाल की परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है, योजना के अन्तर्गत जितने भी गांव सम्मिलित हैं,

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनमें से केवल पांच–छः गांवों को ही पेयजल मिल पा रहा है। जिसके कारण गांववासी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। कई बार शासन को जनता व मेरे द्वारा भी उक्त समस्या से अवगत कराया गया है। लेकिन उक्त पेयजल योजना रख–रखाव व पुनर्गठन के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना नहीं बनाई, यह पम्पिग योजना उन सभी गांवों के लिए चलाई गई थी जो लम्बे समय से पेयजल के अभाव में थे, करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी बडकोट, चुम्याणी, भरपूर, बघाला, डाडादमराडा, विथ्याणी आदि कई गांवों को पेयजल नहीं मिल पाया। आज जबकि परिन्दा पम्पिग योजना के कम पावर के पम्प व क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का भी कोई रख–रखाव नहीं हो रहा है तो किस प्रकार से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध हो पायेगा। यदि समय रहते उक्त पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण न किया गया तो इस क्षेत्र की जनता को पेयजल संकट से नहीं बचाया जा सकेगा।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये शासन से कार्यवाही की मांग करती हूँ।

उत्तरांचल के विद्युत बेरोजगार अप्रेन्टिसों द्वारा एक सूत्रीय मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर दे रहे धरना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रीतम सिंह पंवार–

[मान्यवर, उत्तरांचल के विद्युत बेरोजगार अप्रेन्टिस एक सूत्रीय मांग को लेकर पिछले आठ माह से लगातार जिला मुख्यालयों में धरना दे रहे हैं, प्रदेश के सभी बेरोजगार विद्युत अप्रेन्टिस उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन में नियुक्ति को लेकर आन्दोलित हैं और आमरण अनशन तथा आत्मदाह जैसे घातक कदम उठाने हेतु मजबूर हो रहे हैं।

विद्युत विभाग में बड़ी संख्या में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं और प्रशिक्षण प्राप्त विद्युत अप्रेन्टिस अपनी न्यायोचित मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगार विद्युत अप्रेन्टिसों की न्यायोचित मांग पर विचार करते हुये इन्हें उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाय।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2002–2003 का प्रतिवेदन

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष, 2002–2003 का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूँ।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[* * *] उक्त अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष 2003–2004 (उत्तरांचल सरकार) के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड 2 के वर्ष, 2003–2004 (उत्तरांचल सरकार) के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन, 2003

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन, 2003 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2002–2003 एवं वर्ष 2003–2004 की वार्षिक रिपोर्ट

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 (2) के अन्तर्गत उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2002–2003 एवं वर्ष 2003–2004 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखती हूँ।

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम की धारा 182 के अन्तर्गत विभिन्न विनियम/अधिसूचनाएं

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत (1) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (कारकार का संचालन) विनियम, 2004, (2) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004, (3) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना सितम्बर, 01, 2004, (4) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना जून, 15, 2004, (5) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (वितरण में उन्मुक्त अभिगमन हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2004, (6) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना दिनांक 14 मई, 2004, (7) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना दिनांक 14 मई, 2004, (8) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना दिनांक 10 मार्च, 2004, (9) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2004 एवं (10) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत चकबंदी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2004

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2004 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (प्रथम संशोधन), 2004

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 230, 294 तथा 344 के अन्तर्गत उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 जुलाई, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष, 2004 का पांचवा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अगस्त, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष, 2004 का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन)

विधेयक, 2004 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अगस्त, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष, 2004 का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अगस्त, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष, 2004 का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अगस्त, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष, 2004 का नवां अधिनियम बन गया।

जनपद उत्तरकाशी के जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक आने–जाने हेतु रज्जू मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक आने–जाने हेतु रज्जू मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री शशिमोहन राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के मौघ में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के मौघ में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री कुन्दन सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत टिपरी (बिष्ट) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत टिपरी (बिष्ट) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री श्रीपाल सिंह महन्त एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के गोडर–खाटल क्षेत्र के ओडगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के गोडर–खाटल क्षेत्र के ओडगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री लोकेन्द्र चौहान एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के ग्राम धरासू को पर्यटन ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के ग्राम धरासू को पर्यटन ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री भरत सिंह नाथ एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत नालूपानी–पटारा–डांग (जसपुर) स्यालना मोटर मार्ग के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत नालूपानी–पटारा–डांग (जसपुर) स्यालना मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री सतवीर चन्द्र रमोला एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के ग्राम बनास (गीठ) को पर्यटन ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के ग्राम बनास (गीठ) को पर्यटन ग्राम घोषित किए जाने के सम्बन्ध में" श्री अजबीन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत आदर्श कन्या जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत आदर्श कन्या जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" के0 हरि सिंह सामन्त एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बधाणगांव में हाईस्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बधाणगांव में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री त्रिलोक चन्द्र रमोला एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के थला–म्याड़ी–भीताकोट मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अल्मोड़ा के थला–म्याड़ी–भीताकोट मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री उम्मेद सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के सांकरी मोरी में ऊन की मण्डी हिमाचल पैटर्न पर विकसित करने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री माल चन्द्र

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उत्तरकाशी के सांकरी, मोरी में ऊन की मण्डी हिमाचल पैटर्न पर विकसित करने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में गुप्तड़ी–तामानौली निर्माणाधीन मोटर मार्ग का विस्तार आवलाघाट तक किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में गुप्तड़ी–तामानौली निर्माणाधीन मोटर मार्ग का विस्तार आवलाघाट तक किये जाने के

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्बन्ध में श्री होशियार सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा की 11 ग्राम सभाओं पट्टी पल्ला नया विकास खण्ड सल्ट को भौगोलिक विषमता के आधार पर विकास खण्ड भिकियासैंण में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अल्मोड़ा की 11 ग्राम सभाओं पट्टी पल्ला नया विकास खण्ड सल्ट को भौगोलिक विषमता के आधार पर विकास खण्ड भिकियासैंण में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरधारी दत्त ध्यानी एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में (नगर) स्थापित रोडवेज बस अड्डे को अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री सुरेन्द्र चन्द–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में (नगर) स्थापित रोडवेज बस अड्डे को अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री देशबन्धु गुप्ता एवं अन्य निवासीगण, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के केदारतलाई, स्याल्दे–सिपानगर, उल्मरा मोटर मार्ग के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अल्मोड़ा के केदारतलाई, स्याल्दे–सिपानगर, उल्मरा मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री किशोर चन्द्र एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण के ग्राम भट्यूड़ा, थरकोट, मासो, बालाकोट, पुरान, जाख, लोधियागैर एवं बुंगा ग्राम समूह पेयजल योजना के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण के ग्राम भट्यूड़ा, थरकोट, मासो, बालाकोट, पुरान, जाख, लोधियागैर एवं बुंगा ग्राम समूह पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री किशन सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद चम्पावत के विकास खण्ड लोहाघाट में डिग्री कॉलेज से खतेड़ा तक पूर्व स्वीकृत 18 किमी0 मोटर मार्ग को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद चम्पावत के विकास खण्ड लोहाघाट में डिग्री कॉलेज से खतेड़ा तक पूर्व स्वीकृत 18 किमी0 मोटर मार्ग को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर चन्द्र जोशी एवं अन्य निवासीगण, जनपद चम्पावत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद अल्मोड़ा के भैसियाछाना में स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री कैलाश शर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भैसियाछाना में स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में श्री खड्ग सिंह मेहरा एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौलादेवी के ग्राम पंचायतों की गम्भीर पेयजल समस्या को देखते हुए सरयू नदी से (सरयू लिफ्ट योजना) बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री कैलाश शर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौलादेवी के ग्राम पंचायतों की गम्भीर पेयजल समस्या को देखते हुए सरयू नदी से (सरयू लिफ्ट योजना) बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र जोशी एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उ0 प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करती हूं।

उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूं।

बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूं।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूं।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूं।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

*शहरी विकास मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री प्रकाश पंत, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्रीमती आशा देवी, श्री मदन कौशिक, श्री चन्द्र शेखर, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री अजय भट्ट, श्री कैलाश शर्मा, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री नारायण पाल, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी की कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से मैं श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट तथा श्री कैलाश शर्मा जी की सूचनाओं को नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूं और शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी।

*श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 56 में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी के ग्राम भण्डारी गांव के अन्तर्गत उमली पयापिनारी पुरदम में 78 परिवार निवास कर रहे हैं और वहां की जनसंख्या 550 है। अधिकांश वहां अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। मान्यवर, वहां पर भूस्खलन होने के कारण आसपास की खेती की भूमि नष्ट हो चुकी है और जो उनकी खेती की भूमि थी उन पर दरारे पड़ चुकी हैं और मकानों में भी दरारें पड़ चुकी हैं। मान्यवर, भण्डारी गांव के नीचे ढाली नदी बहती है और उस नदी के बहाव से नीचे की जमीन कटती जा रही है। जलागम विभाग द्वारा 20 प्रतिशत ही दीवाल बनी है, लेकिन जहां पर वास्तव में काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ, नदी को रोकने के लिए सुरक्षा दीवाल बनानी चाहिए थी। मान्यवर, भण्डारी गांव के लोग बरसात में अपना घर छोड़ देते हैं और वे कहीं और रहते हैं, आज भण्डारी गांव

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लोगों के सामने समस्या है, उनके पास न मकान है, न जमीन है, लेकिन आज तक सरकार द्वारा उनके लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह लोक महत्व और तात्कालिक विषय है इसलिए मैं आज इस सदन से मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की जाय।

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य की सूचना सही है भण्डारी गांव में अगस्त, 2000 में अतिवृष्टि का प्रभाव हुआ था। मान्यवर, हमने 37 परिवार चिन्हित किये हैं जिनको विस्थापित करने की आवश्यकता है। प्रति परिवार एक नाली, .02 हेक्टेयर और .07 हेक्टेयर भूमि का चिन्हीकरण किया गया है और आवंटन की कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 56 के अन्तर्गत मेरी इस सूचना को ग्राह्यता पर सुनने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जिस विषय को आज इस सम्मानित सदन के सम्मुख रखने जा रहा हूं वह विषय इस उत्तरांचल राज्य के रोजगार से संबंधित है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, रोजगार विषय को लेकर उत्तरांचल राज्य के गठन की शुरूआत हुई थी। मान्यवर, आज राज्य बने 4 वर्ष बाद भी यहां के नवयुवकों को यहां के कर्मचारियों को यहां कार्यरत मजदूरों को अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। मान्यवर, उत्तरांचल रोडवेज चालक–परिचालक 8 महीने से हड़ताल पर हैं यह चिन्ता का विषय है। यह चालक–परिचालक विगत 10–15 वर्षों से कार्यरत हैं उनको प्रतिकिलोमीटर से भुगतान होता है इस तरह से उनकी महीने भर की मजदूरी 1000–1200 से अधिक नहीं मिल पाती है। मान्यवर, यह लोग विभाग में अनवरत अपनी सेवायें दे रहे हैं। यदि सेवा ब्रेक हुई तो उनका वेतन भी कम हो जाता है यदि गाड़ी खराब या रुक जाती है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हीं चालक– परिचालक की होती है। उनको भुगतान तभी दिया जाता है जब उनकी गाड़ी चलेगी। मान्यवर, जिसमें न्यूनतम मजदूरी दिये जाने की बात है उसमें अकुशल यह तथ्य सबके संज्ञान में है कि रोडवेज की क्या हालत है। माननीय मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे होंगे कि हमने इतनी नई बसें खरीद ली हैं। रोडवेज डिपो की तमाम बसें खराबी की स्थिति में हैं जब उन्हें चालक–परिचालक संचालित करता है तो वह अपने गन्तव्य तक भी पहुंचने की स्थिति में नहीं है अगर गाडी अपने गन्तव्य तक नहीं पहुंचेगी तो उनको भुगतान भी नहीं हो पायेगा। मान्यवर, इस संबंध में 19 मई, 2004 को अपर आयुक्त उत्तरांचल श्रम ने जो एक सरकुलर जिसमें न्यूनतम मजदूरी दिये जाने की बात है, उसमें अकुशल मजदूर को दैनिक 86 रु0 40 पैसे मिलना चाहिए,

अर्धकुशल को 101 रु0 54 पैसे, कुशल को 116 रु0 65 पैसे प्रति दिन भुगतान होना चाहिए। यह 19 मई, 2004 को श्रम विभाग से आदेश निकला। मान्यवर, वह इससे भी न्यूनतम मजदूरी ले रहे हैं। मान्यवर, इन मजदूरों का कहना है कि जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है, वह हमें मिलनी चाहिए। मान्यवर, यह लोग अपने प्रबन्ध निदेशक से भी मिले इन्होंने अपनी समस्या बतायी और इसके बाद ये अनेक प्रतिनिधियों से और अनेक संगठनों से मिलते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी को (17 सितम्बर, 2004) अपना आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से समझाते हैं, उन्हें भी समझा दिया गया, वे लोग प्रसन्न होकर आ गये। लेकिन वे 19–09–2004 के बाद माननीय संसदीय कार्यमंत्री के पास आये।

..........मान्यवर, 30–10–2004 को मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को भी प्रार्थना–पत्र दिया गया पत्रांक था 1048। मान्यवर, आपको भी प्रार्थना–पत्र दिया गया 04.10.2004 को लेकिन श्रीमन् जब हर कहीं से इनको निराशा हाथ लगी तो इन्होंने एक कठोर निर्णय लिया जिसको देखते हुए आज यह कार्य स्थगन की सूचना देनी पड़ी। मान्यवर, उन्होंने अपने आन्दोलन को चलाये रखा लेकिन मान्यवर, उन्होंने घोषणा की कि 10 जनवरी, 2005 तक यदि हमारी मांगें नहीं मानी गयीं तो हम आत्मघात कर लेंगे। मान्यवर, किसी भी समय, किसी भी पल में वे आत्मघात कर सकते हैं, कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। मान्यवर, मेरी जानकारी में आया है कि उनके इस निर्णय के बाद उनके धरना स्थल के पास जो पानी की टंकी है उसके चारों ओर की सीढ़ियां हटा दी गयी हैं। मैं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, कृपया संक्षेप करें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था सर्वोपरि है लेकिन यह हमारा अधिकार है कि हम अपनी पूरी बात तो रखें। मैं संक्षेप में बोलता हूं। इधर–उधर की बात तो मैं करता नहीं हूं। (हंसी) मान्यवर, हरियाणा राज्य परिवहन निगम में भी इस प्रकार की व्यवस्था पहले चला करती थी। लगभग 10 हजार कर्मचारी वहां ठेके पर काम करते थे। हरियाणा सरकार ने इन्हें न्यूनतम वेतनमान पर रख लिया है। तो मेरा अनुरोध है कि जो न्यूनतम मजदूरी श्रम विभाग ने निर्धारित की है कम से कम वह न्यूनतम मजदूरी तो इन्हें दी जाये। इनके नियमितीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। यह हम मांग करते हैं। आपने कहा कि संक्षेप में करें तो मैं संक्षेप में कर रहा हूं। मान्यवर, यह बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मामला है। इससे ज्यादा तात्कालिक कोई और विषय नहीं हो सकता। मेरा आग्रह है कि सरकार इस संबंध में आश्वासन दें और इनके विनियमितीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने संविदा कर्मचारियों के संबंध में उल्लेख किया है, लेकिन अपने प्रश्न में उन्होंने संविदा कर्मचारी नहीं लिखा है। गुमराह करने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने श्रमिकों के हितों में नियम बनाये। आपने हरियाणा का उदाहरण

दिया है। वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि इन्हें विनियमितीकरण का अधिकार नहीं है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 हजार श्रमिकों को बाहर निकाल दिया। लेकिन मान्यवर, हमने किसी को भी काम से नहीं हटाया है, बल्कि अगली व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। हमारे यहां लगभग 550 ऐसे श्रमिक हैं, जो चालक, परिचालक हैं।..............

..............ये कर्मचारी मेरे पास तो अक्सर आते ही रहते हैं, दूसरे तीसरे दिन आते हैं, उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों की एक बैठक करा दें, तो हमने जी0एम0 प्रशासन की अध्यक्षता में एक बैठक बुलायी। फिर मैंने स्वयं 30–12–2004 को सभी प्रबन्धकों को निर्देशित किया कि जो सहायता हम संविदा कर्मचारियों के लिए कर सकते हैं, वह कर दें। मान्यवर, जितना कार्य हम कर सकते हैं वे हम कर रहे हैं और जहां तक इनके रोजगार सुनिश्चित करने की बात है तो हमने कहा कि जब भी हमारी नियमित भर्ती आयेगी तो हम इनको प्राथमिकता पर रखेंगे। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही कि गाड़ियों के खराब होने पर कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलता है तो मान्यवर, आज तक उत्तर प्रदेश में भी यह व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमने इसके लिए 40–45 रुपये वॉच करने के लिए प्रति रात के हिसाब से दिया जायेगा ऐसा प्राविधान किया है। एक बात और जो माननीय सदस्य ने कही कि संविदा कर्मचारियों को दुर्घटना में मर जाने पर कोई राहत नहीं दी जाती है तो हमने यहां पर इसकी व्यवस्था की है और मृतक के परिवार को तत्काल 50 हजार रुपये दिये जाने का प्राविधान किया है। अब इन कर्मचारियों की डिमांड है कि उन्हें नियमितीकरण किया जाय तो हमने कहा है कि जब भी हमारी नियमित भर्तियां होगी तो उनको प्राथमिकता दी जायेगी। जहां तक ओ0के0 स्लिप नहीं मिलने की बात है, इसके लिए ए0आर0एम0 और वर्कशॉप की ड्यूटी है कि जब गाड़ी डिपो से बाहर निकलती है तो उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है? यह उनकी जिम्मेदारी है।

मान्यवर, जहां तक ई0पी0एफ0 और ई0एस0एस0 की बात है तो हमारा स्वयं यह भी मानना है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारियों के हितों के लिए इसे लागू होना चाहिए, हमने भी इस पर विचार किया और हमारा भी मानना है कि पी0एफ0 में पैसा जाना चाहिए लेकिन इसका उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उच्च न्यायालय ने पी0एफ0 काटने पर स्टे दिया है। पी0एफ0 और ई0 एस0आई0 की व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से होनी भी चाहिए। माननीय पंत जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है इन्सेन्टिव देने की व्यवस्था के बारे में, हम भी मानते हैं कि 1100–1200 रुपये में खर्च पूरे नहीं होते हैं, उसको देखते हुए संविदा कर्मियों को 300 किलोमीटर तक 40 पैसे की जगह 50 पैसा प्रति किलोमीटर और 300 किलोमीटर से अधिक संचालन पर 50 पैसे के स्थान पर 60 पैसा दिया जाना निर्धारित किया है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह दायित्व दिया गया है तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं किसी भी कर्मचारी को पीड़ा देने या कष्ट देने की बात हमारी सरकार नहीं कर रही है। नियमितीकरण के लिए हमने श्रम विभाग से भी सुझाव मांगे थे। माननीय न्यायालय ने भी निगम के पक्ष में सारी याचिकायें निस्तारित कर दी थीं फिर भी संविदा कर्मियों के हित में निगम द्वारा यह सारी कार्यवाहियां की गयी हैं। मान्यवर, यह चाहते हैं कि इनको नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाये तो इस दिशा में हमने

स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी भर्ती होगी तो हम आपको नियमित करने के लिए प्राथमिकता प्रदान करेंगे। कम से कम 300 किलोमीटर चलने का लक्ष्य हमने दिया है, 300 किलोमीटर तक चलने वालों को 50 पैसा प्रति किलोमीटर और 300 से अधिक चलने वालों को 60 पैसा प्रति किलोमीटर दिया जाना प्राविधानित कर दिया गया है। इस प्रकार से दो–ढाई हजार रुपये प्रतिमाह हर व्यक्ति को मिल जायेगा। इससे इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।.........................

..................मान्यवर, दुर्घटनाग्रस्त होने पर 50 हजार का बीमा विभाग देगा, उन्हें प्रोविडेन्ट फण्ड देने के बारे में भी सोच रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इनकी उपेक्षा कहीं पर भी नहीं की जा रही है। मैंने आर0 एम0 के साथ दसों बैठकें की हैं। इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया जा रहा है। कमेटी यह देखेगी कि यदि इसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है यदि किसी ने कोई प्रशासनिक अनियमितता नहीं की है तो निश्चित रूप से जिनको बाहर किया गया है, उनको वापस लेने का नैतिक दायित्व विभाग का है और उन्हें लिया भी जायेगा। मैं तो सोच रहा था कि हमने इतनी अच्छी गाड़ियां पूरे प्रदेश में चलाई हैं, उनके लिए प्रकाश पंत जी हमारी पीठ थपथपायेंगे, हमें बधाई देंगे। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा क्योंकि भविष्य की संभावनाओं का प्रश्न था। उनके द्वारा आत्म हत्या करने की कोई बात नहीं है। हम जनहित में कार्य कर रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय मंत्री जी श्रमिक नेता भी हैं इसलिए आपने श्रमिकों की चिन्ता भी जताई। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान उच्च न्यायालय के एक निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं। आपके विभाग का एक कंडेक्टर अपने उत्पीड़न के खिलाफ कोर्ट में गया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा "अनटिल फरदर ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट, दि रिस्पॉन्डेन्ट्स हैव डायरेक्टेड टू कन्टीन्यू दि पिटीशनर्स इन सर्विस एज कंडेक्टर्स एण्ड पे दैम मिनिमम पे स्केल, विच इज एप्लीकेबिल इन दि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश" श्रीमन यह कोर्ट का आदेश है, यदि आपकी आज्ञा होगी तो इसे मैं आपके पास भिजवा दूंगा। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है लेकिन सरकार ने इसका पालन नहीं किया है। मिनिमम पे स्केल अभी तक नहीं दिया है। संविदा कर्मियों की बात माननीय मंत्री जी ने कही है। सामाजिक सुरक्षा की बात भी आपने कही। मान्यवर, किसी राज्य और किसी देश के नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी उस राज्य और देश की होती है। आपने सामाजिक सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाया, इसके लिए आप निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो न्यूनतम मजदूरी के बारे में आपने कहा, आपने तो अधिकतम मजदूरी बता दी। आपने कहा कि उनको 2500 रुपये मिल जायेंगे लेकिन आपने 300 किलोमीटर की बात भी कही। मान्यवर, देहरादून से पिथौरागढ़ की दूरी 560 किलोमीटर है। उस रूट पर जो कंडेक्टर और ड्राइवर चलेंगे उनके तो किलोमीटर पूरे हो जायेंगे लेकिन उनके अलावा जो दूसरे रूट पर चलेंगे उनके 100–150 किलोमीटर ही हो पायेंगे। यह हम सबकी पीड़ा होनी चाहिए। कम से कम एक न्यूनतम मानक तय करना चाहिए। आप कह दीजिए कि हम उनको 2500 देंगे, 3000 देंगे, उसको फिक्स कर दीजिए। आपके यहां एप्रेंटिस के जो पद रिक्त पड़े हैं, इनको उनमें नियुक्ति दे दीजिए। इस विषय पर माननीय मंत्री जी की

तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। आप इस प्रश्न को घुमाकर सामाजिक सुरक्षा की ओर ले गये। न्यूनतम मजदूरी का जो प्रश्न है, उसका कोई उत्तर नहीं आया।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इनकी नियुक्ति की जो शर्तें हैं, वह संविदा कर्मी की हैं। कन्सोलिडेट पे की नहीं है, दैनिक मजदूरी की नहीं है। 35 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से एम्प्लॉयर और इम्प्लॉई ने अनुबंध किया है। हम उस अनुबंध से बाहर नहीं जा सकते। उनकी प्रति किलोमीटर दर हमने बढ़ा दी है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने भी 300 कि0मी0 का आंकलन किया, जिसके अनुसार न्यूनतम मजदूरी कवर हो जाती है। हमारा जो ढांचा है, एवं जो नियमावली है। उसको नहीं बदल सकते यदि बदलते हैं तो ढांचा चरमरा जायेगा। हमने यह प्रयास किया है कि उसकी न्यूनतम मजदूरी कवर होनी चाहिए उसको न्यूनतम मजदूरी कम से कम मिलनी ही चाहिए और वह मिल रही है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कम से कम कितनी मिलनी चाहिए ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जो कुशल श्रमिक है, उनकी अलग है और जो अकुशल श्रमिक हैं, उनकी अलग है। अलग–अलग विभागों के अलग मानक हैं। मान्यवर, 2250 से ऊपर ही मिल रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री प्रकाश पंत जी को तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, हमारी नियम 311 के अन्तर्गत एक ज्वलंत सूचना है। बहुत गम्भीर विषय है। कृपया हमारी सूचना को भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैं कब मना कर रहा हूं। मैं बाद में आपकी सूचना को सुन लूंगा। यदि आज नहीं तो 17 तारीख को नियम 56 में सुन लूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यहां पर एक अविलम्बनीय लोक महत्व के ऐसे विषय पर बोलने का अवसर दिया जिसकी वजह से आज पूरा पहाड़ हिला हुआ है। मान्यवर, यहां के किसानों का शोषण हो रहा है। उससे जन–जन दुखी है आक्रोशित है। मान्यवर, उत्तरांचल में यह सब क्या हो रहा है? एक फर्जी व्यक्ति बी0आर0 दिवाकरनी उर्फ बेनी वह यहां पहाड़ में उत्तरांचल में अपनी पत्नी को तथा एक टूटा हुआ ब्रीफकेश लेकर आया और उत्तरांचल से जाते समय कम से कम पांच करोड़ रुपया यहां के गरीब किसानों का लेकर उड़ गया। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। उत्तरांचल बनने के बाद उस व्यक्ति को यहां पर जानबूझ कर बुलाया गया

और सरकार ने उसके साथ एक बैठक आहूत की जैसे कि वह बहुत बड़ा आदमी हो। सरकार की तरफ से बकायदा निर्देश जारी किये गये थे। उन्हीं निर्देशों के तहत उत्तरांचल के आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 गजेटेड अधिकारी, नॉन–गजटेड अधिकारी तथा उद्यान अधिकारियों द्वारा उसकी पीठ थपथपाई गई, एक पार्टी भी आयोजित की गयी। और यह संदेश भी लोगों को दिया गया कि यह आदमी उत्तरांचल का बहुत बड़ा हितैषी है और आप लोगों के हित के लिए यहां पर आया है। यह व्यक्ति उत्तरांचल से खुमानी, माल्टा, नीबू तथा सेब इत्यादि का विदेशों में निर्यात करेगा तथा सेब पर प्रति पेटी 400 रुपये मिलेंगे। मान्यवर, अल्मोड़ा में बहुत लम्बे समय से मटेला में एक कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है उसे 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से 15 साल के लिए लीज पर दे दिया गया। लीज पर देने के कुछ नियम होते हैं। कोई भी अधिकारी चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो अपनी मन मर्जी से लीज पर नहीं दे सकता उसके लिए बकायदा फाइल बनती है, फाइल मूव होती है। सम्बन्धित विभागी अधिकारी एवं मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं।

दर्शक दीर्घा में नारे व पर्चे फेंकने की घटना

(दर्शक दीर्घा की ओर से एम0डी0डी0ए0 हटाओ, गांव बचाओं के नारे तथा पर्चे गिराये गये। रक्षक दल उनकी तरफ दौड़ा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं दोनों युवकों को सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के कारण कार्यवाही चलने तक अभिरक्षा में रखने के आदेश देता हूं तथा इस मामले पर मैं अपनी व्यवस्था बाद में दूंगा।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमशः)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह लीज पर दी गयी तो पूरे किसानों ने अपने आलू, सेब आदि तमाम चीजें कोसी के कोल्ड स्टोरेज को भेजना प्रारम्भ कर दिया। मान्यवर, इतना ही नहीं उत्तरकाशी के नौगांव के कोल्ड स्टोरेज पर एक मीटिंग बुलायी गयी और तमाम लोगों को जिला अधिकारी, उद्यान के द्वारा एक निमंत्रण पत्र भेजा गया। जिसमें उल्लेख है कि "आपको यह जानकर हर्ष होगा कि जनपद उत्तरकाशी से प्रथम बार सेब का निर्यात मालद्वीप, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर आदि देशों को विकास खण्ड नौगांव से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तरांचल द्वारा एग्रोकूप के माध्यम से कराया जा रहा है। दिनांक 04–08–2004 को सेब के प्रथम ट्रक को विदेश को निर्यात हेतु सुश्री विभा पुरी दास, प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन द्वारा झण्डी दिखाकर रवाना किया जायेगा।" मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह निर्देश किसने दिये थे। मान्यवर, कोई भी सचिव,

बिना अपने विभागीय मंत्री के परमीशन के जा ही नहीं सकता है। मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिस समय फाइल मूव हो रही थी, उस समय माननीय मंत्री जी क्या देख रहे थे। मान्यवर, यह आदमी कौन था, इसका परिचय कराने वाला कौन था, जो खाली हाथ यहां आया और यहां से सूटकेश भर कर चला गया। मान्यवर, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना है। इसके तहत बेरोजगारों को 50 हजार रु0 से लेकर 01 लाख तक का लोन स्वीकृत किया जाता है और इसमें गारन्टी ली जाती है। परन्तु मान्यवर, बेनी की गारन्टी तक नहीं ली गयी। मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा की कोसी बैंक शाखा से 68 लाख रु0 एवं देहरादून की सेंट्रल बैंक की शाखा से 01 करोड़ 50 लाख रु0 बिना फोटो और बिना गारन्टी के कैसे दे दिये गये। मान्यवर, मेरे संज्ञान में आया है कि बाकायदा बैंक मैनेजर को सरकार ने जल्दी पेमेंट करने को कहा है। मान्यवर, यदि सरकार का कोई मंत्री जवाब देता है तो यह पूरी सरकार की जिम्मेदारी होती है। माननीय मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया है कि सरकार ने इसमें गारंटी दी है, सरकार की गारंटी पर लोन दिया गया है। मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है।

मान्यवर, जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के लिए अपर सचिव, उद्यान की ओर से पत्र गया जिसे मैं पढ़ कर सुना रहा हूं कि शासन द्वारा वर्ष, 2003 में श्री बेनी (उत्तरांचल एग्रोकूप लिमिटेड) को जनपद अल्मोड़ा स्थित मटेला कोल्ड स्टोरेज दीर्घ कालीन लीज पर दिया गया था। श्री बेनी द्वारा उक्त कोल्ड स्टोरेज के एवज में सेंट्रल बैंक से लगभग रु0 1.50 करोड़ ऋण पर लिया गया है। तथा उनके द्वारा रामगढ़, उत्तरकाशी, चमोली आदि क्षेत्र के काश्तकारों से सेब, आलू, लीची आदि औद्यानिक फसलों का क्रय कर उसका भुगतान नहीं किया गया है, जिससे काश्तकारों में भारी रोष व्याप्त है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर मेटला कोल्ड स्टोरेज का जिला प्रशासन के नियंत्रण में लेने का कष्ट करें। शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि श्री बेनी की धर्मपत्नी वर्तमान में मटेला कोल्ड स्टोरेज परिसर में निवास कर रही है। अतः उत्तरांचल एग्रोकूप लिमिटेड के ऊपर बकाया समस्त धनराशि का निस्तारण न होने तक उन्हें जनपद से बाहर जाने के लिए अनुमति न दी जाय, तथा उन्हें वहीं पर रहने के लिए अपने स्तर से पुलिस प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। जिला उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा के माध्यम से तत्काल मटेला कोल्ड स्टोरेज एवं उसके परिसर में स्थित समस्त सम्पत्ति का मूल्यांकन कर लिया जाय एवं उसकी यथास्थिति बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।" मान्यवर, यह शासन का पत्र जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पास गया, लेकिन इसके बाद भी उसकी पत्नी भाग गई। हम यहां ई0 गवर्नेन्स और वीडियो कान्फ्रेंसिंग की बात करते हैं, इस सम्बन्ध में वहां पर टेलीफोन या फैक्स क्या नहीं पहुंचा। यदि फैक्स या फोन द्वारा उपरोक्त सूचना नहीं भेजी गयी है, तो ऐसी चूक क्यों हुई ? मान्यवर, बिल्कुल गया होगा लेकिन सरकार की ओर से निर्देश गया होगा कि इसको भागने दो, कैसे हम उत्तरांचल को चलायेंगे। मान्यवर, यह मैं निश्चित तौर पर कहता हूं यह एक बहुत बड़ी साजिश है, कई लोग मिले हैं, फर्जी कम्पनी है, इसके लिए एफ0आई0आर0 भी हुई लेकिन वह 18 दिन के बाद की गयी और वह भी लचर एफ0आई0आर0 है जिसमें कोई ऐसी सेक्शन नहीं है, जिससे कोई गिरफ्त में आ सके, इसलिए यह महत्वपूर्ण मामला है। मान्यवर, मेरे पास 30 लाख के ये बाउन्स हुए चेक हैं। (मा0 सदस्य ने चेकों को हाथ में लेकर दिखाया) मान्यवर, किसान ने अपना खून-पसीना एक करके पैसा कमाया और

एक व्यक्ति सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की मिलीभगत के कारण किसानों का पैसा लेकर उड़ गया, ऐसा देखने को मिला। क्या उत्तरांचल का पैसा बाहर के लोग ऐसे ही ले जायेंगे। यह गम्भीर मामला है और इसमें सरकार पूरी तरह से लिप्त है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा करायी जाय और मैं साफ कहता हूं कि नैतिकता के आधार पर उद्यान मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।

श्री कैलाश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, मेरे वरिष्ठ साथी माननीय श्री अजय भट्ट जी ने विस्तार से सारी बात रखी। मान्यवर, जहां यह घटना घटी यह मेरे विधान सभा क्षेत्र अल्मोड़ा मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत मटेला में है। माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे घटनाक्रम में माननीय अजय भट्ट जी ने विस्तार से चर्चा की, लेकिन फिर भी कुछ विषयों पर मुझे कहना आवश्यक है, इसलिए मैं इस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे उत्तरांचल में जिन्होंने उत्तरांचल के राज्य के निर्माण के लिए त्याग किया, बलिदान किया और वे उत्तरांचल में रहने वाले बेरोजगार नवयुवक यदि 50 हजार रुपये का ऋण अपने स्वरोजगार के लिए या वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना में लेने के लिए आवेदन करता है तो हमारे उत्तरांचल के बैंक उनको दर–दर भटकने के लिए मजबूर करते हैं।..........

..........मान्यवर, सबसे अहम विषय यह है कि जो व्यक्ति चिन्नई का रहने वाला था जिसका कि छोटा सा प्लाट चिन्नई में पाटनरशिप में था। मान्यवर, अल्मोड़ा स्टेट, बैंक ने 68 लाख रुपये की लिमिट बनायी जब उसने इसे फिर बढ़ाने की बात कही तो उसकी चिन्नई से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। मान्यवर, सेन्ट्रल बैंक, देहरादून ने उसको डेढ़ करोड़ का ऋण दिया यह किसकी सहमति से दे दिया गया, किसकी गारंटी से दिया गया। पूरे मंत्रालय ने यह कहा कि यह अच्छा आदमी है और बहुत अच्छा कार्यक्रम तय कर रखा है। प्रमुख सचिव ने इसे हरी झंडी दे दी। माननीय अध्यक्ष जी उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा काश्तकारों को भुगतान का भरोसा दिलाया गया। मान्यवर, जिन लोगों का पैसा ज्यादा फंसा है उनमें से दो लोगों ने मनोहर कान्त ध्यानी जी को भी पत्र लिखा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं यह सब आ चुका है।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, इसने अल्मोड़ा के बहुत सारे लोगों का पैसा देना है। एक व्यक्ति का 10 लाख और एक व्यक्ति का 4 लाख रुपये देना है। यह बहुत गम्भीर स्थिति है। मान्यवर, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर लगातार आते थे। राज्य सम्पत्ति की जिस गाड़ी से वे आते थे उसका नं0 यू0पी0–7–एन–0006 है। काश्तकारों से लगातार यही कहा गया कि यह अच्छा व्यक्ति है। मान्यवर, मुख्य सचिव ने भी काश्तकारों के साथ बैठक की कि आपका पैसा मिल जायेगा। मान्यवर, उसके बाद वह व्यक्ति भाग गया। जिला प्रशासन ने कोल्ड स्टोरेज को अपने संरक्षण में क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं पुलिस का पहरा लगाया गया। माननीय अध्यक्ष जी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

श्री कैलाश शर्मा जी आप कृपया बैठ जायं। भट्ट जी इस पर काफी विस्तार से कह चुके हैं।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि वहां पर बहुत बड़ी खतरे की स्थिति पैदा हो सकती है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं वहां पर नहीं गया। मान्यवर, वह अल्मोड़ा से बहुत ही कम दूरी पर है। मान्यवर, वहां पर संक्रमण रोग का सबसे बड़ा खतरा है, वहां पर जो 150 किलोग्राम अमोनिया गैस रखी हुई है उसकी चिन्ता किसी को नहीं है, दूसरा यहां पर दो सौ टन आलू सड़ा हुआ है, वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, वहां पर कभी भी भयंकर दुर्घटना हो सकती है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें उद्यान विभाग और उद्यान मंत्रालय पूरी तरह लिप्त है। उद्यान मंत्री जी को पूरी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप कृपया उत्तर दें।

उद्यान मंत्री (गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

मान्यवर, मेरे विद्वान साथी श्री अजय भट्ट जी एवं श्री कैलाश शर्मा जी ने जो सूचना प्रस्तुत की है उसमें कुछ अंश सत्य भी हैं। पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने बक्शी पटनायक के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। उसकी सिफारिश पर उत्तराखण्ड ने तीन कोल्ड स्टोरेज क्रमशः मटेला, नौगांव, चम्पावत में बनाने की संस्तुति की गयी थी। उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वर्ष 2000 में बनकर तैयार हुआ। सन् 1990 में इसका निर्माण प्रारम्भ हुआ था। वर्ष 1990 से 2000 के बीच में कई बार जब मैं अल्मोड़ा जिला परिषद् का सदस्य था तो इसके निर्माण के संबंध में और इसको पूर्ण करने के संबंध में बार–बार बात उठाई थी। इसका निर्माण होने के बाद उद्यान विभाग ने कुमाऊं मण्डल विकास निगम से अनुरोध किया कि यह कोल्ड स्टोर बन कर तैयार हो गया है इसे आप चलायें लेकिन कुमाऊं मण्डल विकास निगम ने वहां की परिस्थितियों को देखते हुए और विशेष रूप से इस क्षेत्र में फल और सब्जी की कमी को देखते हुए इसे चलाने से मना कर दिया। उसी बीच में उद्यान विभाग के पास भी टेक्निकल कर्मचारी न होने और वित्त की कमी के कारण उद्यान विभाग ने भी कोल्ड स्टोर को चलाने से मना कर दिया। उद्यान विभाग ने कई संस्थाओं से अनुरोध भी किया लेकिन, जो परिस्थितियां थी उससे हमारे सदस्यगण भी वाकिफ होंगे। उस समय कोई भी इसे चलाने के लिए आगे नहीं आया। दिनांक 17–05–2000 को तत्कालीन प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास और वर्तमान में मुख्य सचिव की ओर से एक आदेश निर्गत किया गया कि इस कोल्ड स्टोर को लीज के माध्यम से किसी को देकर चलाया जाये। उसके बाद हार्टी कल्चर की एक सेमीनार में श्री वी० आर० दिवाकरनी विभाग के अधिकारियों से मिले। उद्यान विभाग के सचिव से उनकी मुलाकात होती है। उनकी योग्यता और क्षमता को देखकर उन्होंने अपना प्रस्ताव पेश किया कि वे इस कोल्ड स्टोर को चलाना चाहते हैं। हम सब मानते हैं कि इस पूरे प्रदेश में जो फल और सब्जी बेची जाती है, वह 98 प्रतिशत

बिचौलियों के माध्यम से बेची जाती हैं। इससे किसानों को नुकसान होता है। मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। इसे देखते हुए सरकार की और सबकी मंशा थी कि यहां के काश्तकारों को उनके उत्पाद का अधिक से अधिक मूल्य मिल सके। इसलिए इसे लीज पर देने का निर्णय किया गया। निर्णय करने के बाद जैसा यह मानते हैं कि जैसा माननीय सदस्य ने भी कहा और उन्होंने तो बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा कि 5 करोड़ रुपये यहां से लेकर भाग गया। उनके व्यापार करने की बात आई तो मैंने स्वयं इसकी समीक्षा की, तो मैंने पाया कि उस आदमी की मंशा निश्चित रूप से कार्य करने की थी जिस तरह से एक कम्पनी का निर्माण करके काश्तकारों को लाभ पहुंचाने की बात कर रहा था, उसने मुनस्यारी से 12 लाख रुपये का आलू लेकर बेचा। जो आलू मंडी में 5 रुपये का बिक रहा था उसे उसने 8 रुपये में बेचा और इसी तरह से माल्टा को किसानों से खरीदकर कलकत्ता भेजा। सेब और लीची को भी उसने बेचा, लीची जो 20 रुपये चल रही थी उसे उसने 30 रुपये के हिसाब से काश्तकारों को दिया। कोल्ड स्टोर, जिसमें यह चल रहा था जो बनकर तैयार था एक तो लम्बे समय से उसमें काम नहीं हुआ था। जो बना था उसमें भी शायद कुछ आवश्यक चीजें नहीं थी और इसमें जो आंकड़े मेरे पास हैं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, करीब 55 लाख रुपये सम्भवतः उन्होंने वहां पर लगाये और उसके बाद जब उसने व्यापार प्रारम्भ किया तो तब पैसा कम पड़ा जैसा कि माननीय सदस्य शर्मा जी ने भी कहा कि प्रारम्भ में विभाग ने या शासन ने कहीं पर भी गारन्टी देने की बात नहीं की। उनका कार्य वैसे भी प्रभावित करने वाला था। काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा और फायदा देना उन्हीं के बीच में जाकर अपनी पैठ उसने बनाई। यह बात शायद शर्मा जी के संज्ञान में भी होगी कि उसने किसानों के लिए हेल्प लाइन भी बनाई थी और किसानों को दूसरी जगहों जहां पर कृषि विपणन का कार्य अच्छा होता है, उन जगहों पर भी ले गया और किसानों से जुड़कर कार्य कर रहा था। बेनी जो कि किसानों को, आम आदमी को लाभ पहुंचा रहा था और जब इन्हीं कार्यों की दृष्टि से पैसे की कमी हुई तो उसने एक अनुरोध किया कि शासन स्तर पर मुझे बैंकों से पैसा दिलाया जाय। उसमें सरकार की ओर से उसी कोल्ड स्टोरेज को मोर्टगेज करते हुए गारन्टी देने की स्वीकृति प्रदान कर दी। जहां तक काश्तकारों के भुगतान की बात आई है तो अभी तक विभाग से जो आंकड़े आये हैं, जो मेरे पास हैं उसमें कुल 24 लाख रुपये किसानों के भुगतान की बात हमारे पास आई है। ऐसे कितने किसान हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ उनको विभाग के लोग देख रहे हैं। मिलान कर रहे हैं और कार्य में पैसे की कितनी भागीदारी है। मैं समझता हूं कि वर्ष 2003-2004 में 62 लाख रुपयों का व्यापार किया जो कि फलों का, सब्जियों का किया है उसमें फलों का ही ज्यादा किया है। इसमें 62 लाख रुपये में से 38 लाख रुपया उसने किसानों को भुगतान कर दिया और 24 लाख रुपया किसानों का बकाया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की, हमारी सरकार की साफ मंशा है कि हर प्रकार से किसानों का हित हो।

मान्यवर, किसानों का माल अच्छे दामों पर बिक सके, उसी को मद्दे नजर रखते हुए, इस कम्पनी को लीज पर कोल्ड स्टोरेज दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से पता नहीं किन कारणों से वह यहां से भाग गया। उसके जाने की सूचना विभाग को मिली, तो उस

पर कार्यवाही की गयी। कोल्ड स्टोरेज 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष के लीज पर दिया गया था और उसके 50 हजार रुपये विभाग में जमा भी कर दिये थे। अभी तक उसका लीज रेंट का समय पूरा नहीं हुआ है। समय पूरा होने पर वह अगले साल के लिए लीज रेंट देता। ये सारी स्थितियां विभाग के सामने आयीं और जैसा कि माननीय चुफाल जी ने कहा कि जब यह आशंका हुई कि बेनी भाग सकता है, तब उसकी पत्नी वहां पर थी। शासन की तरफ से बेनी की पत्नी को पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया। तब बेनी वहां पर आया और उसने कहा कि वह शासन स्तर पर बात करना चाहता है,जो पैसा उसने देना है, उसके लिए वह समय चाहता है, यह सब पत्रावली देखने से पता चला। इसके बाद प्रमुख सचिव स्तर पर बैठक हुई, जिसमें उत्तरकाशी के किसान भी थे। इस बैठक में शारदा तथा अन्य दूसरे किसान थे। बैठक में उनसे जानकारी ली गयी तथा किसानों के कहने पर ही पुलिस की कस्टडी में बेनी को छोड़ा गया। उसने कहा कि 10 दिसम्बर तक किसानों के आधे पैसे का भुगतान कर दूंगा तथा सरकार के पैसे भी वापस कर दूंगा। जब वह 10 तारीख तक नहीं आया तो उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी, वारण्ट कट चुका है और उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैंने जो जानकारी हासिल की है, उसके अनुसार बेनी की अपनी प्रॉपर्टी भी है। वह हैदराबाद का रहने वाला है। पुलिस उसके खिलाफ कार्यवाही कर रही है। मेरा मानना है कि उसको अवश्य पकड़ लिया जायेगा। यह जो घटनाक्रम हुआ है। निश्चित रूप से अपने आप में दुःखद है।

श्री प्रकाश पंत–

क्या आपको जानकारी है कि वह कहां पर है ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि वह जल्दी से जल्दी पकड़ में आये। उसके बाद उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इस सबके पीछे मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी लिप्त होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सरकार की है और उसे सरकार करेगी। इस घटनाक्रम के विषय में मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि किसी की मन्शा यह नहीं थी कि वह आदमी पैसा लेकर भाग जाय। इसके पीछे मूल भावना यह थी कि यहां के काश्तकारों का भला हो। उसने प्रारम्भ में जो काम किये उनसे लोग प्रभावित भी हुए। जब किसी व्यक्ति के किसी कार्य के कारण कोई नुकसान होता है, तो कमियां दिखायी देती हैं।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, सांप निकल गया, अब लकीर पीटने की बात कर रहे हैं। यदि कोई गरीब आदमी किसी बैंक से लोन लेता है तो उसके ऐड्रेस को एप्रूव किया जाता है। लेकिन एक आदमी हैदराबाद से आकर लीज पर कोल्ड स्टोरेज लेता है और उसका ऐड्रेस वेरीफाई नहीं किया जाता, यह दुःखद स्थिति है। मेरे पास बेनी का मुम्बई का एक ऐड्रेस है, लेकिन वह भी फर्जी है। इस मामले में पूरी ब्यूरोक्रेसी लिप्त है।

श्री अध्यक्ष–

आपके पास जो भी कागजात है, वह बाद में उपलब्ध करा दें।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय सदस्य के पास यदि उससे सम्बन्धित कोई सूचना है तो यह स्वागत योग्य बात है। उससे संबंधित सूचना आप हमें दे दें। इससे पुलिस को उसे पकड़ने में मदद मिलेगी।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने उसका ऐड्रेस क्यों नही एप्रूव कराया ? यदि कोई किसान 10 हजार रुपये लोन लेता है तो उसका ऐड्रेस भी एप्रूव कराया जाता है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, जो भी गारंटी दी गई होगी वह नियमों और कानूनों को ध्यान में रखकर ही दी होगी। उस व्यक्ति को बैंक ने भी ऋण दिया है। सरकार ने एक करोड़ की गारंटी दी तथा बैंक ने तो ढाई करोड़ की गारंटी दी है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, शासन की तरफ से बैंकों को भी फोन किया गया था जिस कारण बैंक द्वारा उसका ऐड्रेस एप्रूव नहीं करवाया गया।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, लीज पर 15 साल के लिए दिया है। गारंटी दस साल की दी है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, अर्थात् कि सरकार में अपनी जमीन की अपनी जायदाद की खुद ही गारंटी दे दी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सरकार का पक्ष सुनने के पश्चात् यह बात स्पष्ट हो गई कि यह कितना गम्भीर मामला है। सरकार ने खुद गारंटी दी है। जिस आदमी का कोई अता नहीं, पता नहीं। कोई ठौर नहीं ठिकाना नहीं। वह गारंटी छोटी–मोटी भी नहीं बल्कि पूरी 1 करोड़ की। मान्यवर, उस व्यक्ति के खिलाफ एफ0आई0आर0 किस धारा के अन्तर्गत दर्ज की गई है तथा इस पर आज तक उसके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। मंत्री जी की बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि वह बेनी का गुणगान कर रहे हैं। मान्यवर, सरकार को उसकी कहाँ–कहाँ पर प्रापर्टी है, वह व्यक्ति कहाँ से आया इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। आपने मंत्री जी जिस समय फाइल पर हस्ताक्षर किये उस वक्त आप पर किसका दबाव था। मान्यवर, पूरा उत्तरांचल इस पर

आपका जवाब चाहता है। मान्यवर, यह तो पूरी सरकार पर ही आरोप लग रहा है कि इसमें सरकार की मिली भगत थी। किसानों का शोषण किया गया है न ही कोई ऐसी योजना सरकार के पास है जिसके तहत उन गरीब किसानों का पैसा लौट सके। यह 28-30 लाख रुपये की रकम है। मान्यवर, यह काम चाहे कितने ही बड़े अधिकारी ने क्यों न किया हो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। एफ0आई0आर0 से कुछ नहीं होने वाला है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मुझे निश्चित जानकारी है कि मिसेज बेनी मटेला में लगभग 15 दिन तक रही।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, मैंने अभी अपर सचिव का पत्र पढ़कर सुनाया जिसमें साफ उल्लेख किया गया है कि मिसेज बेनी को वहाँ से जाने न दिया जाए। किन्तु वे चली गई। मान्यवर, वे कैसे चली गई किस अधिकारी ने उसको जाने के लिये फोन किया था। 12 कि0मी0 की दूरी पर माननीय मंत्री जी स्वयं रहते हैं। इससे गम्भीर चर्चा का विषय और क्या हो सकता है। माननीय नेता सदन यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या उत्तरांचल इसी तरह से बाहर के व्यक्तियों द्वारा लूटा जायेगा। बाहर का व्यक्ति यहां पर आकर गुलछर्रे उड़ा गया और यहां की जनता तथा सरकार को बेवकूफ बना गया।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल-

मान्यवर, कानूनी राय लेकर ही एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी और जो माननीय सदस्य की चिंता है, उससे सरकार भी वाकिफ है। मान्यवर, जो किसानों का पैसा नहीं दिया गया है, उसके लिए एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है। बेनी मिलेगा तो किसानों का पैसा वापिस किया जायेगा।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, सरकार से हमको बिल्कुल भी आशा नहीं है। हम इसकी सी0बी0आई0 जांच की मांग करते हैं। (घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

डिप्टी मार्शल, विधान सभा–

मानीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 3.15 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

डिप्टी मार्शल–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 3.15 से 3.30 तक बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.30 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई

भारतीय जनता युवा मोर्चा के संबंध में नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित सूचना

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठें। आज नियम 311 के अन्तर्गत माननीय श्री कण्डारी जी, माननीय कोश्यारी जी आदि कुल 19 माननीय सदस्यों ने सूचना दी है। इसे मैंने नियम 56 में सुनने के लिए कहा था। मैं चाहूंगा कि इस सूचना पर सभी माननीय सदस्य न बोलें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, इस घटना में कई माननीय सदस्यों को चोटें आई हैं। (व्यवधान) मान्यवर, नियम 311 में हमने यह सूचना दी थी, आपने नियम 56 में इसे सुनने की अनुमति दी। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा गर्जना रैली का आयोजन कर रही थी और सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि यहां के बेरोजगारों को रोजगार देने में यह सरकार असफल रही है। इसके साथ–साथ यह आरोप भी लगा रहे थे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। सरकार के पास हमारा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण ढंग से चल रहा था। मान्यवर, प्रजातंत्र में प्रदर्शन और रैली करना हमारा अधिकार है। शान्तिपूर्ण ढंग से जब हम चल रहे थे जैसे ही हम बेरीकेटिंग के पास पहुंचे तो सबसे पहले तो वहां ऐसी छुरीदार जाली लगी हुई थी जिससे हमारे हाथ कट गये। (व्यवधान) मान्यवर, छुरीदार जाली थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने ही प्रदेश की जनता के लिए क्या ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है। अश्रु गैस के गोले छोड़े गये, पानी की बौछार की गयी। इससे हमारे कपड़े भीग गये और मुझे आज बुखार भी आ गया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, ये इतना खुश हो रहे हैं ऐसा लगता है कि इन्होंने पुलिस से मिलकर जानबूझकर यह घटना करवाई है। (व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी मुस्करा रहे हैं । (हंसी)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष हंस रहे हैं। मान्यवर, सरकार के गलत कारनामों को देखकर मैं हंस रहा हूं। सरकार हमारे खिलाफ ऐसे–ऐसे षड्यंत्र रच रही है। शासन और प्रशासन दोनों ही इसमें दोषी हैं। माननीय कोश्यारी जी और मैं स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को शान्त कर रहे थे। इसके बाद भी हमारे साथ बदसलूकी हुई। हमारे ऊपर अश्रु गैस के गोले फेंके गये। हमें रोकने के लिए ऐसी कंटीली जाली लगाई गयी थी जिसे छूने मात्र से ही हमारे हाथों से खून निकल आया। पानी की वजह से आज भी हमें बुखार है, इसलिए यह घटना तात्कालिक है क्योंकि कल ही घटित हुई है, लोक महत्व की है क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो मान्यवर, इस सरकार को 3 साल हो गये हैं, अब तक तो 6 लाख लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना या वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार में बैंक आसानी से ऋण नहीं देते हैं, तो आज का युवा करे तो फिर क्या करें आन्दोलन नहीं करें तो क्या करें। हमारे युवा साथी विधान सभा का घेराव करने के लिए आ रहे थे, बेरीकेटिंग से आगे हमें नहीं आना है यह हम भी जानते हैं लेकिन प्रशासन ने जिस प्रकार से वहां पर रोका, कंटीली बाड़ लगाकर, वह ठीक नहीं है मेरा आग्रह है कि इस तात्कालिक और लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करायी जाय। लेकिन सरकार भविष्य में इस प्रकार का दमनात्मक कदम न उठायें। हम भी आपकी ही जनता हैं और जनता के जानमाल की रक्षा करने का दायित्व सरकार का होता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, अगली बार तो आपकी सरकार आने वाली ही नहीं है, अगली बार आप लोग वहां होंगे। हम अभी वर्तमान की बात करें तो बेहतर होगा। माननीय अध्यक्ष जी, जो यह घटना राज्य की राजधानी में घटित हुई तो मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण तात्कालिक एवं लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन् ..... ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस पर हमें बोलने दें आप तो बाद में कभी भी बोल सकते हैं आप तो नेता सदन हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर यदि चर्चा हो रही हो तो वहां पर कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं आता है। यह सब संसदीय नियम हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी परम्परा हमारी विधान सभा में न पड़े। मैं आग्रह करूंगा कि जब धन्यवाद का प्रस्ताव चल हो तो कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाना उचित बात नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं, इसका उल्लेख जब आप धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे तो वहां पर भी दिया जा सकता है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, पीठ से सूचना स्वीकृत कर दी गई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, पीठ की रूलिंग हमने अभी नहीं सुनी। यह मेरा निवेदन है और यह कौल एवं शकधर की पुस्तक में भी लिखा गया है कि सामान्यतया सभा की बैठक में अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसी अन्य विषय पर विचार करके बाधा नहीं डाली जाती। जिन दिनों सभा अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ करते हैं या जारी रखती है, उन दिनों चर्चा प्रारम्भ होने के पहले केवल औपचारिक स्वरूप का ही कार्य किया जा सकता है। इसमें और भी कई बिन्दु हैं मैं उनकी ओर नहीं जा रहा हूं क्योंकि जो सिस्टम पार्लियामेंट में चल रहा हो और उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी श्री आत्माराम खेर जी के जमाने से चल रहा है, उन्हीं पद्धतियों को यहां पर भी लागू करना चाहिए। यह मेरा आप सबसे निवेदन है, हर हालत में संसदीय परम्पराओं का पालन होना ही चाहिए।

मान्यवर, जो समय–समय पर विरोध में जुलूस आते हैं। विभिन्न दलों और विभिन्न संगठनों के जुलूस आते हैं। दिल्ली में यह परम्परा बन गई है कि ये लोग जन्तर–मन्तर रोड पर आकर अपने जुलूस को समाप्त कर देते हैं। वहां पर बैठक करते हैं तथा अपनी बात रखते हैं। अभी अगर हम जन्तर–मन्तर रोड पर जायं तो देखेंगे कि वहां पर 5–6 धरने पर बैठे हुए हैं। वह पार्लियामेंट के आस–पास नहीं जाते, वहीं पर रुक जाते हैं। सभी दलों ने इसको स्वीकार कर रखा है। हमारे यहां भी ऐसी परम्परा होनी चाहिए। मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि माननीय नेता विरोधी दल के बायें हाथ में पट्टियां बंधी हुई हैं लेकिन इस बात की खुशी भी है कि दायां हाथ सही सलामत है। सारे काम दायें हाथ से ही होते हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, बायां हाथ काम का नहीं है तो क्या इसको काट दें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मेरा यह आशय नहीं है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह गलत बात है कि बायें हाथ में पट्टी लगी है तो खतरे की बात नहीं है। यदि माननीय नेता सदन बायें और दायें में झगड़ा करा देंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, हम तो ऐसे ही हंसी में एक–आध बात कर देते हैं। इस बात पर आप भी हंस दिये। ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं पर आरोप लगाया गया है। आपके बायें हाथ में चार–चार पट्टियां हैं और दायें हाथ में एक भी नहीं यह तो "हुस्ने इत्तिफाक" है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसकी नौबत ही क्यों आयी। मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर आप एक सर्वदलीय बैठक बुला लें। जैसा कि पार्लियामेंट में तय हो गया है कि एक निर्धारित स्थान पर आकर अपनी बात कहेंगे, इसी प्रकार यहां पर भी रिस्पना पुल के आस–पास कोई जगह निर्धारित की जा सकती है। जो भी जुलूस आएं, वह वहां पर रुककर अपनी बात कह सकते हैं। यह सबके हित में होगा। आप तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार आने वाली है। वह आयेगी या नहीं यह तो समय ही बतायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में एक प्रक्रिया नियमन आवश्यक है। किसी भी संगठन या एन0जी0ओ0 के जुलूस आ सकते हैं। इसी प्रकार एम0डी0डी0ए0 के लिए जिसका कोई औचित्य नहीं है, भी जुलूस आ सकता है। इस संबंध में कोई नियम कानून बनाना आवश्यक है। इस प्रकार तो ये जुलूस किसी दिन विधान सभा के अन्दर आकर यहां की सीटों पर भी कब्जा कर सकते हैं और हमको यहां से बाहर कर सकते हैं। यदि किसी राज्य में इस प्रकार के नियम नहीं होंगे तो वहां पर विधान सभा बैठ ही नहीं सकती है। हाउस ऑफ कॉमन्स में तो इसके लिए नियम बना है। वहां पर काफलकर स्क्वायर से आगे जुलूस नहीं बढ़ते। ये वहीं पर रुककर अपनी बात रखते हैं। यहां पर भी ऐसा नियम बनना चाहिए ताकि विधान सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। कल आपने अच्छा जुलूस निकाला। आज के न्यूज पेपर के फ्रन्ट पेज पर एक फोटो छपी है, दो कार्यकर्ता बेरीकेटिंग के ऊपर चढ़कर ब्यूरोक्रेट से हाथ मिला रहे हैं। पता नहीं आपके हाथ में चोट कैसे आ गयी। (व्यवधान) ये लोग बेरीकेटिंग के ऊपर चढ़कर इस प्रकार मुस्करा रहे हैं, जैसे हिमालय पर्वत की चोटी पर फतह कर ली हो। झण्डा फहरा रहे हैं। लेकिन आज आपने बड़ा ही रोमांचित कर दिया।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह तो आपकी सरकार की उपलब्धि है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात कही। जिस प्रकार से व्यवस्था के प्रश्न हमारे माध्यम से उठाये जाते हैं उसी तरह माननीय नेता सदन ने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। माननीय पीठ से कार्य स्थगन का प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल जी की चर्चा के दौरान नहीं लिया जा सकता। मान्यवर, कार्य स्थगन का प्रस्ताव, इस पर ग्राह्यता पर कहने का अधिकार सम्मानित सदस्यों को है चूंकि कार्य स्थगन की सूचना देने की व्यवस्था कार्य संचालन नियमावली में निर्धारित की गई है। कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए एक फ्रेम वर्क नियम 58 के अन्तर्गत निर्धारित है। इसमें सात उपबन्ध हैं। जिसमें लिखा है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित निर्बन्धों के अधीन ग्राह्य होगा :–

1. एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे।
2. एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी।
3. प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा।
4. प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।
5. प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है।
6. प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो, किन्तु इस आधार पर प्रस्ताव को अग्राह्य करने के संबंध में अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रत्याशित विषय पर चर्चा उचित समय के भीतर सदन के समक्ष आने की सम्भावना है तथा
7. प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा कि जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत न किया जा सके।

मान्यवर, इसमें अनुज्ञा की मांग की जाती है और अनुज्ञा हमने मांगी है और आपने अनुज्ञा दी है। हम कार्य स्थगन सूचना की ग्राह्यता पर बोल रहे हैं किन्तु कार्य स्थगन का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ है। माननीय नेता सदन काफी अनुभवी हैं उसी का लाभ उठाते हुए उन्होंने इसे परिवर्तित बड़ी खूबसूरती से ग्राह्यता को परिवर्तित कर दिया। कार्य स्थगन की सूचना ग्राह्यता पर सुनी जा सकती है परम्परा है और नियमावली में प्राविधान भी है। संविधान से ऊपर कोई परम्परा नहीं है और नियमावली से ऊपर कोई व्यवस्था नहीं होती।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जहां तक कार्य स्थगन प्रश्न का सवाल है कि वह तो नियमावली का हिस्सा है लेकिन जितनी रूलिंग जैसे अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय। मान्यवर, आपकी पीठ से भी महत्वपूर्ण निर्णय दिये गये। यह 1979 से लेकर 31 दिसम्बर, 1978 तक की ऐसी अनेक पुस्तकें पार्लियामेंट के अन्दर कौल एण्ड शकधर से लेकर मल्होत्रा से लेकर, कश्यप साहब से लेकर अन्य महत्वपूर्ण जो सदन के अन्दर माननीय सम्मानित पीठ के द्वारा निर्णय दिये जाते हैं वह भी संकलित किये जाते हैं, नियमावली के साथ। उन परम्पराओं का पालन सदैव से संसद के अन्दर, विधान सभा के अन्दर तथा विधान परिषद् के अन्दर कोट होती गई हैं। उन्हीं के हिस्से के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौल एण्ड शकधर का उल्लेख किया। इसी प्रकार अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा में मार्च 1979 से 30 दिसम्बर, 1978 तक के हैं। इसमें बिल्कुल साफ लिखा है श्री कृष्णानन्द राय जिन्हें जानते हैं सब लोग वे असेम्बली के मैम्बर भी थे। एक व्यवस्था के प्रश्न पर आपने कार्य स्थगन प्रस्ताव के लिए जाने का अनुरोध किया। इस पर अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी कि आज इस पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि आज तो कोई औपचारिक कार्य ही लिया जा सकता है। ग्राह्यता और चर्चा के बहुत से अर्थ हैं, चूंकि मान्यवर, आप स्वयं भी स्पीकर के सम्मानित पद पर रहे हैं।

मान्यवर, ग्राह्यता के बहुत सीमित अर्थ हैं। इसमें अविलम्बनीय, लोक महत्व और तात्कालिक सिद्ध करना होता है। मान्यवर, आज ही नहीं जब हम भी कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाते हैं तो हमें ये तीनों चीजें सिद्ध करनी होती हैं, अभी प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट जी0सी0 मल्होत्रा की डिस्कशन ऑन दि एड्रस इज जनरली इज नॉट इन्ट्रेप्टेड ड्यूरिंग दि कोर्स ऑफ सिटिंग ऑफ दि हाउस बाई दि एनी अदर बिजनिस ओनली बिजनिस ऑफ ए फार्मल करेक्टर केन बी ट्रांजेक्टेड ऑन दीज डेज बिफोर दि हाउस कमेंसेस अन्ट्रीन्यू दि डिस्कशन ऑन दि एड्रस इन्करेप्शन ऑर डिस्कशन ऑफ दि एड्रस मे हाऊ बिल टेक प्लेश इन फेवर ऑफ डिस्कशन ऑन ए एडजारमेन्ट बेसेस इन्करेज लीव टू मूव सच ए मोशन हैजबीन ग्रान्टेड बाई दि हाउस एण्ड डिस्कशन ऑन दि एड्रस में भी पोस्टफोन ऑन ए मोशन बीइंग मेड टु देट इन्फेक्ट टु गवर्नमेंट बिल और अदर गवर्नमेंट बिजनेस (घोर व्यवधान) मान्यवर, जहां तक नियम 56 का सवाल है वह एक व्यवस्था है इसके अतिरिक्त असेम्बली प्रोसीजर में तमाम स्पीकरों के निर्णय दिये गये हैं, वे भी संग्रहीत और समाहित किये गये हैं। मान्यवर, इस तरह की बहुत सारी नजीरें हैं। मान्यवर, यह संसदीय परम्परा का हिस्सा रहा है। मान्यवर, यहां पर बहुत सारे पुराने सदस्य हैं जो पढ़ने की जिज्ञासा रखते हैं, यह संसदीय परम्परा का एक हिस्सा रहा है कि जब कभी भी राज्यपाल का अभिभाषण हो, या बजट पर चर्चा हो रही हो तो, उस समय इसका उल्लेख नहीं होता है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपका 30 साल का अनुभव है, आप 27 साल विपक्ष में रही हैं। मान्यवर, जब मैं अध्यक्ष था तो कोई दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन कार्य स्थगन की सूचना आपके दल द्वारा न दी गयी हो। मान्यवर, यह व्यवस्था बनी हुई है। प्रतिदिन कार्य स्थगन की सूचना आती है। श्रीमन् जिस समय महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा हो या बजट पर चर्चा हो रही हो। उस समय कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। मान्यवर, विशेष परिस्थितियों में माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वोपरि है। परम्पराएं बनती हैं, लेकिन तोड़ी भी जाती हैं। मान्यवर, यहां पर विगत तीन वर्ष में जितनी भी कार्य स्थगन की सूचनाएं आयी हैं, चर्चा के उपरान्त एक भी सूचना अभी तक स्वीकार नहीं हुई है, उन्हें चर्चा के बाद निरस्त कर दिया जाता है।

''काजी'' निजामुद्दीन–

मान्यवर, बार–बार कोट किया गया मैं ध्यान से सुन रहा था। मान्यवर, इसमें ड्यूरिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मान्यवर, अभी तक तो यहां पर चर्चा का प्रस्ताव आया नहीं है और चर्चा अभी शुरू भी नहीं हुई है। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह तो चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली बात हो गयी है। (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कोट किया। मान्यवर, मेरा कहना है कि आप कह रहे हैं कि जनरली तो जनरली का मतलब सामान्यता नहीं होगा

तो यहां पर जनरली की जगह मेन्डटरी होना चाहिए। मान्यवर, यह जनभावनाओं का सवाल है जब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो बाहर लोगों की बात क्या सुनेंगे। मान्यवर, यह अति महत्वपूर्ण है, इस प्रकार की घटना हुई है उस घटना पर ग्राह्यता पर बात करना चाहता हूं। अभी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा शुरू नहीं हुई है तो आप ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्जन आ चुका है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, सुनामी जनता के बीच में भी होता है। मान्यवर, मेरा कहना है कि जब आपने सुनने का आदेश भी दिया है तो इस पर सुनना चाहिए।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विषय पर बोलूं।

श्री अध्यक्ष–

आप तो काफी बोल चुके हैं।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, ये अपनी पीड़ा चर्चा के दौरान कह सकते हैं तो अनावश्यक क्यों कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना की ग्राह्यता पर सुन रहा हूं। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय कोश्यारी जी भी बहुत कुछ कह चुके हैं, तो इसमें कुछ रहा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्जन भी आ चुका है इसलिए ज्यादा न बोलें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कोई अमर पेय पीकर नहीं आया है कि कोई सत्ता में बने रहेंगे। मान्यवर, यदि सत्तापक्ष से कोई निर्देश हो जाता कि कार्य स्थगन सूचना ली ही नही जा सकती है तो यह बहुत बड़ी क्षति होती।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

* श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2005 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धन्यवाद प्रकट करता है।" मान्यवर, हमारी सरकार ने उत्तरांचल के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य किये उनकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। मान्यवर, वर्ष 2004–2005 के लिए 1810 करोड़ की वार्षिक योजना स्वीकृत की गयी, मैं उसके लिए नेता सदन को धन्यवाद दूंगा, जो वित्त के ज्ञाता हैं। मान्यवर, यह हमारे लिए गौरव की बात है। 2005–2006 के लिए वार्षिक योजना में 890 करोड़ की वृद्धि कर रु0 2700 करोड़ की स्वीकृत की है। मान्यवर, उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों की बात कहें तो उनके फायदे के लिए यह कार्य किया कि जो 07 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए जेल गये उन आन्दोलनकारियों को समूह "ग" तथा "घ" के पदों पर नियुक्ति में जाने की बात है। मान्यवर, 07 दिन से कम जेल में रहने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में आयु सीमा में छूट, चयन में अधिमान दिये जाने की बात की है। मान्यवर, आन्दोलनकारियों को सम्मान देने के लिए रामपुर तिराहा में और कलेक्ट्रेट में शहीद स्मारक की बात है इसके लिए सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। मान्यवर, जैसा कि 2–3 बार हमें भी अभिभाषण को सुनने का मौका मिला। मान्यवर, राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के विकास कार्यों का आइना होता है। मान्यवर, राज्यपाल का अभिभाषण चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो चाहे वह सूचना प्रौद्योगिकी का हो चाहे शिक्षा का हो चाहे कृषि का हो चाहे उद्यान या पर्यटन का हो चाहे वह पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो उसमें सभी के विकास की बात आती है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां तक बात है इस सरकार ने 16 नये बालिका हाई स्कूलों, 109 नये सामान्य हाई स्कूलों तथा 79 इण्टर कालेजों को उच्चीकरण किया इसकी मिशाल कहीं नहीं मिलती है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। माननीय नेता सदन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने टनकपुर में महाविद्यालय खोला। हमारी सरकार ने 2–3 वर्षों में जो कार्य किये वह एक उदाहरण है। (मेजों की थपथपाहट) चाहे दून विश्वविद्यालय की बात हो चाहे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की बात हो या पैट्रोलियम विश्वविद्यालय की बात, मान्यवर, यह आईना दिखाने की बात नहीं है कार्य बोल रहा है उत्तरांचल में।....

......मान्यवर, बुनियादी सुविधाओं के 10 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार किये हैं। पंचायती राज के क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। 73वें संविधान संशोधन की भावनाओं के अनुरूप इस सरकार ने पंचायत भवन के लिए 3900 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है और उसमें से 20 करोड़ रुपये आहरित भी हो गये हैं। कुल 2250 पंचायत भवन बनाये जायेंगे। पंचायतराज की जो भावना थी उसके अनुसार कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। खेल के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देहरादून में परेड ग्राउन्ड में स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। हल्द्वानी में एक बड़े स्तर का स्टेडियम निर्माणाधीन है। काशीपुर में तरणताल का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। खाद्य विभाग में आज हमारी सरकार ने 7 अक्टूबर, 2004 तक राइस मिलर्स तथा बैंक के सी0सी0एल0 का भुगतान कर दिया है। जो आज तक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चावल खरीद पर जितनी भी राशि एफ0सी0आई0 से प्राप्त होती है उसका उसी दिन राइस मिलर्स को भुगतान किया जा रहा है। राज्य में शान्ति एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से इण्डिया रिजर्व वाहिनी का गठन किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और उत्तरांचल के लोगों

को रोजगार दिलाने के दृष्टिकोण से भी यह एक सराहनीय कार्य है। मान्यवर, आज जो लोग इन चीजों को कम करके आंक रहे हैं या जो लोग सरकार की उपलब्धियों को स्वीकार नही कर पा रहे हैं, हो सकता है कि यह उनकी राजनीतिक मजबूरी हो, लेकिन मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि

"इस सदी का जब कभी इतिहास लिखवायेंगे।

सरकार की उपलब्धियों को तब खास लिखवायेंगे ये।।

मान्यवर, इस सरकार ने एक मिसाल कायम की है। विकास के मामले में किसी के साथ कोई दलगत भेदभाव नहीं हुआ है। हर क्षेत्र, हर वर्ग चाहे वह अल्पसंख्यक हो, या अनुसूचित जाति को हो, सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। मान्यवर, मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य जो सरकार की कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते है। वे माननीय सदस्य सरकार की उपलब्धियों की भी सराहना अवश्य ही करेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास पुरुष पं0 नारायण दत्त तिवारी के रूप में हमे एक ऐसे मा0 मुख्यमंत्री जी मिले हैं जिन्हें पता है कि वित्त का प्रबन्ध कैसे और कहां से किया जायेगा, विकास के काम कैसे किये जा सकते हैं ? मान्यवर, नेता सदन ने, जिसने भी झोली फैलायी उसे देने में कभी यह नहीं देखा कि सामने वाला किस दल से संबंधित है। दिल खोल कर दिया। इसलिए मान्यवर, जब धन्यवाद देने का वक्त आयेगा तो मुझे आशा है कि हमारे विपक्ष के मित्र भी कंजूसी नहीं बरतेंगे। अन्त में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय भारत, जय उत्तरांचल।

श्री गणेश गोदियाल–

श्रीमन्! महामहिम श्री राज्यपाल जी द्वारा दिये गये उनके अभिभाषण पर हमारे साथ और इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री हेमेश खर्कवाल जी द्वारा रखे गये इस धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

मान्यवर, सबसे पहले मैं उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों की शहादत को नमन करता हूं, जिनकी शहादतों से इस राज्य का निर्माण हो पाया है। मान्यवर, यह एक स्वागत योग्य कदम है और विपक्ष के भी हमारे साथियों ने भी यह स्वीकार किया कि आन्दोलनकारियों को सम्मानस्वरूप उनकी योग्यता और अनुभव के देखते हुए उन्हें सेवायोजित किया गया। मैं इस अवसर पर केन्द्र सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसके लिए इस सदन के सारे साथी और इसमें अधिकांश साथी इस बात से सहमत होंगे कि केन्द्र सरकार और योजना आयोग ने वर्ष 2005–2006 के लिए 890 करोड़ का परिव्यय बढ़ाकर 2700 करोड़ रुपया कर दिया है। मान्यवर, इस सरकार की यह उपलब्धि उत्तरांचल के लिए एक आधार बन गई है, अगर बहुत ही प्रतिकूल स्थितियां होंगी तो इसमें परिवर्तन हो सकता है, वैसे योजना आयोग में यह नहीं होता कि जिस प्रदेश का वार्षिक परिव्यय को बढ़ा दिया वहीं उसकी सीमा हो जाती है और उसे घटाया नही जाता है इस प्रकार से हमारी सरकार ने एक मजबूत आधार स्थापित कर दिया है।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, हमारे सत्तापक्ष वाले अपने धन्यवाद की बात रखते हैं तो विपक्ष के साथी कहते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था हो सकता है इसमें इनकी राजनीतिक मजबूरी भी हो। मैं समझता हूं कि उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिए आन्दोलनकारियों की जो सोच थी वह निश्चित रूप से आज साकार हो रही है। लेकिन मैं आज एक प्रश्न भी करना चाहता हूं कि वह कौन सी सरकार है ? चाहे जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब की सरकारें हों या फिर उत्तरांचल बनने की बाद की सरकार हो, किस सरकार ने एक ही साल में लोक निर्माण विभाग के 1200 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत कराये हों। और यह सब कागजी बातें नहीं हैं बल्कि यह कार्य आज प्रारम्भ हो चुके हैं। विधान सभा चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनी तो निश्चित रूप से सरकार नई थी और लोगों की आकांक्षायें ज्यादा थी, हम लोग भी तब चुनकर नये-नये आये थे और लोगों की अपेक्षायें इतनी ज्यादा थी कि सभी लोग घेरकर कहते थे कि ऐसा कराओ, वह काम कराओ। मान्यवर, यह बात बिल्कुल सही है कि सरकार चलाने में या किसी भी क्षेत्र में अनुभव का बहुत महत्व होता है और जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी में है, उन्हें 50 साल का अनुभव है राज्य चलाने का। जितनी अपेक्षा आज हम मुख्यमंत्री जी से करते हैं वे उससे ज्यादा ही कार्य प्रदेश के हित में कर रहे हैं। श्रीमन्! आप सबने बिल गेटस् का नाम जरूर सुना होगा, उसका अमेरिका की अर्थव्यवस्था में काफी प्रभाव है, जितना परिव्यय हमारे पूरे प्रदेश का है, उससे कहीं अधिक परिव्यय उनकी कम्पनी का होता है।

मान्यवर, ऐसा शख्स माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सम्बन्धों के कारण, उनकी दूरदर्शिता के कारण उनसे प्रभावित होकर देहरादून में आई0टी0 अकादमी खोलता है, तो यह हमारे लिए गौरव की बात है। इस पर मैं ही नहीं पूरा प्रदेश अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। इसके साथ-साथ मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 80 के दशक में जब औद्योगिकीकरण की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी और देश ने यह महसूस किया कि औद्योगिकीकरण करने से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। औद्योगिकीकरण बढ़ने से ऊर्जा की मांग बढ़ी। तब नार्थ इण्डिया के इस भू-भाग में, तब हमारा प्रदेश का एक अंग था, हमारे भू-भाग को बहुत अपेक्षा की नजर से देखा जाता था, यह महसूस किया गया कि हमारा यह क्षेत्र ऊर्जा के क्षेत्र में देश की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। निश्चित रूप से तब यह सपना ही था कि कभी हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बनेगा। आज यह सपना साकार हो रहा है। हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बन रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे प्रदेश में ऊर्जा अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड होगी। आज हमारे यहां छोटी निविदायें स्थानीय लोगों को और बड़ी निविदाएं ऐसी संस्थाओं को दी जा रही है, जिनको इनका अनुभव है और उनके पास संसाधन भी हैं। हमारे प्रदेश का इस प्रॉफिट में शेयर है, वह हमें दिया जा रहा है। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूं, सम्मानित सदन अवगत ही है कि पर्यटन के विकास के लिए हमारी सरकार ने पर्यटन विकास परिषद् की स्थापना की है। पर्यटन विकास परिषद् की स्थापना इस उद्देश्य से की गयी है कि प्रदेश में नये पर्यटन क्षेत्र खोजे जा सकें। और हमारी जो योजनायें हैं, उनको कार्य रूप दिया जा सके इस मकसद से पर्यटन विकास परिषद् की स्थापना की गयी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि पर्यटन क्षेत्र में हम अपने को हिन्दुस्तान में ही नहीं

पूरे विश्व के मानचित्र में स्थापित कर पायेंगे, इस ओर हम अग्रसर हैं। लोक निर्माण विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। इस वर्ष सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि 7190 किमी0 मार्गों के पुनर्निर्माण तथा 83 मोटर मार्गों के निर्माण के लिए 1032 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति हुई और इस पर कार्य शुरू हो गया है। इस बात पर आपको तालियां बजानी चाहिए। हमारी सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य किया है विपक्षी सदस्यों ने टीका टिप्पणी की थी इसके उपरान्त मान्यवर, इस मौके पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी बाबा भारती की कहानी है। जिस प्रकार यह कहा जाता है कि किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर खुश होता है, उसी प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे। उस क्षेत्र में एक डाकू था, खड़क सिंह। उसकी नजर उस घोड़े पर थी। खड़क सिंह को पता था कि शक्ति के बल पर मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, इसलिए उसने छल किया और वह अपाहिज बन गया और रास्ते में बैठ गया। जब बाबा भारती वहां पर पहुंचे तो हाथ देकर उनको रोक लिया और कहा कि मैं एक अपाहिज हूं, मुझे थोड़ी दूर पहुंचा दीजिए। बाबा भारती ने घोड़े को रोक लिया और अपाहिज समझकर उसको घोड़े पर बैठा लिया। घोड़ा आगे बढ़ा तो खड़क सिंह अपने असली रूप में आ गया। उसने बाबा भारती को धक्का देकर घोड़े की लगाम अपने हाथ में ले ली। बाबा भारती ने उसको पहचान लिया कि यह तो चर्चित डाकू खड़क सिंह है। बाबा भारती ने कहा कि घोड़ा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ने सोचा घोड़ा तो मुझे मिल ही गया है।

...........किन्तु यह बात किसी से मत कहना कि अपाहिज बनकर मैंने तुम्हारा घोड़ा छीना।

(हंसी)

मान्यवर, जो कार्य हुए है उन कार्यों के बारे में यह कहना कि वह कार्य नहीं हुए तो यह बात गलत है। यह अच्छी परम्परा नहीं है। यदि किये हुए कार्यों को भी यह कहा जायेगा कि नहीं हुए हैं तो सरकार किसी कार्य को कैसे शुरू करेगी, इससे तो कार्य करने का प्रयास और उत्साह भी कम हो जायेगा। मैं किसी को डाकू की उपाधि नहीं दे रहा हूं। हो सकता है कि भविष्य में जब कभी आपको मौका मिलेगा तो आपको भी यह स्थिति पेश करनी पड़ सकती है। अच्छा विपक्ष तो वही कहलाता है जो अच्छे कार्यों की प्रशंसा करें। विपक्ष की भूमिका हमेशा रचनात्मक होनी चाहिए। मान्यवर, अभी यहां पर उद्यान विभाग से संबंधित बात चली। सभी व्यक्ति अपने-अपने हिसाब से परिभाषा कर सकते हैं किन्तु हर बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह अवश्य देखना चाहिए कि व्यक्ति विशेष का इन्ट्रेस्ट क्या था। कार्य तो भले के लिए किया जा रहा था किन्तु नुकसान हो गया। मैं कहता हूं कि हम एक अच्छा बेनी खोजेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अच्छा बेनी मिलेगा और वह बेनी यहां के किसानों को धोखा नहीं देगा। यदि हमें यह पता चलता कि उसकी मंशा गलत थी या उस अधिकारी की मंशा गलत थी तो हम उसके विरुद्ध कार्यवाही करते किन्तु यदि अच्छी मंशा होते हुए भी अगर कहीं पर गलती हो जाती तो उसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। आज सुबह जब स्वर्गीय श्री शिवानन्द नौटियाल जी को शोक संवेदना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यक्त की जा रही थी उस वक्त मैं आपकी नजरों का कृपा पात्र नहीं हो पाया। मैं अपने

को उस प्रस्ताव में सम्मिलित करना चाहता था वैसे अपनी शोक संवेदना पहले ही प्रकट कर चुका हूं मैं उनके निधन पर स्वयं लखनऊ गया था। मान्यवर, स्वर्गीय नौटियाल जी का शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है, उनकी स्मृतियों को जीवित रखने के लिए मेरे राठ क्षेत्र में जो एक हाईस्कूल विद्यालय है जिसका नाम रा0उ0मा0वि0 ग्वालखुडा है, उसको इण्टरमीडियट कर दिया जाय और उसका नाम स्व0 नौटियाल जी के नाम रख दिया जाय। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी को आज विपक्ष ने घेरना चाहा किन्तु उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे एक तो रोजगार की बात हमारे विपक्ष के भाई अक्सर किया करते हैं उन्होंने रोजगार के अवसर हमारे नौजवानों को उपलब्ध कराये।

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने लगभग 20 हजार नियुक्तियां शिक्षा के क्षेत्र में दी हैं। मेरा सभी माननीय मंत्रियों से निवेदन है कि वे भी अपने-अपने विभाग में बीस-बीस हजार नियुक्तियां देने का कष्ट करें।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा 20 हजार नियुक्तियां देने की बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह कोट करें। हां या नहीं में उत्तर दें। मान्यवर, चूंकि रोजगार कार्यालय के आंकडे कुछ और हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

मान्यवर, ये आंकडे हैं।

श्री गणेश गोदियाल-

मान्यवर, जहां तक मध्याह्न भोजन वाली बात है, यह कोर्ट के आदेश हैं सब छात्रों को मध्याह्न में भोजन देना। मान्यवर, हमें कोर्ट के निर्देशों का पालन करना है। मान्यवर, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं इतना पैसा अब तक कहां था। मान्यवर, जो लोग यहां पर विकास की बात कर रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने विधायक विकास निधि का पूरा पैसा भी अपने क्षेत्र में खर्च नहीं किया है। ऐसा मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी है, जहां विधायक निधि से पूर्व में 72 लाख रु0 खर्च नहीं किया गया। मान्यवर, इस लैप्स पैसे को पुनः प्राप्त करने के लिए मैंने माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी से बात की, उनके सहयोग से हमें यह लैप्स पैसा पुनः मिल जायेगा। मान्यवर, आज वही लोग कह रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है पता नहीं उन्होंने कौन सा चश्मा पहना हुआ है।

मान्यवर, औद्योगिक विकास का रोजगार से सीधा-सीधा सम्बन्ध है। मान्यवर, हमारे प्रान्त को बने हुए अभी बहुत समय नहीं बीता है। हमारी सरकार को अभी तीन साल पूरे नहीं हुए हैं। इस सीमित अवधि में सिडकुल के माध्यम से हिन्दुस्तान लीवर, ब्रिटानिया आदि मल्टीनेशनल कम्पनियां हमारे यहां प्रवेश कर रही हैं, इससे राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, रोजगार का सम्बन्ध केवल सरकारी नौकरी से नहीं होता है। बल्कि वह भी रोजगार कहलायेगा जिसके कारण कोई व्यक्ति अपने परिवार का भलीभांति पालन-पोषण कर रहा हो। मान्यवर, निजी क्षेत्र में जितने रोजगार के अवसर प्राप्त हो

रहे हैं इसका परिणाम दो–तीन सालों में हमें देखने को मिलेगा। मान्यवर, निजी क्षेत्र के क्षेत्र में जो कदम हमारी सरकार ने रखा है, इससे न केवल बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, बल्कि प्रदेश का भी बहुँमुखी विकास होगा। मान्यवर, हमारे छोटे भाई खर्कवाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से राज्य प्राप्ति के लिए हमारी जनता ने संघर्ष किया, उसी तरह से हम अपने–अपने क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करेंगे और अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि [* * * * * * * * *] ताकि मैं बोल न सकूं। फिर भी प्रयास करूंगा और संशोधन प्रस्ताव पेश कर रहा हूं, प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, ''सरकार ने जानबूझकर इनको घायल किया'' यह रिकार्ड में न आये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको कार्यवाही से हटा दिया जाय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय। मान्यवर, खेद है कि महामहिम राज्यपाल जी ने निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को मैंने पढ़ा और मुझे बड़ी हैरानी हुई। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं पर भी भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर अंकुश लगाने की बात नहीं हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, परम्परा है कि पहले आप संशोधन प्रस्तुत कर दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह तो मैं प्रस्तुत कर चुका हूं, इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष–

अन्य माननीय सदस्यों के संशोधन जो प्राप्त हुए हैं प्रस्तुत माना जायेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इस अभिभाषण में बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने की बात नहीं है। मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार ने कहा कि राजस्व में वृद्धि कर रहे हैं, पर मैं कहना चाहता हूं, कि 64 प्रतिशत कर्ज में जा रहा है, तो विकास कार्य कैसे होगा। इसके साथ ही साथ कहीं पर अभिभाषण में यह नहीं कहा कि फिजूल खर्च पर कैसे अंकुश होगा। विदेश यात्रा पर रोक लगाने के लिए कोई बात नहीं की गयी। स्टेशनरी, फर्नीचर पर रोक लगाने की बात नहीं की गयी।

नोट :– [***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, अच्छा होता कि नान प्लान के खर्च को कम किया जाता और प्लान को बढ़ाया जाता। मेरा निवेदन है कि सरकार के तीन वर्ष व्यतीत हो गये हैं परिसम्पत्तियों का अभी बंटवारा नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के पास हमारी बंटवारे की बहुत बड़ी धनराशि है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनका जल्दी से बंटवारा हो। मान्यवर, विकल्पधारियों के बारे में कहना चाहता हूं पिछले अभिभाषण में भी कहा गया कि विकल्पधारियों को हम जल्दी वापस कर देंगे मगर अभी भी कहा जा रहा है कि हम विकल्पधारियों को वापस करने के लिए प्रयासरत हैं। मान्यवर, तीन वर्ष बीत चुके हैं आपने कोई कारगर कदम नहीं उठाये। मान्यवर, उत्तरांचल की जनता पीड़ित हो रही है। मान्यवर, वार्षिक योजना का जो बजट है उसका सदुपयोग हो और यह रुपया विकास कार्य में लगे। मान्यवर, गढ़वाली में एक उदाहरण है 'सास नो बिछना ब्वारी नो उछना सारी रात झाड़ लेकर सुबह दिखना कुछ ना''। हमारा कहना है कि सास का नाम तो उछना ब्वारी का नाम है बिछना सारी रात उन्होंने जो बर्तन चूल्हे में रखा और सुबह देखा तो कुछ नहीं। यही बात हमारी सरकार की है। हमारी सरकार यह बात जाने में कह रही या अनजाने में कह रही है। इस पर मैं एक श्लोक कहना चाहता हूं—ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवे, यावत् जीवेत सुखम् जीवे। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में 10 वर्षों का लक्ष्य रखा गया। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार 10साल के बजाय दो साल का लक्ष्य रखती। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप भले आदमी हैं आप विद्वान् हैं आप इसे राजनीतिक रंग नहीं देंगे जो हकीकत है उसे स्वीकार करेंगे।

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी ने और श्री कैलाश शर्मा जी ने एक बात रखी। अल्मोड़ा जिले में मटेला नामक कोल्ड स्टोर है इसको लीज पर दे दिया गया है। मान्यवर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी सी0बी0आई0 से जांच होनी चाहिए और असलियत सदन के सामने आनी चाहिए। यह हमारे उत्तरांचल के ऊपर कलंक है। (व्यवधान) मान्यवर, मैं भी मंत्री रहा हूं। आरोप मेरे ऊपर भी लगे हैं। जब तक असलियत सामने नहीं आ जायेगी तब तक सरकार संदेह के घेरे में रहेगी। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं। मान्यवर, हल्द्वानी में डायमंड एण्ड ज्वैल कम्पनी ने सरकार की जमीन को सरकार को बेचा। इसकी भी आप जांच करा लें। मान्यवर, रिस्पनापुरम् कालोनी है। इसमें मैं भी गया हूं, मा0 अध्यक्ष जी भी गये होंगे, आवास समिति भी गयी थी। इसमें हमारे कर्मचारी रहते हैं। लेकिन उनसे कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। इससे राजस्व की हानि हो रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ठोस निर्णय ले। जो कर्मचारी बंधु वहां पर रह रहे उनको किराये पर आवास दे दें। इससे सरकार को किराया भी मिलेगा। लेकिन मान्यवर, आज जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनसे कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। इससे राजस्व की हानि हो रही है। मान्यवर, इस पर निर्णय होना चाहिए। मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे बेरोजगार लोगों ने प्रदर्शन किया। लगभग 30 हजार लोग थे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पता नहीं हमारे सत्तापक्ष के माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे या नहीं। मान्यवर, समूह ग एवं घ के जो पद हैं यदि इनमें आप यहां के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आपकी सरकार

एक ऐसा विधेयक लाये जिससे कि समूह ग एवं घ के पद उत्तरांचल के बेरोजगार भाई–बहनों के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षित कर दिये जायें। अन्यथा आज चारों तरफ यह सुनने को मिल रहा है कि भर्तियों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। पटवारी घोटाला, दरोगा घोटाला इसका उदाहरण है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह बात कही है। मान लीजिए कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो फिर उच्च अधिकारी सस्पेंड क्यों हुए ? मैं चाहूंगा कि भर्ती में पादरर्शिता होनी चाहिए और जो योग्य है, उन्हें ही लिया जाना चाहिए। आपने एक निर्णय लिया कि 7 दिन या उससे अधिक जो जेल में रहा होगा हम उनको नियुक्ति देंगे। मगर डी0एम0 ने आदेश कर दिया जल निगम के लिए कि इसको नियुक्ति दीजिए और जल निगम ने यह कहा कि हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है, तो मान्यवर, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, अच्छा होगा यदि इनको इंप्लीमेंट कर दें। यहां पर मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा बंधु हैं या विजिटिंग प्रवक्ता है या व्यवसायिक शिक्षक हैं उनके लिए भारत सरकार से पैसा आता है उनको 3–4 साल से वेतन नहीं मिला है तो श्रीमन् इन शिक्षा मित्रों बन्धुओं और पी0टी0ए0 के शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाय। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जो हमारे विभागों में निगमों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जो हमारे भाई बहन है, उनका मान्यवर, नियमितीकरण नहीं हुआ है। महोदय एक सिपाही जो फौज में 15 साल की नौकरी करके आता है, पूरी फैसिलिटी पाता है। लेकिन जो हमारे यह भाई लोग हैं 20–22 साल नौकरी करने के बाद भी इन्हें 1700–1800 रुपया ही मिल पा रहा है, इनका नियमितीकरण होना चाहिए।

मान्यवर, अभिभाषण में कहा गया है कि उत्तरांचल राज्य में उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी की स्थापना की गई है, मान्यवर, क्या इससे न्याय में वृद्धि हो पायेगी, एक उदाहरण देना चाहता हूं हरिद्वार जनपद का, तो वहां पर जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दीन–हीन आदमी हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाये जा रहे हैं, मान्यवर यह स्थिति नहीं आनी चाहिए। न्याय सबको सुलभ हो, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरा एक निवेदन है कि न्याय पंचायतों को और सम्पन्न बनाया जाना चाहिए। यदि न्याय पंचायतों के माध्यम से कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। तो और अच्छा होगा। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा हमें पहले एक औद्योगिक पैकेज दिया गया था जो कि 2013 तक के लिए था लेकिन वर्तमान केन्द्र सरकार ने इसे घटाकर 2007 तक ही कर दिया है, हम चाहते हैं कि आप केन्द्र सरकार को पत्र लिखें और उन पर दबाव बनायें कि इसे पूर्ववत् 2013 तक के लिए कर दिया जाय। श्रीमन्, अभिभाषण में यह लिखा गया है कि औद्योगिक संभावनाओं वाले क्षेत्र हरिद्वार, पंतनगर, देहरादून कोटद्वार आदि तो इस संबंध में हमारा यह कहना है कि जैसा कि मेरा भी लम्बा राजनीतिक अनुभव है मैं 1980 से 10 साल ब्लाक प्रमुख रहा और 1991 से अब तक विधायक हूं तो हमने जो देखा अनुभव के आधार पर कि पहाड़ों में या अन्य जगहों पर जो औद्योगिक केन्द्र पहले खुले थे वे आज वीरान पड़े हैं तो ऐसे केन्द्रों को जो आज वीरान पड़े हैं, उन पर सरकार का पैसा लगा हुआ है। उनका पहले विस्तार किया जाना चाहिए। जो बंद पड़े हैं उनको चालू किया जाना चाहिए एक बात और कही गई है कि हमने ऊन बैंक की स्थापना कर दी है तो मान्यवर, हमारे ऊन उत्पादक जिलों, पिथौरागढ़,

बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली और उत्तरकाशी। यहां पर वहां के माननीय विधायक भी बैठे हैं, रुद्रप्रयाग के विधायक भी यहां पर हैं तो मान्यवर, उनकी बात सुने और असली बात देखी जाय तो जो ऊन लोगों के पास था वह घर पर सड़ रहा है। उनके ऊन की बिक्री के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाये। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा, कि जसपुर और काशीपुर, यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपका क्षेत्र है। मान्यवर, यह आपकी कर्म भूमि है, रणभूमि है। वैसे तो आप सम्पूर्ण भारत वर्ष के नेता हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि आपका कद बहुत बड़ा है। आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आपको तो हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। आपको इस छोटे से प्रदेश में बैठा दिया गया है। आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की तुलना करके देख लीजिए। जसपुर और काशीपुर में जो कताई मिलें हैं, और उनमें कितना पैसा लगा होगा, इनको चालू किया जाना चाहिए। चाहे निजी निवेश में इनको दें, चाहे सरकार की तरफ से इनको चालू करवायें। मैं निवेदन करूंगा कि इनको चालू करा दें ताकि वहां के भाई–बहनों को रोजगार मिल सके। इसके अतिरिक्त एक सुझाव और देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, शायद यह आपके क्षेत्र में आता है। रामगढ़ में एक फूड प्रोसेसिंग सेन्टर है, यह बहुत बड़ा है। इसी प्रकार हल्द्वानी में सोयाबीन फैक्ट्री है, वे किसके पास पड़े हैं। इसी प्रकार बहुत सी बड़ी–बड़ी यूनिटें हैं, जो कोई कार्य नहीं कर रही है। इस प्रकार उत्तरांचल की सम्पत्ति का नाश हो रहा है। ऐसी बन्द पड़ी कम्पनियों को चालू करने का प्रयास करें, तो अच्छा होगा। माननीय गोदियाल जी और माननीय खर्कवाल जी ने अभिभाषण की बहुत प्रशंसा की है। यह सच है कि आपकी एक उपलब्धि है। आपने इतनी अधिक लाल बत्तियां बांट दी हैं कि अपने आप में एक उपलब्धि है। इसमें आपने रिकार्ड बना दिया है।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष को मिली है या नहीं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह तो एक संवैधानिक पद है।

श्री गणेश गोदियाल–

कौन सा पद संवैधानिक नहीं है, बता दें।

श्री हेमेश खर्कवाल–

आपने तो सरकार जाने के बाद भी लाल बत्ती नहीं छोड़ी।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जिस समय में मंत्रि–परिषद् में नही लिया गया था, तो तत्काल मैंने लाल बत्ती वापस कर दी थी।

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, उसके बाद चक्का जाम कर दिया था।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपने तो मुख्यमंत्री जी को ही नचा दिया और इस्तीफा दे दिया।

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, चूंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपका नाम नहीं लिया है।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, अगर सफाई सुनना चाहते हैं तो सुन लें। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चाहते हैं कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन आप ही की पार्टी के लोग ऐसा नहीं चाहते।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आबकारी, राजस्व को बहुत बड़ा हिस्सा देता है। अगर आप आबकारी नीति को ठीक बना दें तो हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ हो जायेगी। यदि इसे गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊं मण्डल विकास निगम को दे रहे हैं तो उन्हीं को दीजिए और किसी को न दीजिए। इसकी एक नीति बनाइये। मान्यवर, गन्ना उत्पादन करने वाले कृषक हैं, आज भी हरिद्वार के कृषकों को 15 रुपया प्रति कुन्तल नहीं मिल रहा है। कृषकों को माननीय राजनाथ सिंह जी ने तो 32 करोड़ रुपया दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यह चाहता हूं कि कृषकों के गन्ने का जो भुगतान शेष है, उसे तत्काल करा दें। अब सब जगह अफसरशाही हावी हैं।

मान्यवर, अफसरशाही हावी हैं। क्या यह जो खड़ा कोल्हू है उस पर लाइसेंस लेने की बात कहीं गई है। ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार में एक वातावरण क्रिएट हुआ कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मान्यवर, यह आदेश सरकार का नहीं था मगर अफसरों ने अपनी चांदी बनाने के लिए जनता को बेवकूफ बनाया। मगर आपने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया उसकी हम प्रशंसा करते हैं।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, आप यह प्रशंसा सच्चे मन से कर रहे हैं। सच्चे मन से आप क्या-क्या कह रहे हैं, वह पहले बता दें।

श्री मातबर सिंह–

मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि वह कौन अधिकारी है किसने लाइसेंस जगवाये। इसकी गहराई में जाना चाहिए। गरीब जनता का उत्पीडन हुआ है। उत्पीडन की कार्यवाही किसके द्वारा की गयी इसकी आप जांच करवायें। मान्यवर, 10 चीनी मिलें हैं यह घाटे में चल रही है, जो अधिकारी/कर्मचारी इसमें रहते है उनका वह दायित्व होना चाहिए कि चीनी मिलें घाटे में न जायें उनको वेतन किस बात का मिल रहा है। वे मिल को ठीक ढंग से चलायें। यदि चीनी मिलें घाटे में जाती हैं तो उन पर दायित्व निर्धारित किया जाय। यह चीनी मिलें अपने घाटे को सरकार का घाटा बताती हैं इससे चीनी मिलों को घाटा बहुत परेशानी की बात है।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, एक सी0बी0आई0 जांच बिठा दी जाय। माननीय नेता प्रतिपक्ष जब सत्ता में थे तब भी परेशान रहते थे।

(हंसी)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं तो समालोचना कर रहा हूं। मान्यवर, केन्द्र सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग से अनुदान मिलता है और यह अनुदान वापस चला जाता है क्योंकि इस अनुदान का उपयोग नहीं हो पाता है। खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत भारत सरकार से जो अनुदान मिलता है उसका सदुपयोग होना चाहिए। मान्यवर, आई0टी0आई0 के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आई0टी0आई0 एक अनुदेशक चला रहे हैं। अच्छा होगा कि अनुदेशकों की नियुक्ति करें। आई0टी0आई0 सुचारू रूप से चले।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आपकी चिन्ता हमारी भी चिन्ता है। माननीय उच्च न्यायालय में 7 स्टे हो चुके हैं। जैसे ही उच्च न्यायालय से स्टे समाप्त होंगे वैसे ही नियुक्ति की जायेगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, बेरोजगारों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी प्राप्त करने के लिए कम से कम आई0टी0आई0 पास तो होना ही चाहिए। आई0टी0आई0 सुचारू रूप से चले तो नौजवानों को लाभ होगा। मान्यवर, बस दुर्घटनायें बहुत हो रही हैं, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। 106 व्यक्ति मात्र टिहरी गढ़वाल में ही मरे। यह बस दुर्घटनाएं क्यों हो रही है इसकी समीक्षा होनी चाहिए ताकि भविष्य में बस दुर्घटनायें न हों। मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय नेता सदन से कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रत्येक विभाग में 20 से 50 प्रतिशत तक कमीशन लिया जा रहा है।

..........मान्यवर, जहां तक परिवहन की बात है। माननीय मंत्री जी प्रत्येक ट्रक से 10 [illegible] प्रतिमाह लिया जा रहा है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आप हमें लिखकर दें, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह पत्र हमारी बहनों का खून से लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने लिखा है कि जो स्थानान्तरण की नीति है, यह ठीक नहीं है। मान्यवर, स्थानान्तरण एक बिजनेस बन गया है मेरा अनुरोध है कि इसको व्यवसाय न बनने दिया जाय। मान्यवर, यदि किसी ने 05 वर्ष तक दूरस्थ क्षेत्रों में नौकरी कर ली हो तो उसका स्थानान्तरण मैदान में होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपको यह पत्र दे रहा हूं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, जब सदन में महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा हो रही होती है और जब माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे होते हैं तो उस समय यहां पर मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को उपस्थित रहना चाहिए। यह परम्परा भी रही है। मान्यवर, इस समय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, तथा नेता सदन मौजूद हैं, परन्तु यहां पर मुख्य सचिव एवं अपर सचिव मौजूद नहीं हैं, मान्यवर, ऐसे में हमारे इन सुझावों का क्या औचित्य है, मंत्रिगण हवा में बात ले रहे हैं और अधिकारी भी मौजूद नहीं हैं। ऐसे में आपकी ओर से एक निर्देश सरकार को जाना चाहिए।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं आपको एक पत्र और दे रहा हूं यह पत्र जल विद्युत में सरकारी धन के दुरूपयोग के सम्बन्ध में है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में पांच बजे से लेकर एक बजे तक बिजली नहीं रहती है और कानून व्यवस्था की समस्या बनी हुई है। मेरा निवेदन है कि यदि विद्युत कटौती करनी है तो रात्रि के समय न की जाय। इससे चोरी, डकैती नहीं होगी। मान्यवर, इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा घटनायें हो रही हैं और छात्रों को पढ़ने में भी कठिनाई हो रही है। मान्यवर, मैं इलेक्ट्रानिक मीटर के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि ये मीटर गलत हैं ऐसा अधिकारियों का मानना है। यह मीटर रीडिंग भी ज्यादा दे रहे हैं। जहां दो–तीन सौ रु0 का बिल आता था वहां आज इनकी वजह से छः से आठ हजार का बिल आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में ये खरीदे गये, जब अधिकारियों ने ही मना कर दिया था। मान्यवर, गांवों में लो वोल्टेज की समस्या भी बनी हुई है। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह बहुत बड़ी समस्या है यह हमारे क्षेत्र की भी समस्या है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर आपको नहीं बोलना चाहिए, आपके यहां 432 के0वी0 का वोल्टेज चल रहा है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र और हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या है। बाजारों में तो चकाचौंध रोशनी है और गांवों में एक बल्ब भी नहीं जल पा रहा है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। मान्यवर, जल विद्युत परियोजनायें आधी अधूरी हैं सबसे पहले इसको पूरा कर दें। मान्यवर, मैं मनेरी भाली फेस–2 में गया तो वहां एस0डी0एम0 से कहा कि इसमें मिट्टी है या नहीं, तो उसने कहा कि मिट्टी नहीं है। फिर मैंने खुद

देखा तो मिट्टी थी और उसकी जांच के लिए कहा, पर आज तक उसकी जांच नहीं हुई। मान्यवर, विद्युत रेट इतने बढ़ा दिये। जिसकी कोई सीमा नहीं, इससे जनता पर, कृषकों पर बोझ कर दिया, इस पर भी विचार कर लेंगे तो अच्छा होगा। मान्यवर, आज स्वच्छ पानी की समस्या है। हमारी बाल्टी जग के तल में मिट्टी जमा हो जाती है और उस पानी को हम लोग पी रहे हैं, तो स्वच्छ जल हमें कहां से मिलेगा। मान्यवर, टोंटी के संयोजन में 50 रुपया और व्यवसायिक में 3 सौ रुपया हो गया और सीवर टैक्स 2 रुपये प्रति शीट से 15 रुपये प्रति शीट कर दिया तो इस पर भी विचार कर लें। मान्यवर, जो टिहरी डैम विस्थापित हैं कुछ लोग जमीन के मुआवजे के लिए आज भी परेशान हैं, अधिकारी उनको घुमा रहे हैं। मान्यवर, जौली ग्रान्ट और पंत नगर हवाई पट्टी का विचार कर रहे हैं वह अच्छी बात है पर गरीब जो है उनको क्या दे रहे हैं। मान्यवर, उनको क्या दे रहे हैं 20 लाख रुपये तो जमीन की कीमत है आप उन्हें दो ढाई लाख पकड़ा रहे हैं। वह चाहे जौलीग्रान्ट का हो या पिथौरागढ़ या टनकपुर का या गोचर का हो उनकी जमीन ली जा रही है या तो उनको जमीन के बदले में जमीन दी जाय, नहीं तो उनको बाजार मूल्य पर पैसा दिया जाय। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जल निगम और जल संस्थान के बारे में जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो हम सोचा करते थे कि इनका एकीकरण कर देंगे किन्तु हम उलझ गये। हमारा कहना है कि जल संस्थान और जल निगम का एकीकरण होना चाहिए। मैं इस संबंध में कहता हूं कि इसके पीछे एक कहानी है वह अफसरों की लम्बी लाइन खड़ी करने के लिए किया गया है। स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि डा0 भेज दिये। डा0 तो भेजे हैं मगर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया है। मान्यवर, वार्ड ब्वाय अस्पताल चला रहा है। मान्यवर वार्ड ब्वाय क्या अस्पताल चलायेगा। मान्यवर, मैं महिला डाक्टरों के बारे में कहना चाहता हूं। पहाड़ में महिला डाक्टर नहीं हैं। पहाड़ की महिलाओं को इससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, मेरा कहना है कि ए0एन0एम0 सेन्टर खोले जायें ताकि हमारी बहिनों को राहत मिल जाय। मान्यवर, हल्द्वानी के मेडिकल कालेज के बारे में कहना चाहता हूं इसके बारे में सरकार की तरफ से स्पष्ट बात आ जानी चाहिए। वह ट्रस्ट का है या सरकारी मेडिकल कालेज है। जो सरकारी मेडिकल कालेज है उनमें 12 हजार से ज्यादा फीस नहीं है। आपका जो हल्द्वानी में सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज है उसमें बहुत ज्यादा फीस ली जा रही है। मेरा कहना है कि वहां पर भी 80 प्रतिशत सीट उत्तरांचल के छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेडिकल कालेज के बारे में हमारी जनता का कहना है कि वहां पर फीस 12 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, एन0आर0आई0 कोटा समाप्त होना चाहिए जैसा कि अन्य राज्यों में समाप्त हो गया है हमारे उत्तरांचल में भी यह समाप्त होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं कह चुका हूं कि यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। मान्यवर, श्रीनगर में जो मेडिकल कालेज प्रस्तावित है। मेरा रास्ता वहां से रोज जाने का है। मान्यवर, श्रीनगर में मेडिकल कालेज को बरकरार कर दें, चालू कर दें।

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व केन्द्र सरकार ने ऋषिकेश में एम्स खोलने की कार्यवाही शुरू कर दी थी। आप भी वहां पर थे। माननीया सुषमा स्वराज जी ने इसका शिलान्यास किया था। आज वह खटाई में पड़ गया है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है कि इसके बजट की व्यवस्था कर दें। श्रद्धेय खण्डूरी जी से भी हमने कहा है। मा0 शिक्षा मंत्री जी ने तो बहुत कुछ कह दिया है। वह तो मेरे परम हितैषी हैं (हंसी) माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 5–5 स्थानान्तरण के लिए आप लिख कर दे दें। मान्यवर, हमने लिखकर दिया लेकिन, हुआ नहीं। मान्यवर, निःशुल्क किताबें अभी तक नहीं मिल पायी हैं। आपने आज अपने उत्तर भाषण में कहा कि हमारे सर्वशिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान अच्छे चल रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये अभियान मात्र कागजों पर ही चल रहे हैं मैं आपकी पीड़ा को अच्छी तरह से समझता हूं। आपने विज्ञान की प्रयोगशाला की बात कही है। मान्यवर, कम से कम भवन तो होना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक सर्वे करवा लिया जाय और हरिद्वार के अलावा अन्य जनपदों में भी चमोली, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, हल्द्वानी आदि सभी जिलों में रिक्त पदों के अनुसार विज्ञप्ति निकाली जावे तो अच्छा होगा। एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने 28 बी0एड0 कालेजों को मान्यता दे दी है और जिन लोगों ने बी0एड0 का प्रशिक्षण लिया हुआ है उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे सम्भव होगा। कम्प्यूटर तो आपके किनारे पड़े हुए हैं। जनरेटर भी खराब हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसकी समीक्षा करवा लें और जहां–जहां भी ये खराब हैं, उन्हें ठीक करवा कर उनका सदुपयोग करवा दें। आपने कहा कि हम प्रत्येक जनपद में एक महाविद्यालय खोलेंगे। मान्यवर, रुद्रप्रयाग मुख्यालय भी है और वहां लम्बे समय से महाविद्यालय की मांग भी की जा रही। माननीय कोश्यारी जी ने कहा कि कपकोट में भी महाविद्यालय होना चाहिए। यदि आप करवा देंगे तो मेहरबानी होगी। 15 राजकीय महाविद्यालय हैं। मैं तो आपका बच्चा हूं, आप बहुत अनुभवी हैं।

(हंसी)

एक बात सुनिये, माननीय तिवारी जी से मेरी पहली मुलाकात सन् 1984 में हुई थी। तब मैं ब्लाक प्रमुख था तब भी मैंने इनके चरण स्पर्श किये थे, फिर जब मैं विधायक बना तो भी मैं इनके चरण छूता था और आज नेता प्रतिपक्ष हूं तब भी मैं चरण छूऊंगा।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, जब इन्होंने बच्चा शब्द कहा था तब यह इंदिरा जी से बात कर रहे थे।

श्री मातबर सिंह–

सलाहकार जी, एक बात सुन लीजिये हमारे स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं उन्हें हमारी नाक और साख कहा जाता था और लोग मुझे उनका विचार पुत्र कहते हैं........

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, जब नेता प्रतिपक्ष अपने को बच्चा कह रहे थे, तो बात माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से कर रहे थे।

श्री मातबर सिंह–

माननीय मुख्यमंत्री जी अपना सलाहकार किसी अच्छे आदमी को रखें, ऐसे आदमी होंगे तो यह आपकी नैया डुबायेंगे।

मान्यवर, राजकीय पालिटेक्निकों की व्यवस्था की बात है, इनमें प्रवक्ता भी होने चाहिए, ताकि यह ठीक से चल सकें। कृषि के बारे में कहना चाहता हूं यह हमारी रीढ़ की हड्डी है, कृषि को हमारे राज्य में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसमें जड़ी–बूटी को भी शामिल किया जाना चाहिए और जहां तक पशुपालन की बात है तो कृषि और पशुपालन दोनों की स्थिति दयनीय ही है। समय पर खाद उर्वरक आदि मिलना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को लाभ मिल सके। मान्यवर, इसमें जो गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पंतनगर है और एक टिहरी में रानीचौरा में है, तो उनकी कर्मभूमि और रणभूमि वह क्षेत्र उत्तरांचल का होना चाहिए जहां की जमीन उपजाऊ हो और वहां पर पानी हो, ऐसी व्यवस्था कर दें तो अच्छा होगा।

उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् की बात है तो मान्यवर, इन्होंने इतना शुल्क लगा दिया है कि कृषकों की जान ही सूख रही है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। मान्यवर, चकराता में राजमा होता है कितना स्वादिष्ट होता है, पहाड़ों में कुलथ भी बहुत ज्यादा होती है, सरकार को इनकी मार्केटिंग के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए। यदि हम आलू, काफल, अदरक और बुरांस पर आधारित उद्योग लगायेंगे तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल पायेगा। मान्यवर, रुद्रप्रयाग और चमोली में माल्टा बहुत ज्यादा होता है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में नाशपाती ज्यादा होता है, पिथौरागढ़ में बेरीनाग एक जगह है वहां पर संतरा बहुत होता है। तो मान्यवर, एक ठोस नीति न होने से कुमाऊं का नाशपाती और संतरा सड़ गया और गढ़वाल का माल्टा और अदरक बेकार हो गया। मान्यवर, मैंने इन सबकी मार्केटिंग के लिए एक सुझाव दिया था कि दिल्ली में हमारा एक मार्केट होना चाहिए, उत्तरांचल मार्केट। उसमें उत्तरांचल में जो भी चीज ज्यादा मात्रा में उत्पादित होती है, वहां पर इसकी हाट लगाई जाय और बिक्री होनी चाहिए ताकि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कर सकें। उससे हमारे स्थानीय कृषकों को बहुत ज्यादा फायदा होगा।

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं, यह समालोचना है। जो राजकीय फल उद्यान लीज पर दिये गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है, आप समीक्षा कर लीजिए, मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। जितने की घास उस उद्यान में बिकती है, उतने में भी नहीं दिया, बहुत सस्ता दे दिया, मिट्टी के भाव दे दिया। कितना अच्छा होता कि आप उत्तरांचल के लोगों को ही उसको दे देते। उत्तरांचल के बेरोजगारों को रोजगार तो मिलता। बेनी पैसा लेकर भाग गया है। उत्तरांचल के किसी व्यक्ति को दिया होता तो यहीं के किसी व्यक्ति के पास पैसा होता। (हंसी) मान्यवर, एक निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी यह जो मिट्टी का तेल है, वह कुमाऊं में हल्द्वानी, बनबसा या खटीमा और

गढ़वाल में ऋषिकेश से ऊपर नहीं जाता है। यह सब यहीं पर बिक जाता है। इसके अतिरिक्त श्रम जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जो खाद्यान्न मिलता है, श्रम के बदले अनाज, वह हमारे यहां नहीं पहुंचता है। मान्यवर, यह मिट्टी का तेल कहां जाता है यह सब पेट्रोल पम्पों में जाता है। मैंने पहले भी अनुरोध किया था। इस पर रोक लगायेंगे तो अच्छा होगा।

मान्यवर, चाय के पौधों के बारे में कहना चाहता हूं कि यदि किसानों को चाय की पौध निःशुल्क देंगे तो किसानों का भला होगा। मेरा निवेदन था कि रुद्रप्रयाग को दे दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, ग्राम सभा के बारे में कहना चाहता हूं। आपने ग्राम प्रहरी की नियुक्ति कर दी है लेकिन वास्तव में आज गांव के आदमी का विकास नहीं हो रहा है। मान्यवर, धारना ग्राम सभा के एक व्यक्ति को सिलगढ़ में इन्दिरा आवास दे दिया गया, वह मर भी गया। उस पर 3000 रुपये अभी बाकी हैं। मेरा निवेदन है कि बी०पी०एल० कार्ड और इन्दिरा आवास ग्राम सभा की बैठक में दिये जाने चाहिए, जिससे वास्तव में गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। मान्यवर, मैंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत माननीय भुवन चन्द्र खण्डूरी जी ने इस सड़क की मंजूरी दी थी, इसके लिए धन आवंटित कर दें। मेरे पास केन्द्रीय मंत्री श्री के०एच० मुनिअप्पा का पत्र आया है, मैं इसे आपके संज्ञान में ला रहा हूं, उन्होंने लिखा है कि 77.26 करोड़ रुपया हमने इसके लिए आवंटित कर दिया है लेकिन उत्तरांचल सरकार ने उसमें अभी तक सिर्फ 50 करोड़ रुपया ही खर्च किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पत्र को आपके संज्ञान के लिए दे रहा हूं। इसमें लिखा है कि जितना पैसा दिया जा चुका है, जब तक वह खर्च नहीं हो जाता, अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जा सकता। मान्यवर, आज तक इसका सदुपयोग नहीं किया गया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी धनराशि नहीं मिली है आपकी यह बात सही है कि 78 करोड़ की वह धनराशि है। वैसे जब मैं उत्तर दूंगी तो इसको कन्फर्म भी कर दूंगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपने पंचायतों को 14 विभाग दिये हैं और आप कह रहे हैं कि हम इनको सबल बनायेंगे। मैं स्वयं 10 वर्षों तक ब्लाक प्रमुख रहा हूं। मैंने यह अनुभव किया है कि अधिकारी बी०डी०सी० की बैठक में पहले भी नहीं आते थे और आज भी नहीं आते हैं। मान्यवर, अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे बैठक में जायें और उनकी बातों को मानें। मान्यवर, पी०डब्लू०डी० विभाग में टेण्डर की नीति है वह गलत है। मान्यवर, 21–21 करोड़ और 9–9 करोड़ की टेण्डर दिये जा रहे हैं लेकिन वे ठेके उत्तरांचल के नौजवानों को नहीं प्राप्त हो रहे हैं।

श्रीमती इंदिरा हृदयेश–

मान्यवर, 20 करोड़ का कोई टेण्डर नहीं है। 40 लाख से अधिक कोई टेण्डर नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सिडकुल में 21 करोड़ के 4 टेण्डर दिये गये हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सिडकुल तो औद्योगिक संस्थान है वह पी0 डब्ल्यू0 डी0 का हिस्सा नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, गांवों की सड़कें मिट्टी पड़ने से, पत्थर पड़ने से तथा पुश्ता पड़ने से बंद हो गई हैं। इन सड़कों को खुलवाने का प्रयास करें। मान्यवर, ग्रामीण जनता को मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। मान्यवर, निर्माण कार्यों में भी विसंगतियां हैं। संतुलित विकास होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री था तो मैंने आपका मार्ग दर्शन लिया था। मैं आपका बहुत ऋणी हूं कि आपने मुझे स्वयं फोन किया तथा मैं आपके पास भी आया था और आपका मार्गदर्शन भी लिया था। अगर आप प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को सड़कें दें और प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में इण्टरमीडियट कॉलेज हाईस्कूल स्तर तक के स्कूल और प्रत्येक में झूलापुल दें, अस्पताल दें तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र का समान विकास होगा जब समान बजट का बंटवारा होगा तो संतुलित विकास होगा। मेरे यहां एक मात्र इण्टरमीडियट कॉलेज है किन्तु कहीं–कहीं 10–10 इण्टर कॉलेज भी हैं। क्या मैं नेता प्रतिपक्ष हूं इसलिए मेरे साथ भेदभाव किया गया है।

श्रीमती इंदिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारी सरकार ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रत्येक क्षेत्र में विकास के कार्य किये हैं। जब मैं उत्तर दूंगी तो इसको स्पष्ट कर दूगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, वन हमारी राष्ट्रीय संपदा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रत्येक विभाग में एक–एक योजना बनायी जाय। मान्यवर, प्रदेश में इस समय कुल 68 विभाग हैं इस तरह से 68 विभाग अपने–अपने विभाग में एक–एक योजना चलायेंगे तो इससे प्रदेश को लाभ पहुंचेगा और आपकी सरकार को भी। मान्यवर, पातन, अवैध कटान, अवैध खनन ज्यादा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पर रोक लगे। मान्यवर, जिम कार्बेट पार्क, गोविन्द बिहार आदि के पास में जो गांव बसे हुए हैं इन गांवों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। इनको बिजली, पानी, सड़क आदि की सुविधा नहीं मिल पा रही है, इन बेचारे गांव वालों का क्या कसूर है, मान्यवर, ऐसे गावों को सुविधाजनक स्थान पर बसाया जाना चाहिए।

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, राजाजी नेशनल और अशकोट के सम्बन्ध में राज्य सरकार वाइल्ड लाइन बोर्ड के पास गयी और दोनों पार्कों के पुनर्जीवित के प्रस्ताव हमारे पास प्रस्तावित हैं, ये प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। साथ ही यह भी चाहता हूं इस प्रकार के जो अन्य गांव हैं, उनके बारे में भी कोई निर्णय हो।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस प्रकार के सभी गांवों को चिन्हित करके केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। जो पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार थी उसने उत्तरांचल के गांवों को तो नहीं लिया मगर इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के गांवों को लिया, इसका निर्णय अभी नहीं हो पा रहा है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, नजूल की भूमि पर हमारे किसान 60 से 90 साल से काबिज हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि ऐसी भूमि चाहे वह राजस्व विभाग की हो अथवा वन विभाग की जिससे प्रदेश को कोई लाभ नहीं हो पा रहा हो और लोग वहां पर रह रहे हैं वो ऐसी भूमि का नियमितीकरण होना चाहिए, ताकि सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके। मान्यवर, आज जनता में यह चर्चा है कि बाहर की कम्पनी को 805 एकड़ भूमि दी जा चुकी है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि यह स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मामला क्या है। मान्यवर, यहां पर कुछ साथियों ने एम0डी0डी0ए0 के खिलाफ नारा उठाया। मान्यवर, मेरा कहना है कि एम0डी0डी0ए0 एक न्यायालय बन गया है, ये सम्मन भेजता है और डेट देता है, हमारी जनता का शोषण हो रहा है। मान्यवर, इससे अच्छा तो हमारी नगरपालिका परिषद् है, चेयरमैन हमारे हैं। मान्यवर, यह जो बाई पास रोड है उसमें हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने अपनी जमीन बेचकर ज्यादा कीमत में जमीन खरीदी है और एम0डी0डी0ए0 उसका अधिग्रहण कर रहा है। मान्यवर, उन्होंने उसको 15 लाख बीघा खरीदा है और एम0डी0डी0ए0 उसे एक लाख में ले रही है और उसको बड़े व्यापारियों को बेच रही है। मैं चाहूंगा कि अगर जमीन अधिग्रहण करना है तो ऐसे ही स्थान पर उनको जमीन दे दें। मान्यवर, यह बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम बना, यह समिति प्रशासन का काम देखती है और हमारे यहां के जो पुरोहित हैं उनका हक बनता है, आपने यह देवभूमि चारधाम विकास परिषद् का गठन किया तो वह अच्छी सोच है, मगर मैं चाहूंगा कि पुरोहित का किसी प्रकार से अहित न हो।

मान्यवर, आप बोलते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए भलाई का काम करेंगे, मगर जो अनुसूचित जाति के भाई–बहनों के लिए आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं, अगर उनको आप भर दें तो शायद इनके लिए लाभकारी होगा। मान्यवर, यह उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की भलाई के लिए है, मगर यहां पर इनका शोषण होता है और इसका लाभ इनको नहीं मिल पाता है, अगर इसमें भी सुधार हो जाये तो अच्छा होगा।

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे कहना चाहता हूं कि यह देवभूमि है। मैं जब 1958 में यहां रहता था तब यहां चोरी डकैती कुछ नहीं होती थी। मान्यवर, आज चोरी, डकैती, बलात्कार, फिरोती का ग्राफ बढ़ गया है। मान्यवर, पहले देहरादून में चाहे वह

किसी भी राज्य का अधिकारी हो वह चाहता था कि मैं देहरादून में रहूं। मान्यवर, मैं सुल्तानपुर पट्टी में गया वहां पर दिन के 11 बजे पुलिस के अधिकारी और एस0पी0 तथा जिला अधिकारी वहां पर बैठकर गरीब श्रमिकों के घर में घुसकर मारपीट कर उनके जेवरात छीन लाये। मैंने इसकी शिकायत आपसे भी की और मैं मानवाधिकारी आयोग भी गया। मेरा कहना है कि कानून व्यवस्था सुधारें तो अच्छा होगा इससे हमारे प्रदेश की शाख खराब हो रही है। मान्यवर, एक बात माओवादियों के बारे में कहना चाहता हूं कि माओवादियों ने हमारा सिरदर्द पैदा कर दिया है। इस संबंध में मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी से बात कही कि हमारे उत्तरांचल की रक्षा करें और इसके लिए एक कार्य योजना बनाये यह सीमा का मामला है। मान्यवर, एक और संगीन मामला है ओलंपिक संघ का जिसके अध्यक्ष राजीव महत्व है। 15 लाख रुपये इस संघ को दिया गया। मान्यवर, क्या कारण है कि सुभाष कुमार जी से जांच छुड़वा करके कुमाऊं मण्डल के आयुक्त को दी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, क्या आप कुमाऊं आयुक्त पर आरोप लगा रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जांच आदेश किसने दिये। मंत्री जी की चिट्ठी में कुमाऊं के आयुक्त के आदेश हैं। मुझे यह जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई, इसमें अधिकारियों का जवाब तलब किया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस संबंध में सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया है (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जांच के आदेश 4 दिन पहले दिये (व्यवधान)। मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वयं आ गये हैं। (व्यवधान) सुनने का धैर्य रखिये। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था (व्यवधान) मैंने उस दिन भी कहा था कि इस पर लीपापोती की जा सकती है। माननीय मंत्री जी ने तीन बार स्पष्ट कहा था कि हम आयुक्त से जांच करायेंगे।

*पंचायतीराज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मेरे द्वारा सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि इसकी जांच हम आयुक्त से करायेंगे। (व्यवधान) मैंने आयुक्त कुमाऊं के लिए आदेश दिया था।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपने आदेश कब निर्गत किये।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, 5–6 दिन पहले आदेश दिये गये हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह गम्भीर स्थिति है। जुलाई के महीने में यह प्रकरण आया था। आयुक्त ने 6 महीने तक जांच की। मान्यवर, यह जांच फाइनल स्टेज पर पहुंच गयी थी। (घोर व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि अपर निदेशक ने जांच की ओर प्रथम दृष्टया..........(घोर व्यवधान) मान्यवर, 6 महीने तक जांच चली। 15 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओलम्पिक संघ को दिये थे। (व्यवधान) मान्यवर, इससे ज्यादा गम्भीर विषय और कोई हो ही नहीं सकता। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, गढ़वाल और कुमाऊं के आयुक्त में आप भेद पैदा कर रहे हैं। यह बहुत गलत बात है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 6 महीने पहले तो यह सवाल भी नहीं उठा था।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नियम 56 में यह प्रश्न उठा था मैं कार्यवाही को पढ़ने के बाद यहां पर बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहे। आश्वासन समिति में भी यह मामला लम्बित है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री का इसमें हस्तक्षेप..............(घोर व्यवधान) "दाल में कुछ काला है" की ओर इंगित करता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसकी जांच करायी जाय। ये कुमाऊं और गढ़वाल के आयुक्त में भेद कर रहे हैं। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनना चाहिए। मुझे इस पर घोर आपत्ति है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

छः महीने से जांच चल रही है और आज ही जांच चेंज क्यों हुई। इस 3 साल में कितनी जांचे हुई और कितनी रिपोर्ट आई। यह सरकार बताये, सदन में स्पष्ट करे। हमने उस समय इस बात को भी सदन में कहा था कि इसकी जांच में लीपापोती हो सकती है। छः महीने तक जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आई, मैं पूरे प्रमाणों के साथ अपनी बात कह रहा हूं यदि आप समय दे दें तो मैं प्रमाण भी प्रस्तुत कर दूं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय पंत जी और माननीय रावत जी यों ही उत्तेजित हो रहे हैं, इसमें उत्तेजना की बात नहीं है, मैं इस बात को आज भी स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने यहां सदन में कहा कि आयुक्त से इसकी जांच करा ली जायेगी। गढ़वाल या कुमाऊं के आयुक्त से इस बात को मेरे द्वारा नहीं कहा गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंत जी, कृपया माननीय मंत्री जी को सुन लें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आप मेरी पूरी बात तो सुन लें हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि आयुक्त के माध्यम से जांच करा ली जायेगी, आयुक्त कुमाऊं को जांच के आदेश दिये गये हैं। मैं आपको तिथि भी बता दूंगा अभी सही नहीं बता सकता।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, अंदाजन बता दें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, करीब 5–6 दिन पूर्व शायद।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह तो और गम्भीर बात हो गयी। मान्यवर, इसकी जांच को 6 महीने हो गये हैं और जांच पूरी हो गयी है, मेरे पास पूरे प्रमाण हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जोर से बोल रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन मेरे द्वारा आयुक्त गढ़वाल को कोई आदेश नहीं दिया गया। मैं इस बात को सदन में कह रहा हूं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आयुक्त गढ़वाल को कोई आदेश नहीं दिये, लेकिन यह जांच 6 महीने से चल रही थी, इसलिए चल रही थी क्योंकि मैंने नियम 56 में कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इसे उठाया था। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि आदेश नहीं दिये।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस घटना पर लीपापोती हो रही है, मैं पूरे प्रमाण दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष–

क्या इसकी जांच के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गयी थी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 1 महीने का समय दिया गया था लेकिन दुर्भाग्य से यह कार्यवाही का अंग नहीं बन पाया। आज तक जितनी भी जांचे हुई हैं माननीय मंत्री जी ने कहा था कि एक महीने में हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

यदि ऐसा है तो यह कार्यवाही में आना चाहिए था।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं इस बात को कोड नहीं करूंगा। मान्यवर, 6 महीने से जांच हो रही है, मंत्री जी कर रहे हैं 5–6 दिन पहले आदेश दिये नेता सदन भी यहां पर मौजूद हैं सम्भवतः उनके संज्ञान में यह प्रकरण नहीं है। मान्यवर, सदन में आपके सामने यह बात कही गई है। मान्यवर, एक भी निर्देश पर कहीं से कहीं तक भी कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, इसमें आप हमें संरक्षण दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह वेग आक्षेप है। इसका प्रमाण दीजिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस प्रकरण में 6 माह तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? यह अपने आप में प्रमाण है।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप जोर से बोल रहे हैं, तो हमें भी जोर से बोलना आता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यहां पर कहा जाता है कि जांच होगी और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने जांच के कोई आदेश नहीं दिये है। दुर्भाग्य से एक माह कार्यवाही का अंश नहीं बना। 6 महीने बाद आज सदन बैठा है, तो कहा जा रहा है कि 6 दिन पहले हमने दस्तखत किये। मान्यवर, यह किस प्रकार की परम्परा यहां पर पड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जिनको इतना अधिक संसदीय अनुभव है, उनके रहते, यह कैसी परम्परा पड़ रही है ? (व्यवधान)

*श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार पर आक्षेप लगा यह तो ठीक है। लेकिन यह साथ ही साथ पूरे सदन पर आक्षेप है कि कार्यवाही का अंश नहीं बना।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, 6 महीने पहले नियम 56 में प्रश्न पूछा गया था। तब माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम जांच करायेंगे। तो हम यह जानना चाहते हैं कि 6 महीने से इसकी जांच करायी जा रही है। या नहीं ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कि मैंने जांच के आदेश दिये हैं। जांच हो रही थी या नहीं यह मेरे संज्ञान में नही हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह तो सदन की अवमानना है। मेरा निवेदन है कि इस पर आप व्यवस्था दीजिए।

श्री प्रीतम पन्त–

मान्यवर, मैंने सदन में कहा था कि आयुक्त के माध्यम से जांच करायेंगे। आपने कहा कि 6 महीने पहले मैंने निर्देश दिये थे। तो मैंने 6 महीने पहले कोई निर्देश नही दिया।

श्री प्रकाश सिंह–

मान्यवर, आपने सदन के अन्दर यह बात कही थी। यदि कार्य स्थगन की सूचना पर कार्यवाही नहीं होगी तो यह सदन की अवहेलना है।

(व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं स्वीकार कर रहा हू कि मैंने सदन मे कहा। अब जांच आयुक्त, गढ़वाल के माध्यम से हो या आयुक्त, कुमाऊं के माध्यम से हो। या तो आप कह दीजिए कि आयुक्त कुमाऊं पर आपको विश्वास नहीं है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरी आपत्ति है कि पिछले 6 महीने से जांच क्यों नहीं हो रही थी । मेरे पास प्रमाण है कि पिछले 6 महीने से जांच हो रही थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का कहना है कि इन्होंने जांच के आदेश नहीं दिये थे। मैं 23 जुलाई, 2004 की कार्यवाही को पढ़ देता हू। माननीय मंत्री जी ने कहा "मान्यवर, मैं यह समझ नहीं पा रहा हू कि माननीय सदस्यों को जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। मान्यवर, आप निश्चित रहिए, जांच निष्पक्ष होगी। यदि आप चाहते हैं तो हम कमिश्नर से इसकी जांच कराने को तैयार हैं" इसके बाद माननीय प्रकाश पंत जी ने कहा "मान्यवर, ठीक है। कमिश्नर से इसकी जांच कराने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।"

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इससे पहले जब मैं बोला हू तो माननीय मंत्री जी ने 3 बार कहा है कि इस पर कोई लीपा पोती नहीं होगी। अगर पहले की कार्यवाही पढ़े तो यह बात सामने आ जायेगी। मान्यवर, आज 6 महीने बाद माननीय मंत्री जी सदन को अवगत करा रहे हैं कि हमने कोई कार्यवाही नहीं की है। मान्यवर, चार दिन पहले आदेश दिया है। मान्यवर, यह सदन की अवमानना है कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सदन की बात का कोई महत्व है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, सदन में कही गयी प्रत्येक बात का बहुत महत्व है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जांच हो रही है। जब कि पहले कहा था कि हमने जांच के लिए कहा है। जांच के लिए 6 दिन पहले कहा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने जांच के निर्देश जारी कर दिये हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह आश्वासन का विषय नहीं, जांच का विषय है। 6 महीने पहले की जांच पांच दिन पहले हो रही है। मैं नेता सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसे सुन लीजिए। हमें आपका संरक्षण चाहिए। आखिर इस राज्य के अन्दर कैसी नींव डाली जा रही है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आप हमारी बात सुने हमने जांच के आदेश आयुक्त कुमाऊं मण्डल को दिये हैं।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके चैम्बर में सारे रिकार्ड उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपसे मेरे पारिवारिक सम्बन्ध भी हैं। आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। मगर यह कहना चाहता हूं कि जिम्नास्टिक में खर्चा आया वह 20 हजार 300 का और अध्यक्ष जी ने जो दिखाया वह लगभग 63 हजार का है। इसके साथ जिलाधिकारी चमोली द्वारा बताया गया कि हाकी और जिम्नास्टिक की टीम आई थी वह फर्जी थी। इसके बाद जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की फुटबाल की जो टीम भेजी गयी और ओलम्पिक संघ द्वारा दर्शायी गयी वह फर्जी है। इसकी जांच होनी चाहिए। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी द्वारा कराया गया कि जिम्नास्टिक

की पुरुष और महिलाओं की कोई टीम नहीं भेजी गयी जो टीम दर्शायी गयी है वह फर्जी है। मान्यवर, जब जिलाधिकारी द्वारा यह बात कही जा रही है तो इसकी अवश्य जांच होनी चाहिए।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जांच हो रही है। सारे तथ्य सामने आ जायेंगे।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, दो माह के अन्दर इसकी जांच रिपोर्ट आ जायेगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे काफी समय दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। यहां पर सत्तापक्ष के लोग भी बैठे हैं और विपक्ष के माननीय सदस्य भी बैठे हैं। यह हमारा सदन है। मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं या फिर सचिव को पत्र लिखते हैं तो हमको यह कहकर संतुष्ट कर दिया जाता है कि आपका पत्र मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। मान्यवर, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री के मुंह से निकला एक–एक वाक्य कानून होता है। मान्यवर, आज अधिकारीगण माननीय विधायकों की बात को अनसुना कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मान्यवर, होना यह चाहिए कि विभागीय सचिव को माननीय सदस्य द्वारा चाही गयी सूचना का उत्तर देना चाहिए। मान्यवर, जब हम केन्द्र सरकार के किसी मंत्री को पत्र लिखते हैं तो वह लिखता है आपका पत्र मिला, मैं इसको दिखवा रहा हूं। तथा जांच रिपोर्ट आने के बाद आपको सूचित कर दूंगा, और फिर भारत सरकार का मंत्री लिखता है मैंने जांच करा दी है और अमुक–अमुक बाते पायी। मान्यवर, हम चाहते हैं कि जो भी पत्र माननीय विधायकों द्वारा लिखे जाते हैं, उनमें क्या हुआ इसका जवाब आना चाहिए। और सचिवों को सभी माननीय सदस्यों की बात सुननी भी चाहिए और जवाब भी देना चाहिए, परन्तु मान्यवर, आज यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। मान्यवर, अधिकारियों के पास यदि कोई माननीय विधायक जाता है तो उनको उनकी बात सुननी चाहिए और जायज काम करना भी चाहिए।

मान्यवर, मैं अधिकारियों के बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक दिन मैंने एक फोन किसी अधिकारी को किया तो वहां से उत्तर आया अधिकारी अभी नहीं है। तब मैंने अपने पी0आर0ओ0 को वहां भेजा तो सम्बन्धित अधिकारी वहां पाया गया। मान्यवर, यह कितनी खेदजनक बात है। इसी तरह मान्यवर, जब कोई विधायक फोन करते हैं, तो वहां से कोई बाबू या पी0ए0 कहता है, साहब इस समय नहीं हैं। मान्यवर, अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि वे माननीय सदस्य से बात करें कि फोन किस संबंध में किया था। मान्यवर, माननीय विधायकों की जायज बातों को सुनना चाहिए, यदि जायज बात नहीं है तो इसे स्वीकार भी करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आदर करता हूं मान्यवर, एक बार की बात है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी 1966 में मंत्री थे, तो मैं उनके पास किसी काम से गया, उन्होंने मेरी बात सुनी, उसके बाद मैं संबंधित सचिव

के पास गया और सचिव महोदय ने मेरा काम कर दिया। मान्यवर, जब मैं उत्तरांचल पर्वतीय मंत्री था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बहुत सुझाव दिये थे, इनसे मुझे मार्गदर्शन मिला।

मान्यवर, हम देख रहे हैं कि माननीय मंत्रीगण आदेश कर रहे हैं और सचिव उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था को ठीक करें। मान्यवर, यह उत्तरांचल देवभूमि है और इस देवभूमि को देवभूमि रहना चाहिए। मान्यवर, निन्दक नियरे राखिए, जो आलोचना करने वाला होगा उसको भी अपने पास बैठायें तो हम आपकी सरकार के शुभचिंतक हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि जो गलत काम हो रहे हैं उनको सही करें और उत्तरांचल की जनता के हित में काम करें, आपका यश बढ़ेगा और हमारे उत्तरांचल का चहुँमुखी विकास होगा। आज हम सब मिलकर उत्तरांचल के विकास के लिए संकल्प लें और इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

दर्शक दीर्घा में घटित घटना पर मार्शल विधान सभा की रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं। आज अपरान्ह 1.50 बजे दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने और नारे लगाने की घटना हुई। इस संबंध में मार्शल से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह इस प्रकार है :–

आज अपरान्ह 01.50 बजे जब माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट भाषण दे रहे थे, उस समय दर्शक दीर्घा से दो व्यक्तियों ने "एम0डी0डी0ए0 हटाओ गांव बचाओ" नारा लगाया तथा मा0 सदन में पर्चे फेंके। दर्शक दीर्घा में तैनात रक्षक ने तथा मार्शल विधान सभा के निर्देश पर गये अन्य रक्षकों ने तुरन्त ही उन दोनों व्यक्तियों को अपने वश में करके उन दोनों को दर्शक दीर्घा से हटा दिया। उक्त पर्चों में "विधान सभा कूच दिनांक 12 जनवरी, 2005 एकत्रीकरण स्थान–जोगी वाला चौक, समय–प्रातः 10 बजे" छपा था। उक्त दोनों व्यक्तियों के पास क्रमशः श्री धर्मेन्द्र सिंह नेगी (पास क्रम संख्या 2214) तथा श्री सतीश चन्द्र थपलियाल (पास क्रम संख्या 2215) के नाम से जारी प्रवेश पत्र प्राप्त हुआ। पूछने पर उन्होंने अपना नाम धर्मेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री राम चन्द्र नेगी, निवासी ग्राम नत्थनपुर, पो0 नेहरू ग्राम, थाना–रायपुर, देहरादून तथा महेश चन्द्र थपलियाल, पुत्र श्री गोपाल दत्त थपलियाल, निवासी ग्राम चकतुनवाला, पो0 चकतुनवाला, थाना–रायपुर, देहरादून बताया। जांच करने पर पता ज्ञात हुआ है कि श्री धर्मेन्द्र सिंह नेगी का दर्शक दीर्घा का प्रवेश पत्र संख्या 2214, श्री बिशन सिंह चुफाल, मा0 विधायक डीडीहाट, पिथौरागढ़ मा0ज0पा0 एवं श्री सतीश चन्द्र थपलियाल का दर्शक दीर्घा का प्रवेश–पत्र संख्या 2215, श्री अरविन्द पाण्डे, मा0 विधायक, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर, भा0ज0पा0 की संस्तुति से जारी किये गये थे। फेंके गये पर्चे की एक प्रति एवं प्रवेश पत्र संख्या 2214 तथा 2215 संलग्न हैं। उक्त व्यक्तियों की तलाशी से एम0डी0डी0ए0 हटाओं समिति सहयोग निधि की बुक क्रम संख्या 001 से 020, पत्र संख्या अर्द्ध0मा0 पत्रांक/256/14/एम0डी0डी0ए0, 2004 जो कि श्री मानवेन्द्र शाह, मा0 लोक सभा सदस्य को पत्र की फोटो प्रति एवं एक पर्चा एम0डी0डी0ए0 चलो विशाल धरना की प्रति मिली जो कि संलग्न है।

उक्त व्यक्तियों ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान किया और मा0 सदन का अपमान किया। उक्त दोनों व्यक्तियों को इस समय मार्शल की हिरासत में रक्षकों द्वारा बैठाया गया है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह सच है कि उन दोनों जवानों ने पर्चा फेंका और एम0डी0डी0ए0 हटाओ का नारा लगाया और मैंने वास्तव में नियम 56 और नियम 311 में सूचना दी पर वह स्वीकृत नहीं हो पाई।

श्री अध्यक्ष–

आप उस मामले में न बोलें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, एम0डी0डी0ए0 से लोग वास्तव में त्रस्त हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वे किस चीज से त्रस्त हैं प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि क्या हर आदमी इसी तरह से सम्मानित सदन में करेगा। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो लोग इस प्रकार की घटनाओं में सम्मिलित हों उनके प्रवेश–पत्र जारी न करें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की बात से सहमत हूं। मान्यवर, मैं इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी से मिला भी हूं। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए कि उन्होंने गलती की है इसे क्षणिक भर की उत्तेजना मानकर उन्हें क्षमा कर दिया जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी जैसा कि त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी ने प्रस्ताव किया है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जो भी मांग थी वे जैसा भी चाहते थे, उनका प्रदर्शन करने का मंच कहीं और होना चाहिए था। यह बात सही है कि मानव स्वभाव है गलतियां होना स्वाभाविक है उचित न होते हुए भी मानव स्वभाव का विश्लेषण करते हुए माननीय सदन की गरिमा रखते हुए, परम्पराओं का ध्यान रखते हुए, मान्यवर, इस तरह के प्रकरण पहले भी आये चाहे वह उत्तर प्रदेश का विधान सभा हो या लोक सभा। इसमें सदन ने मानवीय दृष्टिकोण अपना कर ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्तियों को सदन के उपवेशन समाप्त होने तक की सजा दी है। इस संबंध में मेरा कहना है कि उन्हें इस कृत्य के लिए क्षमा कर देना चाहिए। माननीय वन मंत्री ने कहा कि यह हम सब की जिम्मेदारी है। मान्यवर, यह कहना कभी–कभी कठिन हो जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा है जिसे हम पास देकर विधान सभा दीर्घा में भेज रहे हैं या विधान सभा में प्रवेश दे रहे हैं। इसके लिए कोई क्राइटेरिया तय नहीं यह आदमी सही है या गलत। हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए यह गारंटी नहीं होनी चाहिए। हम किस व्यक्ति का पहले विश्लेषण कर लें, हम तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम जब कभी शक्ति बरतते हैं तो इसका गलत संदेश जनता में जाता है। हर व्यक्ति अपनी बात को लेकर चिन्तित रहता है।

मान्यवर, माननीय नेता सदन यहां बैठे हुए हैं उनके सामने कोई दलील देना आवश्यक नहीं है। मान्यवर, जैसी परम्परा रही है, उन्हें उपवेशन तक अभिरक्षा में रखकर इसी को सजा मानकर उन्हें माफ कर देना चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हम इस सदन में बैठे हुए हैं सभी सदस्यों को यहां पर अपनी बात कहने का अधिकार है वह किसी भी समस्या के ऊपर बात रख सकता है। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। अगर हमने दर्शक दीर्घा को जन समस्याओं की अभिव्यक्ति का स्थान बना दिया तो सरकार चाहे जिसकी भी हो यह इस सदन में परम्परा बनेगी और व्यवधान पैदा करेगी। मान्यवर, इसे आप और विशेष रूप से आप गम्भीरता से लें। मान्यवर, जब पहली घटना होती है तो उसी से आगे के लिए चेतावनी मिलती है। माननीय सदस्य 100% गारन्टी नहीं ले सकते हैं। मान्यवर, वह व्यक्ति पम्पलेट आदि सामग्री लेकर आया था, उसका सुनियोजित प्लान था। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं को गम्भीरता से लें। इससे सदन के संचालन में ही व्यवधान पैदा हो सकता है। इसलिए जो आप व्यवस्था दें, सोच–समझकर दें और इस बात को ध्यान में रखकर दें कि आप भविष्य के लिए मिसाल कायम करने जा रहे हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक है। आप पीठ पर बैठे हुए हैं। आपके पास असीमित अधिकार हैं। मान्यवर, जनता हमसे पास मांगती है यदि हम नहीं देंगे तो वे कहेंगे कि पास भी नहीं दे पा रहे हैं। माननीय गुनसोला जी यहां पर विराजमान हैं। मान्यवर, एम0डी0डी0ए0 ने जनता का इतना शोषण कर दिया कि लोगों को आवाज उठानी पड़ रही है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सदन में आवाज उठाने का अधिकार केवल माननीय सदस्यों को है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह दुखद घटना है और जिस प्रकार से माननीय नव प्रभात जी ने कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए और सुरक्षा में किस प्रकार की खामियां रह गयी थी, इसका भी परीक्षण करना चाहिए। मान्यवर, आप बहुत सदाशयी हैं, सहृदयी हैं और इस घटना पर पीठ से आदेश आना और मान्यवर, मुझे भरोसा है कि आप उनको क्षमा कर देंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस घटना को सुरक्षा व्यवस्था की ओर डायवर्ट करना उचित नहीं है। सुरक्षा क्या कर सकती है। जब पास दिया हुआ है तो मार्शल उसे कैसे रोक सकते हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरी मंशा है कि ऐसी व्यवस्था की जावे। (व्यवधान) आज तक ऐसी घटना नहीं हुई है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, पास धारक को मार्शल कैसे रोक सकते हैं ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें हम और अधिक क्या सुधार कर सकते हैं क्योंकि यह पहली घटना है और उत्तरांचल में इसकी पुनरावृत्ति न हो पूरे सदन के लिए यह चिन्ता का विषय है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो भी व्यवस्था आप देंगे वह भविष्य के लिए चेतावनी बनेगी। मान्यवर, ऐसी व्यवस्था दें जिससे ऐसे लोग सदन की मर्यादा भंग न कर सकें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वास्तव में यह बहुत गम्भीर घटना है, उस समय मैं तो बैनी के बारे में बोल रहा था मैंने समझा कि बैनी से संबधित पर्चे आदि फेंके गये होंगे। मान्यवर, हमको अभिव्यक्ति का माध्यम दर्शक दीर्घा को नहीं बनने देना चाहिए। चाहे पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के हों दोनों की जिम्मेदारी है कि ठीक तरह से सदन का संचालन करने में सहयोग दें। यह पहली घटना हुई है, भावावेश हुई है, लेकिन मैं एक बात का निवेदन करना चाहता हूं कि आप पीठ से जो भी निर्णय देंगे वह सर्वमान्य है, हमारे सर माथे पर है, लेकिन ऐसी घटना आइन्दा न हो इसका प्रयास करना चाहिए। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। आज की घटना के बाद हमें अधिक चौकसी करनी पड़ेगी। मार्शल की जिम्मेदारी और काम कुछ बढ़ जायेगा, जैसा कि हमने लोक सभा में देखा कि दीर्घा में जाते समय जेब की तलाशी होती है और सारा सामान पर्चे आदि तक निकाल देते हैं ताकि कोई इसका दुरूपयोग न करे कभी–कभी तो आई कार्ड तक निकलवा दिया जाता है और कभी गलती से अपना ही एक पैर दूसरे पैर के ऊपर हो जाता है तो तुरन्त मार्शल टोक देते हैं कि पैर नीचे करें। मान्यवर, चूंकि यह पहली घटना हुई है आप तो सदाशयता वाले व्यक्ति हैं मेरा अनुरोध है कि आज उनको सदन चलने तक की सजा मिल गयी है उन्हें बैठा दिया है, मेरा निवेदन है कि आप उन्हें माफ कर दें।

श्री हरीदास–

मान्यवर, जैसा कि भाई ने कहा यह भी हो सकता है कि आपने 56 में दिया और यहां पर कार्यकर्ता को बिठा दिया, ऐसा हम भी कर सकते हैं, हमारी जो 56 की सूचना थी हमारी हजारों एकड़ जमीन आज बंजर पड़ी हुई है, उसको सही कराने के लिए काजी जी और मैंने विधायक निधि से पैसा दिया है। लेकिन वह आज तक सही नहीं हो पाई है आज भी हमारे कुछ खेत सूखे पड़े हैं। मान्यवर, 56 में.....................

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरीदास–

मान्यवर, 56 में लेना तो अध्यक्ष जी की अनुमति है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं एक राय देना चाहूंगा आपका उपकार होगा थोड़ा सा समय चाहता हूं। मान्यवर, ऐसी कोई भी बात घटित हो जाती है तो घर के जो बड़े, वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनसे राय ली जाती तो मेरी राय यह है कि हमारे बीच में माननीय नेता सदन हैं, जिन्हें काफी तजुर्बा है उनके राजनीतिक जीवन में ऐसी घटनायें कई बार आई होगी, निर्णय तो आपका सर्वोपरि है लेकिन एक बार नेता सदन की राय जरूर ले ली जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि माननीय सदस्य काशीपुर विधान सभा ने इस प्रकार से मेरी राय के लिए कहा है। मान्यवर, पार्लियामेन्टरी सिस्टम में अपनी बात करने के लिए दर्शक दीर्घा का उपयोग करना कोई अच्छी बात नहीं है। हम तो सन् 52 से सदन में हैं ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए पर्चे फेंकने के लिए इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। लोक सभा में तो एक बार ऐसा हुआ कि एक साहब ऊपर से कूद गये। उन्हें फौरन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। यहां तो ऊपर ऐसा है ही नहीं। बहरहाल निर्णय तो आप देंगे, लेकिन ऐसा कुछ करना चाहिए कि यह आगे आने वाले दिनों में न हो। आप क्षमा भी कर सकते हैं, यदि आज माफ भी कर दिया गया तो क्षमा का क्या प्रभाव होगा। यह भी देखना होगा, ऐसा कोई नियम बना दें। मान्यवर, कोई नियम बना दें, कोई रूलिंग दे दें कि यदि आगे से कोई इस तरह का कृतित्व करेगा तो इस तरह का दण्ड मिलेगा।

दर्शक दीर्घा में पर्चे फेंकने की घटना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

आज सदन के उपवेशन के दौरान, जैसा कि आपको पता है कि श्री धर्मेन्द्र सिंह नेगी तथा महेश चन्द्र थपलियाल ने दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंक कर सदन की कार्यवाही को बाधित किया और सदन की अवमानना और अपमान भी किया। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि दर्शक दीर्घा को जन अभिव्यक्ति का माध्यम न बनाया जाय। मैं तो सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि प्रवेश–पत्र जारी करने से पूर्व उस व्यक्ति के बारे में विश्वास करते हुए, विश्वास तो हम सभी पर करते हैं, पूरी जानकारी लेकर प्रवेश–पत्र जारी करें। यह हमारा दायित्व है। निश्चित रूप से यह सुनियोजित प्रयास रहा है, यह गम्भीर मामला भी है। इसलिए जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा, जिनका सभी आदर करते हैं, आप उदारमना भी हैं। माननीय प्रकाश पंत जी ने कहा कि अध्यक्ष जी सदाशयता का परिचय देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सदाशयता का प्रश्न नहीं है, यह कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा का प्रश्न है। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है

कि जब सदन चल रहा हो तो सदन के अन्दर इस तरह का आचरण करें, इस तरह का माहौल तैयार करें। आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज इन्हें क्षमा कर देते हैं। क्षमा करना बड़ों का धर्म हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमने इनको क्षमा कर दिया तो इससे आने वाले समय में और लोगों का भी दु:साहस बढ़े। निश्चित रूप से दु:स्साहस बढ़ेगा और अवमानना होगी। अजय भट्ट जी ने भी कहा, हमें भी बुरा लगा। हमने पिछले 3 वर्षों में देखा है कि बड़े गरिमामय तरीके से सदन चलाया गया जो दर्शक दीर्घा में बैठे सम्मानित दर्शक हैं, उन्होंने बड़ी गम्भीरता से और बड़ी शालीनता से और सज्जनता से दर्शक दीर्घा से सदन की कार्यवाही को देखा। आज सभी लोगों से अनुरोध है कि इसको एक परम्परा के रूप में न लें। आज उपवेशन के दौरान मार्शल की अभिरक्षा में रह कर उनको सजा मिली है, उनको एक अवसर देना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह उनका भी दायित्व बनता है, जो माननीय सदस्य बैठे, चाहे वे किसी भी दल के सदस्य हों, सभी का सामूहिक दायित्व है कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए, उनको प्रवेश–पत्र जारी न करें। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूं कि जो जो व्यक्ति हैं, जो अभी मार्शल की अभिरक्षा में हैं, उनको जो सजा मिली है, वह पर्याप्त है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, मैं इसके लिए आप सबसे अनुरोध करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसके अतिरिक्त इस बात पर भी विचार कर लिया जाय कि प्रत्येक दिन जो प्रवेश–पत्र जारी किये जाते हैं, उन पर निर्णय लें। इस संबंध में आप एक सर्वदलीय बैठक बुला लें। मान्यवर, इस प्रकार की हरकत भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके सजा के दिन निर्धारित कर दिये जायें।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, भविष्य में इस प्रकार की हरकत के लिए सख्त से सख्त सजा दी जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी आगे चर्चा जारी रहेगी पीठ से यह निर्देश जारी कर दें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

हां। आगे चर्चा जारी रहेगी। मैं यही कहने जा रहा हूं। आज नियम के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत आश्रम पद्धति

विद्यालय, बलुवाकोट के निर्माणाधीन भवन की सामग्री की गुणवत्ता की जांच के संबंध में श्री गगन सिंह रजवार की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत तथा जंगली सुअरों के आतंक से फसल को नुकसान पहुंचाने तथा लोगों को घायल करने के सबंध में श्री अजय भट्ट की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं। शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती है।

अब हम उठते हैं दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 18 बजकर 40 मिनट पर सोमवार, दिनांक 17 जनवरी, 2005 को दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून :
दिनांक 12 जनवरी, 2005

महेश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 01 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

विकास खण्ड गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़ में रा0इं0का0/रा0उ0मा0वि0 में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	प्रवक्ता के रिक्त पद	सहायक अध्यापक के रिक्त पद
1	2	3	4
1.	रा0 इं0 का0, गंगोलीहाट	03	01
2.	रा0 इं0 का0, चहज	07	02
3.	रा0 इं0 का0, गणाई गंगोली	02	—
4.	रा0 इं0 का0, बनकोट	03	—
5.	रा0 इं0 का0, खिरमाडे	08	—
6.	रा0 इं0 का0, चोरपाल	08	07
7.	रा0 इं0 का0, तामानौली	06	—
8.	रा0 इं0 का0, झलतोला	07	02
9.	रा0 इं0 का0, सिनलेख	08	04
10.	रा0 इं0 का0, सेराघाट	09	02
11.	रा0 इं0 का0, डम्डे	10	04
12.	रा0 इं0 का0, ढोबालखोत	10	01
13.	रा0 इं0 का0, खीरोली	06	03
14.	रा0 क0 इं0 का0, गंगोलीहाट	06	04
15.	रा0 उ0 मा0 वि0, दुबोला	—	02
16.	रा0 उ0 मा0 वि0, पिलखी	—	04
17.	रा0 उ0 मा0 वि0, दशाई थल	—	—
18.	रा0 उ0 मा0 वि0, पोखारी	—	01
19.	रा0 उ0 मा0 वि0, कोठेरा	—	—
20.	रा0 उ0 मा0 वि0, नायल	—	04
21.	रा0 उ0 मा0 वि0, ग्वाल	—	07
22.	रा0 उ0 मा0 वि0, पलाधार	—	07
23.	रा0 उ0 मा0 वि0, बुंगली	—	07
24.	रा0 उ0 मा0 वि0, भूलीगांव	—	06
25.	रा0 क0 उ0 मा0 वि0, गणाई गंगोली	—	03
	योग :	93	71

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	छात्र संख्या
1	2	3	4
1.	प्राथमिक विद्यालय, कोटधार	भटवाड़ी	59
2.	प्राथमिक विद्यालय, भकोली	भटवाड़ी	58
3.	प्राथमिक विद्यालय, रितगांव	भटवाड़ी	18
4.	प्राथमिक विद्यालय, उरका	भटवाड़ी	126
5.	प्राथमिक विद्यालय, मल्ढों	भटवाड़ी	51
6.	प्राथमिक विद्यालय, रिलोथ	भटवाड़ी	50
7.	प्राथमिक विद्यालय, लटाड़ी	भटवाड़ी	71
8.	प्राथमिक विद्यालय, कन्सेण	भटवाड़ी	67
9.	प्राथमिक विद्यालय, गुस्टिकसौड़	भटवाड़ी	64
10.	प्राथमिक विद्यालय, कुहोली	भटवाड़ी	71
11.	प्राथमिक विद्यालय, मंटगा	भटवाड़ी	25
12.	प्राथमिक विद्यालय, मंट	डुण्डा	33
13.	प्राथमिक विद्यालय, डुण्डा	डुण्डा	122
14.	प्राथमिक विद्यालय, डुण्डा बाजार	डुण्डा	81
15.	प्राथमिक विद्यालय, गंवला	डुण्डा	76
16.	प्राथमिक विद्यालय, भंवात	डुण्डा	61
17.	प्राथमिक विद्यालय, रगांडी	डुण्डा	16
18.	प्राथमिक विद्यालय, लंदाडा	डुण्डा	71
19.	प्राथमिक विद्यालय, मट्टी	डुण्डा	81
20.	प्राथमिक विद्यालय, ख्यमेर	डुण्डा	43
21.	प्राथमिक विद्यालय, पजणगांव	डुण्डा	38
22.	प्राथमिक विद्यालय, खवाड़ा	चिन्यालीसौड़	62
23.	प्राथमिक विद्यालय, टडोंल	चिन्यालीसौड़	86
24.	प्राथमिक विद्यालय, बडोमणि	चिन्यालीसौड़	47
25.	प्राथमिक विद्यालय, कांपला	चिन्यालीसौड़	38
26.	प्राथमिक विद्यालय, पीपलमण्डी	चिन्यालीसौड़	89
27.	प्राथमिक विद्यालय, मौप	चिन्यालीसौड़	33
28.	प्राथमिक विद्यालय, तुल्वाड़ा	चिन्यालीसौड़	41
29.	प्राथमिक विद्यालय, धराली	नौगांव	61
30.	प्राथमिक विद्यालय, पुरोला	पुरोला	80

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

जनपदवार उच्चीकृत विद्यालयों की सूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल स्तर पर	हाईस्कूल से इण्टर इण्टर स्तर पर
1	2	3	4
1.	नैनीताल	19	09
2.	अल्मोड़ा	14	14
3.	ऊधमसिंह नगर	05	02
4.	पिथौरागढ़	10	08
5.	बागेश्वर	05	02
6.	चम्पावत	11	06
7.	पौड़ी	20	08
8.	चमोली	13	08
9.	रुद्रप्रयाग	05	04
10.	टिहरी	12	15
11.	उत्तरकाशी	07	03
12.	देहरादून	09	06
13.	हरिद्वार	08	01
	योग–	138	86

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 विधान सभा / 504–14–12–2005–200 प्रतियां (कम्प्यू0 / रीजियो)।